खण्ड-184, अंक-10
बुधवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1879
(31 जुलाई, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 184 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३१ जुलाई, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३०४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अशफ़ाक़ अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुरसिंह बिष्ट, श्री

जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जागेश्वर, श्री
ज्वाल प्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वर प्रस द, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारात, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री

मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती

विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३१ जुलाई, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

एजूकेशन कोड के नवीन संस्करण की छपाई

**१—श्री डूंगर सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को पता है कि एजूकेशन कोड सन् १९५५ से out of stock है और इससे शिक्षा संस्थाओं को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो वह क्यों नहीं छपवाया जाता और ऐसी हालत में सरकार ने इस कठिनाई को दूर करने का क्या उपाय सोचा है?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—जी हां।

एजूकेशन कोड का नया संस्करण बहुत शीघ्र छपने जा रहा है। प्रूफ छप चुका है और उसमें आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं।

श्री डूंगरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कोड के पूरा होने में अन्दाजन कितना समय लगेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं उसका प्रूफ छप चुका है, वह देखा जा रहा है और शीघ्र ही छपने वाला है।

श्री डूंगरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक संशोधन से प्रूफ करेक्शन से मतलब है या उसमें नये अमेंडमेंट से मतलब है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---जी, प्रूफ संशोधन से भी मतलब है और अगर कोई नये सुझाव भी हों तो उन पर भी विचार कर लिया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इसकी कितनी प्रतियां छपवायी जा रही हैं और क्या अंग्रेजी हिन्दी दोनों में छपवायी जा रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी, इरादा तो है कि इसको हिन्दी में भी छापा जाय।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह एजुकेशन कोड कब से आउट आफ प्रिंट है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कुछ वर्षों से है, शायद सन् ५५ से आउट आफ प्रिंट है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कितनी प्रतियां छपवायी जा रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब जितनी छपती हैं, प्रायः एक आध हजार छापी जाती हैं, अगर आवश्यक होगा तो अधिक छप जायंगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ का जो कोड है उसके बाद, जितने संशोधन हुए हैं, वह सब मिला कर छापा जा रहा है या जैसा पुराना था वैसा ही छप रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश---वह तो जितने संशोधन अब तक हुए हैं उन सबको मिला कर छापा जायगा।

आजमगढ़ जिले के मधुवन थाने में रामपुर निवासी श्री रामचन्द्र तिवारी कान्स्टेबिल की हत्या

**२---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन थाना, जिला आजमगढ़ के ग्राम रामपुर में २४-१-५७ को अवकाश पर आये हुये बिहार प्रदेश के श्री रामचन्द्र तिवारी नामक पुलिस कांस्टेबिल की हत्या हो गई ? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री इस सम्बन्ध में पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां। ऐसा कहा जाता है कि उनको चोरों ने मारा। चूंकि इस सम्बन्ध में मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस पर विशेष प्रकाश डालना उचित नहीं होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उनके घर के पास में किसी दूसरे घर की चोरी हो रही थी और चोरों का मुकाबिला करने में उनकी मृत्यु हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब यह सारा मामला अदालत के अधीन है लिहाजा इस पर कुछ विशेष कहना कदाचित उचित न होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार किये गए और क्या यह सही है कि अभी गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति कुछ फरार हैं?

श्री कैलाश प्रकाश--इस सम्बन्ध में तीन आदमी पुलिस द्वारा पकड़े गए और सात ने अदालत में आत्म-समर्पण किया, एक लापता है।

उत्तर प्रदेश में 'उद्योग का विकास' नामक पुस्तक की छपाई पर खर्च

**३--स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में 'उद्योग का विकास (१९५६-५७)' नाम की पुस्तक की कितने हजार प्रतियां छपी हैं और एक प्रति पर कितना खर्च पड़ा है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--इस पुस्तक की कुल चार हजार प्रतियां छपी हैं और एक प्रति पर छपाई का खर्च लगभग १ रुपया ५० नये पैसे पड़ा।

तारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले के कोठी थाने में पीरपुर निवासी श्री मोहन लाल की हत्या

*१--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २२ मार्च, १९५६ को रात में पीरपुर, थाना कोठी, जिला बाराबंकी के श्री गौरीशंकर के यहां डाका पड़ा था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। मगर मार्च २२ व २३ सन् १९५७ के बीच की रात में श्री गौरीशंकर के चाचा श्री मोहनलाल के घर में दीवार फांद कर ३ या ४ चोर घुस आए।

*२--श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि उस डकैती में गोली लगने से एक कत्ल भी हुआ था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिस घटना का जिक्र अभी किया उसमें चोरों के गोली चलाने से श्री मोहनलाल की मृत्यु हो गई।

इलाहाबाद में के० वी० लाल का शव ईदगाह के निकट मिलना

*३--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)-- क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में बादशाही मण्डी मुहल्ले के रहने वाले एक बस कन्डक्टर के० वी० लाल की लाश ईदगाह के पास रेलवे लाइन के पास पुलिस को मिली थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

*४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उस सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जाब्ते की सभी कार्यवाही की और मृतक की शव-परीक्षा कराई। चूंकि मामला आत्महत्या का पाया गया इसलिए जांच बन्द कर दी गई।

इलाहाबाद जिले में विभिन्न अपराधों के मुकदमे

*५--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर तथा जिले में कितने कत्ल, डाके, चोरी के मुकदमे जनवरी, १९५५ से फरवरी, १९५७ तक दर्ज किये गये और उसमें कितने मुकदमे चालू किये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नगर क्षेत्र में १४ तथा जिले (देहाती क्षेत्र) में ७४ कत्ल के मुकदमे दर्ज किये गये। इनमें से क्रमशः १० और ४७ मुकदमे चालू किये गये।

आजमगढ़ में इमामबाड़ा मिर्जामक्खू बेग के निकट भूमि का झगड़ा

*६—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उसके पास कोई सूचना है कि आजमगढ़ शहर के सीताराम मुहल्ला में इमामबाड़ा मिर्जामक्खू बेग पर एक दूसरे सम्प्रदाय के लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इमामबाड़े पर तो किसी दूसरे का कब्जा नहीं है किन्तु इमामबाड़े से लगी कुछ भूमि पर दो व्यक्तियों का अधिकार है। इस संबंध में अदालत दीवानी में एक मुकदमा चल रहा है।

*७—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसकी ओर से इस विषय में न्याय हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मामला अदालत में है इसलिये सरकार की ओर से कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—[अगस्त १४, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

एस० बी० हायर सेकेण्डरी स्कूल, बरेली के अवकाश प्राप्त अध्यापकों का गवर्नमेंट कण्ट्रीब्यूटरी फण्ड

*९—श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ में एस० बी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली से अवकाश प्राप्त सहायक अध्यापकों में कितने सहायक अध्यापकों का गवर्नमेन्ट कन्ट्रीब्यूटरी फंड जमा था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किसी का नहीं।

*१०—श्री बुद्धीसिंह (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवकाश प्राप्त सहायक अध्यापकों के कन्ट्रीब्यूटरी गवर्नमेंट फंड प्राप्त करने की अनुमति जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, बरेली से बार-बार आवेदन-पत्र देने के बाद भी अब तक नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के प्रावीडेन्ट फन्ड के राजकीय अंश की अनुमति महा संख्यानक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त होती है और भुगतान की आज्ञा भी उन्हीं के कार्यालय से निर्गत होती है न कि जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से।

शिक्षा विभाग के अस्थायी सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय शिक्षा विभाग में अस्थायी सब-डिप्टी इन्स्पेक्टरों की संख्या कितनी है?

श्री कैलाश प्रकाश—२११।

*१२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इनमें से बहुतों की सेवा पांच वर्ष से अधिक की है? यदि हां, तो ऐसे कितने सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर हैं और उन्हें अभी तक स्थायी क्यों नहीं किया गया?

श्री कैलाश प्रकाश—जी, ऐसे कुल २४ विद्यालय प्रति उपनिरीक्षक हैं। उन्हें स्थायी नहीं किया गया, क्योंकि वे अभी तक इन पदों के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं चुने गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि २११ उप-विद्यालय निरीक्षकों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी हाल ही में कुछ चुनाव किये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने सन् ५५ से पहले जो स्थायी पद रिक्त हुए हैं उनके लिये चुनाव किये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि चुनाव के परिणाम-स्वरूप सरकार ने कितने उप-विद्यालय निरीक्षकों को स्थायी किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जैसा मैं निवेदन कर चुका जो पद स्थायी होते हैं उनमें नियुक्ति होती है। सन् ५५ से पहले ४१ स्थायी पद रिक्त हुए थे उनके लिये आयोग ने चुन लिये हैं और उनको नियुक्त किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कोई ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि ५ वर्ष जिनको कार्य करते हुए हो गया और जिनका कार्य ठीक है वह स्थायी कर दिये जायंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह प्रश्न स्थायी करने का व्यक्तियों से नहीं है। यह तो स्थान से है ? बहुत से ऐसे स्थान हो सकते हैं जो ५ साल रहने के बावजूद भी स्थायी नहीं किये जा सकते। स्थान को स्थायी करने के लिये इस बात पर विचार करना पड़ता है कि वह कार्य ऐसा है जो सदा चलता रहेगा या कार्य ऐसा है जो थोड़े ही दिन चलेगा। जो स्थान स्थायी कर दिये जाते हैं उनमें स्थायी नियुक्तियां की जाती हैं।

रुड़की, जिला सहारनपुर की रामनगर शरणार्थी बस्ती के जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को ठीक समय पर वेतन न मिलने की शिकायत

*१३--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुड़की, जिला सहारनपुर की रामनगर शरणार्थी बस्ती का जूनियर हाई स्कूल सरकार से मान्यता प्राप्त है और उस स्कूल के अध्यापकों को कई-कई महीने बाद वेतन मिलता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--रुड़की, जिला सहारनपुर की रामनगर शरणार्थी बस्ती में जिला बोर्ड का एक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल है। वहां के अध्यापकों को हर महीने ठीक समय पर वेतन दिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास शरणार्थी बस्ती के जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को ठीक समय पर वेतन न दिये जाने के हेतु कोई शिकायत आई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, ऐसी किसी शिकायत की सूचना मुझे नहीं है।

*१४-१५--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--[२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ८६-८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१६--**श्री विश्रामराय**--[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडिएट बोर्ड का चुनाव

*१७--**श्री जगदीश शरण अग्रवाल** (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसकी ओर से १९५७ में होने वाले हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडियेट बोर्ड के चुनाव के सम्बन्ध में ऐसा आदेश जारी हुआ था कि Principals' Constituencies से ऐसे Degree Colleges के प्रिंसिपल्स, जहां Intermediate Classes चल रहे थे, चुनाव में भाग नहीं ले सकते ?

*१८--क्या उक्त आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया गया जिसके फलस्वरूप उन क्षेत्रों में पुनः चुनाव की आवश्यकता पड़ी ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं, सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। परन्तु यह अवश्य था कि अध्यक्ष बोर्ड ने कानूनी परामर्श के अनुसार यह निश्चय किया था कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट की धारा ३ (१) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत केवल इन्टरमीडियेट कालेज के प्रधानाचार्य ही चुनाव में भाग ले सकेंगे, डिग्री कालेज के नहीं। श्री महेन्द्र प्रताप शास्त्री, प्रिंसिपल, डी० ए० वी० डिग्री कालेज, लखनऊ के समादेश पत्र पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि श्री शास्त्री का नाम भी नामांकन सूची में सम्मिलित कर दिया जाय। फलतः इन्टर कालेजों के प्रिंसिपलों का मतदान पुनः किया गया।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बोर्ड की इस आज्ञा से कितने सज्जनों पर असर हुआ और पुनः चुनाव करने से कितना व्यय हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश--असर तो कहीं पर नहीं पड़ा केवल फिर से मतदान हुआ और उस चुनाव में फिर से भाग लेने की सब को स्वतन्त्रता थी। जहां तक व्यय का सम्बन्ध है कोई विशेष खर्चा नहीं हुआ। डाक खर्चा उसमें होता है जिसके आंकड़े इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि अध्यक्ष बोर्ड ने कानूनी सलाह किन से ली ?

श्री कैलाश प्रकाश--कानूनी सलाहकारों से।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कानूनी सलाहकार कहीं यू० पी० से संबंधित तो नहीं थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। जरा पता लगाना होगा कि किससे सलाह ली, वह इन्टरमीडियेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि अध्यक्ष बोर्ड, यू० पी० सरकार के डायरेक्टर आफ एजूकेशन भी हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, सही है।

*१९-२१--**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३१-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पुलिस के सिपाहियों का दैनिक भत्ता

*२२--**कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिस के सिपाहियों को जब वे किसी काम से अपने क्षेत्र के बाहर जाते हैं, रोज का भत्ता कितना मिलता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकारी कार्य से अपने क्षेत्र से बाहर जाने पर पुलिस कांस्टेबिलों को दैनिक भत्ता अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भांति Financial Hand-Book Volume iii के Para 23 के अन्तर्गत नियमों के अनुसार निम्नलिखित दर से दिया जाता है--

(१) पहाड़ी क्षेत्र में १२ आना,

(२) कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ और देहरादून शहरों में ८ आना,

(३) अन्य स्थानों पर ६ आना।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह १२ आने, ८ आने और ६ आने का फर्क किस लिए रखा गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो स्पष्ट ही है। पहाड़ी इलाकों में जरा दूर-दूर दौड़ना पड़ता है, अधिक खर्च भी हो जाता है और यह जो बड़े-बड़े शहर हैं, कबाल टाउंस, इनमें अधिक खर्च होता है; और साधारणतया ६ आने है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह भत्ता जो दिया जाता है यह दोनों वक्त खाने का है या एक वक्त का?

श्री कमलापति त्रिपाठी---खाने का क्या भत्ता है, वह तो दैनिक भत्ता है। वही चलता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि पुलिस रिआर्गेनाइजेशन कमेटी ने इस दैनिक भत्ते में पुर्नविचार करने के सम्बन्ध में भी कोई सिफारिश की था?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कुछ यहां गवर्नमेंट ने किया भी। १९५५ में एक आदेश जारी हुआ कि सौ रुपया तक वेतन पाने वाले जो भी कर्मचारी हैं, उनका जो महंगाई का भत्ता है आधा, वह उनके वेतन में जोड़ दिया जाय, यह हिसाब लगाने के लिए कि उनको दैनिक भत्ता कितना दिया जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि मानो ३० रुपये से ४५ रुपये तक जो हमारे कर्मचारी हैं वह चौथाई श्रेणी के कर्मचारी हुए। अब उनका महंगाई का जो भत्ता है वह जोड़ दिया जाय तो उनका वेतन का क्रम चौथी श्रेणी से बढ़ जाता है। उनको तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के मुताबिक भत्ता मिलने लगेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १२ आने, ८ आने, ६ आने, पिछले कितने दिनों से यह दैनिक भत्ता प्राप्त हो रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं समझता हूं जब से यह फाइनेंशियल हैंड बुक का पैराग्राफ २३ चल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि १९५५ में जो उन्होंने तृतीय श्रेणी का भत्ता चालू किया तो उससे पुलिस के सिपाहियों के भत्ते में कितनी-कितनी वृद्धि हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी---चौथी श्रेणी ३० रुपये से ४५ रुपये तक होती है और उसके ऊपर तृतीय श्रेणी हो जाती है। वेतन के प्रत्येक १२ रुपये पर ८ आने या उसके किसी भाग पर २ आने भत्ता मिलता है, ऐसा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी ने अभी जो स्पष्टोक्ति की उससे हम यह निष्कर्ष निकालें कि अब पुलिस कर्मचारियों का भत्ता ८ आने से बढ़ कर १० आने हो गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसा नहीं है। जिनका वेतन ४५ रुपये से ऊपर होगा उनमें से कुछ को यह फायदा पहुंचेगा।

झांसी जिला बोर्ड के अध्यापकों का बकाया वेतन

*२३---**श्री छत्तरसिंह** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिला बोर्ड के कितने मास्टरों को अभी तक उनका पिछला बकाया वेतन नहीं मिला है? सरकार इसके लिये क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अध्यक्ष जिला परिषद् झांसी ने सूचित किया है कि ६३ अध्यापकों का वेतन उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मृत्यु या पागल होने के कारण रोका गया है।

*२४-२५--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

श्री देवनारायण भारतीय एम० एल० ए०, शाहजहांपुर से लाइसेंस तथा हथियार जमा करा लेना

*२६--श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि शाहजहांपुर की पुलिस ने श्री देवनारायण भारतीय, एम० एल० ए० पर मार्च, सन् १९५३ में कल्पित आरोप लगा कर उनके लाइसेंस तथा हथियार जमा कर लिये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्री देवनारायण भारतीय के लायसेंस तथा हथियार किसी कल्पित आरोप पर नहीं बल्कि पुलिस कप्तान के इस अभियोग पर जब्त कर लिये गये कि वह और उनके एक साथी ने एक पंचायतराज इन्स्पेक्टर पर आक्रमण किया था और उनको चाकू से घायल किया था।

*२७--श्री रूर्मासिह (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि पिछले चार वर्षों में उनके लाइसेन्स अब तक रेस्टोर नहीं किये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, लायसेन्स रेस्टोर कर दिये गये हैं।

*२८--श्री रूर्मासिह (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आवश्यक जांच की गई है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई का आरम्भ होना

*२९--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगली जुलाई से पढ़ाई आरम्भ हो जायगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

गाजीपुर बिरनों थाने में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ११० के मुकदमें

*३०--श्री यमुनासिह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में गाजीपुर बिरनों थाने से कितने मुकदमे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ११० के अन्तर्गत चलाये गये?

श्री कैलाश प्रकाश--१९५६ में ५ और १९५७ में ३ मुकदमे चलाये गये।

*३१--श्री यमुनासिह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे मुकदमों में सजा हुई और कितने रिहा कर दिये गये?

श्री कैलाश प्रकाश--१९५६ के ४ मुकदमों में पाबन्द करने का आदेश हुआ और एक अभी विचाराधीन है। १९५७ के अभी तक तीनों मुकदमें विचाराधीन हैं।

श्री यमुनासिह--सन् १९५७ में जिन लोगों पर यह मुकदमा चलाया गया, क्या मंत्री महोदय उनके नाम बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--अगर थोड़ी तादाद हो तो बता सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--तादाद तो ३ ही की है लेकिन उनके नाम मेरे पास इस वक्त नहीं हैं।

राजनीतिकपीड़ितों को पेन्शन

*३२--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राजनैतिक पीड़ितों के कितने प्रार्थना-पत्र पेंशन तथा एक मुश्त सहायता के लिये अब तक अलग-अलग प्राप्त हुए हैं? उनमें से कितने प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार किया गया है?

श्री कैलाश प्रकाश--सन् १९५५ से अब तक कुल १३,४८५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इनकी अलग-अलग संख्या बताना सम्भव नहीं क्योंकि प्राय: एक ही प्रार्थना-पत्र पर पेंशन तथा एक मुश्त धनराशि की प्रार्थना की गई है। २,७४६ स्वीकृत किये गये।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सब से ज्यादा कितनी पेंशन है और सबसे कम कितनी पेंशन एक राजनैतिक पीड़ित को मिलती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अधिक से अधिक पेंशन ७५ रुपये और कम से कम २० रुपये प्रतिमास पेंशन मिलती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार यह बतलायेगी कि इन प्रार्थना-पत्रों से संबंधित राजनैतिक पीड़ितों पर सरकार सहायता तथा पेंशन के रूप में कुल कितना रुपया खर्च कर चुकी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे लोग जिनको डी० आई० आर० में सजा नहीं हुई और अन्य दफाओं में सजायें हुई हैं, उन्हें राजनीतिक पीड़ित होने का प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था की जायगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो एक जनरल सा सवाल है, लेकिन जिनको डी० आई० आर० में सजायें नहीं हुई हैं और अन्य दफाओं में सजायें हुई हैं उनको भी राजनैतिक पेंशनें दी जाती हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९४२ के आन्दोलन में जिन विद्यार्थियों को निष्कासित किया गया था और वह जेल नहीं गये थे, क्या वह विद्यार्थी इस परिभाषा में आते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह पेंशनें तो शायद ४ या ६ लोगों को छोड़ कर ऐसे लोगों को ही दी गई हैं कि जो जेल गये हैं। परन्तु और दूसरे प्रकार की सहायता भी मिल जाती है। अगर कोई ऐसे विद्यार्थी हैं तो उनको सहायता मिल जाती है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी जो वह ४ या ६ केसेज हैं उनको बताने का कष्ट करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना मिलने पर बता दूंगा। अक्सर ऐसा है कि जिनकी विधवायें रह गई हैं या माइनर बच्चे रह गये हैं, संभवत: ऐसे ही लोगों को इस तरह की सहायता मिली है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नैनीताल के छात्रावास की मरम्मत का आश्वासन

*३३--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नैनीताल की कोई अपनी इमारत है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं ।

*३४--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त विद्यालय के छात्रावास की हालत जीर्ण-शीर्ण है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां ।

*३५--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार का विचार इस विद्यालय के छात्रों के निवास स्थान के लिए छात्रावास के नव-निर्माण कराने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं ।

श्री प्रतापसिंह--क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्यालय के पास १९५२ से अपनी कोई इमारत नहीं है और उक्त विद्यालय मिलिटरी बैरक्स और घोड़े के अस्तबलों में चल रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, सही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि जब विद्यालय का छात्रावास कई वर्ष से जीर्णशीर्ण है तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है और इसका निर्माण क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जीर्णशीर्ण हालत में है लेकिन काम चल रहा है। पैसे का अभाव रहा है, इसलिये मरम्मत में देर हो जाती है। इस मामले को मैं भी देख रहा हूं और सम्भवतः इसकी कोशिश करूंगा कि आगे मरम्मत इसकी जल्दी से हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि नैनीताल क्षेत्र से आने वाले विधान सभा सदस्य को पहले शिक्षा मंत्री ने पिछले वर्ष और उसके पहले वर्ष यह आश्वासन दिया था कि छात्रावास की इमारत का निर्माण हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री से यह सम्बन्धित है। यदि माननीय शिक्षा मंत्री उत्तर देना चाहते हों तो दे सकते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पुराने शिक्षा मंत्री जी ने नारायणदत्त जी से क्या कहा था मैं नहीं जानता। मैं समझता हूं कि वह इमारत ऐसी है जिसकी मरम्मत होनी चाहिये और सरकार की ओर से उसकी मरम्मत कराने की चेष्टा कर रहा हूं।

फर्रुखाबाद जिले के थाना ठठिया में सरौली ग्राम से डाके की रिपोर्ट

*३६--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार को विदित है कि ग्राम सरौली, थाना ठठिया, तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में जनवरी, १९५७ में एक डकैती पड़ी ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस सिलसिले में उस गांव की तरफ से कोई दरख्वास्त जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास भेजी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, इसमें पुलिस के थाने में एक रिपोर्ट लिखायी गयी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह रिपोर्ट डकैती के सिलसिले में थी या किसी दूसरे प्रकार की थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, रामेश्वरदयाल जी ने जो पत्र भेजा था उसमें उन्होंने लिखा था कि मामला डकैती का है लेकिन जांच से ऐसा मालूम हुआ कि वह डकैती का नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी ने इस दरख्वास्त की जांच की थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा ख्याल है कि पुलिस के सम्भवतः सर्किल इन्स्पेक्टर ने की थी।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो चीज भी जांच से साबित हुई उसमें आज तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने बतला दिया कि जांच से गलत साबित हुआ।

श्री बलदेव सिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि जब डकैती नहीं थी किसी दूसरे किस्म की चोरी थी तो उसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उसकी जांच की गयी और जो रिपोर्ट लिखी गयी उसमें किसी का नाम नहीं बतलाया, न किसी पर सन्देह प्रकट किया गया। लिहाजा उस केस का पता नहीं चला।

पीलीभीत जिले में सी० आर० पी० सी० की धारा १०७ के मुकदमे

*३७--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत जिले के प्रत्येक थाने में अलग-अलग कितने सी० आर० पी० सी० की धारा १०७ के मुकदमे चल रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२७ पर)

गोरखपुर जिला बोर्ड के अध्यापकों का वेतन तथा महंगाई भत्ते का बकाया

*३८--श्री केशवपांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर जिला बोर्ड के अध्यापकों का तनख्वाह गत कुछ महीनों से बाकी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--केवल माह जून, १९५७ का वेतन अवशेष था। आशा है अब तक दिया जा चुका होगा।

*३९--श्री केशवपांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि जिला बोर्ड के अध्यापकों के महंगाई भत्ते को कब से नहीं दिया गया है और क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दिये जा रहे हैं। किन्तु कुछ समय का भत्ता आंशिक रूप में बाकी है जिसका पूर्ण भुगतान करने के हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर जिला बोर्ड के हेडमास्टरी के उम्मीदवार अध्यापक

*४०--श्री केशवपांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर जिला बोर्ड के कुछ अध्यापक जिन्होंने सन् १९५०-५१, ५२-५३ में H. T. C. और

J. T. C. पास किया है और वे अब तक हेडमास्टर नहीं हो सके, उनकी कितनी संख्या है ? क्या उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, सन् १९५०,५१, ५२ तथा ५३ में जिन अध्यापकों ने H. T. C. तथा J. T. C. पास किया है और अभी तक हेडमास्टर नहीं हो सके उनकी संख्या ५५७ है। सूची बहुत लम्बी है अतः सदन की मेज पर नहीं रक्खी जा सकी। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे मेरे कमरे में देखने का कष्ट कर सकते हैं।

महिला पुलिस विभाग का बन्द किया जाना

*४१—**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में जो महिला पुलिस विभाग खोला गया था उसका कार्य क्यों स्थगित कर दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—पुलिस विभाग में केवल ३ महिला पुलिस पदाधिकारी सन् १९५० में नियुक्त की गयी थीं। इनके आपस के झगड़ों तथा इनकी कम संख्या के कारण यह विभाग के लिये विशेष उपयोगी न थीं। फलस्वरूप इनके पद सन् १९५३ में समाप्त कर दिये गये।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या यह सही है कि इस पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं के लिये जो कार्य हुआ वह बड़ा सहायक सिद्ध हुआ और इसने एक ऐसी स्थानीय संस्था का पता लगाया जिसमें महिलाओं का व्यापार किया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—काम तो अवश्य ही उन्होंने अच्छा किया होगा लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि शायद किसी प्रकार अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, इसलिये उसका प्रयोग बन्द कर दिया गया।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार की यह नीति है कि पुलिस विभाग और दूसरे मुहकमों में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी भर्ती किया जाय या किसी तरह की कोई पाबन्दी इसमें रखी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पाबन्दी तो हो नहीं सकती क्योंकि संविधान में लिखा है कि सेक्स का कोई अन्तर नहीं होगा। जो जहां चाहे वहां उसे काम मिल सकता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—सरकार को उन स्त्रियों के झगड़े को निपटाने में क्या कठिनाई रही कि विभाग ही खत्म कर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हमारे सामने तो कोई झगड़ा आया नहीं, लेकिन स्त्रियों के झगड़ों को निपटाना बड़ी प्रतिभा का काम है।

श्रीमती चन्द्रावती—जब सरकार यह मानती है कि उनका कार्य अच्छा रहा तो पुनः इस विभाग को चालू करने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हां, सरकार ने विचार किया है और अगर धन की सुविधा हुई तो सम्भव है कि इसका प्रयोग फिर एक बार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५३ में इस विभाग में कितनी नियुक्तियां हो चुकी थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तीन ही हुई थीं।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार इस बात को मानती है कि मुख्तलिफ विभागों में, और खासतौर से पुलिस विभाग में, औरतों का रेक्रूटमेंट बहुत कम है ? अगर इसकी कोई वजह है तो उसे दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कदाचित पुलिस का काम ऐसा है कि शायद उसमें स्त्रियां शारीरिक और प्राकृतिक दृष्टि से मौजूं न पड़ती हों।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री बतलावेंगे कि इस विभाग को तोड़ने के फलस्वरूप कितनी महिलायें बेरोजगार हो गईं ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप हिसाब स्वयं लगा सकते हैं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये नियुक्तियां किस-किस पद पर हुईं और क्या ये तमाम स्त्रियां एक ही स्थान पर, एक जिले में, काम करती रहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, ये देहरादून में नियुक्त की गई थीं और एक सब-इन्सपेक्टर थीं और २ हेड कांस्टेबुल थी।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुरुषों के झगड़ों के कारण भी किसी विभाग के बारे में ऐसा हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पुरुषों के झगड़ों को तो महिलायें निपटा देती हैं लेकिन महिलाओं के झगड़ों को पुरुष नहीं निपटा सकता।

बुलन्दशहर जिले में बन्दूक का लाइसेंस मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

*४२---**श्री छत्तरसिंह** (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि क्या उनको इस बात की सूचना है कि जिला बुलन्दशहर में बन्दूक के नए लाइसेन्स देते समय अधिकारी लोग नये नये चन्दे मांगते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

*४३---**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)---[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ जिले में बौद्धों की गिरफ्तारी

*४४---**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में करीब ६०० बौद्धों और उनके कार्यकर्त्ताओं को सरकार ने क्यों गिरफ्तार किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---विगत अप्रैल में अलीगढ़ में धारा १४४ भंग करने अथवा अन्य अपराध जैसे कि दंगा फसाद (१४७ आई० पी० सी०) इत्यादि करने के आरोपों पर ३९२ बौद्धों तथा उनके अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया।

*४५---**आचार्य दीपंकर**---क्या यह बात सही है कि बौद्धों की गिरफ्तारियों के समय दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं।

*४६---**आचार्य दीपंकर**---क्या इनके कारणों की सही-सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार कोई जांच कमेटी सरकारी या अर्द्ध-सरकारी बैठा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं। सरकार इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझती।

*४७-४८---**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)---[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९-५०--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१-५२--श्रीमती कैलाशवती (जिला गोरखपुर)--[वापस लिये गये।]

बाराबंकी जिला बोर्ड के अध्यापकों को वेतन-वृद्धि न मिलना

*५३--श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिला बोर्ड के अन्तर्गत संचालित स्कूलों के अध्यापकों को सन् १९५२ से सन् १९५६ तक जो सालाना तरक्की मिलती है, मिली है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१ जुलाई, १९५६ से बाराबंकी जिला परिषद् अध्यापकों को कुल देय वार्षिक वृद्धियों सहित वेतन बराबर भुगतान कर रही है। उससे पूर्वकाल की देय वेतन वृद्धियों का भुगतान परिषद् आर्थिक संकट के कारण न कर सकी। इस निमित्त शासन द्वारा समय-समय पर अनुदान पाने पर भी परिषद् ने अभी तक अध्यापकों को अवशेष वेतन-वृद्धि का भुगतान नहीं किया। इस सम्बन्ध में परिषद् को लिखा जा रहा है कि वह तुरन्त अध्यापकों को भुगतान कर दें।

प्रारम्भिक शिक्षा महिलाओं द्वारा देने की प्रार्थना

*५४--श्रीमती चन्द्रावती--क्या शिक्षा मंत्री इस योजना पर विचार कर रहे हैं कि प्रदेश की प्रारम्भिक शिक्षा-शिक्षण कार्य महिला अध्यापिकाओं द्वारा हो जिससे विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण सही पथ से हो सके?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं।

*५५--श्रीमती चन्द्रावती--यदि हां, तो सरकार इस प्रयोजन को कब से कार्यान्वित कर सकेगी?

श्री कैलाश प्रकाश--प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार को ज्ञात है कि पब्लिक ने भी बेसिक शिक्षा के लिये शिक्षा का भार संभालने के लिये महिलाओं के लिये आवश्यकता महसूस की है और सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करने की कृपा करेगी?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, यह बात सही है कि इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है कि महिलाओं द्वारा शिक्षा का कार्य हो किन्तु यह कठिनाई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये महिला शिक्षक कम मिलती हैं।

श्री मलिखान सिंह--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कभी उन्होंने शहर में इसका प्रयोग किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--महिला अध्यापिकायें हैं और वे काम भी कर रही हैं। प्रश्न तो यह था कि सारी प्राइमरी शिक्षा अध्यापिकाओं से करायी जाय। तो इसके बारे में यह कहा गया कि इतनी अध्यापिकायें नहीं मिलेंगी। आज लड़कियों की संख्या काफ़ी चेष्टा करने पर भी नहीं बढ़ पाती है।

खीरी चुनाव क्षेत्र में बांटी गयी नोटिस

*५६--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४ मार्च सन् १९५७ को एक नोटिस कविता में छपी हुई जिसमें, न तो प्रेस का नाम है, न प्रकाशक का नाम है और न उस पर कोई तारीख ही है, खीरी चुनाव क्षेत्र में बांटी गयी और उसके बारे में थाना कोतवाली, लखीमपुर में एक रिपोर्ट रोजनामचा आम में दर्ज की गई?

श्री कैलाश प्रकाश---जो हां। इस बारे में स्वयं प्रश्नकर्ता महोदय ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी।

*५७---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर पुलिस ने उक्त नोटिस की जांच के सम्बन्ध में क्या नतीजा निकाला है ?

श्री कैलाश प्रकाश---पुलिस के प्रयत्न करने पर भी इस नोटिस के मुद्रक अथवा प्रकाशक का पता न चला। अतः आगे कोई कार्यवाही न की जा सकी।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार को पता है कि रिपोर्ट किन लोगों को मुलजिम करार देकर लिखाई गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जो रिपोर्ट लिखायी गयी है उसमें यह चर्चा नहीं है कि किसके द्वारा छापा गया। हां एक, दो नाम उसमें दिए हुए हैं जिनके बारे में यह बताया गया है कि वे नोटिस बांट रहे थे।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार यह बतायेगी कि रिपोर्टकर्ता से जांच के वक्त कुछ पूछा गया या उसको बुलाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी मुझे सूचना नहीं है, जांच हुई होगी तो रिपोर्ट-कर्ता से भी पूछा गया होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर---इतना तो उत्तर ही में दिया हुआ है कि प्रश्नकर्ता ने ही रिपोर्ट लिखायी थी। मैं इस मामले में यह सूचना देता हूं कि मुझसे इस मामले में कोई बात नहीं पूछी गयी और न आज तक कोई जांच हुई। दूसरी बात यह कि जो लोग बांटते हुए पकड़े गये क्या सरकार को पता है कि उनके बयान भी हुए या नहीं और क्या वह बयान कोतवाली में बुला कर लिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। इतना ही कह सकता हूं कि इसकी जांच की गयी और यह पता नहीं चल सका कि वह पर्चा किस प्रेस में छपा। जुर्म यह था कि प्रेस का और प्रकाशक का नाम उस पर नहीं थी। उसके बारे में जांच की गयी लेकिन पता नहीं चला।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि प्रश्नकर्ता महोदय से पूछताछ करके दुबारा जांच हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रश्नकर्ता महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे ही बता दें कि क्या मामला है।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट लिखायी गयी है उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में किन लोगों को बांटते हुये पाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, रिपोर्ट में कुछ नाम बांटने वालों के लिये दिये गये हैं। वे हैं---गोदावरी देवी, भूधर चौधरी और गिरजा दयाल।

बुलन्दशहर जिले में डकैतियों में बढ़ती

*५८---**श्री रामचन्द्र विकल**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में जनवरी, सन् १९५६ से अप्रैल, १९५७ तक कितने कत्ल व डकैतियां हुईं और किन-किन थानों में ?

श्री कैलाश प्रकाश---मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२८ पर)

श्री रामहेतसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बुलन्दशहर में जो डकैती हुई है, उनमें मुख्यत: किस दल का हाथ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये कदाचित नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि थाने सिकन्दराबाद और दादरी में कुछ ऐसी डकैतियां हुई हैं जिनमें पूरे गांव लूट लिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी लेकिन ऐसे स्पेसिफिक केसेज की शिकायतें आती हैं तो उसकी जांच की जाती है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सही है कि लाइसेंस की कमी की वजह से डकैतियां पड़ीं और बाद में गांव लूटने के बाद सरकार ने फिर लाइसेंस दिया, पहले नहीं दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---डकैतियों के तो बहुत से कारण हो सकते हैं, मुमकिन है बहुत कुछ लाइसेंस की कमी की वजह से भी हुई हों। अक्सर ऐसा भी होता है कि लाइसेंस बांटने के बाद डकैतियां बहुत बढ़ गयीं।

*५९-६०---श्री मन्नालाल (जिला खीरी)---[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६१---श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जालौन जिले में सूचना विभाग अधिकारी के कार्य

*६२---राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन में सूचना विभाग-अधिकारी ने जिले में १९५६ में क्या कार्य किये और क्या सरकार उनके द्वारा किये गये मुख्य कार्यों की सूची मेज पर रक्खेगी ?

गृहमंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)---वांछित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८२९ पर।)

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या माननीय सूचना मंत्री कृपा कर के बतलायेंगे कि जो उत्तर में सूची दी गयी है, उसके अलावा सरकार का और भी आदेश है सूचना अधिकारियों को काम करने का ?

श्री इस्तफा हुसैन---जी हां, जिला सूचना अधिकारी को महीने में १८ दिन दौरा करना पड़ता है और प्रेस के साथ सम्पर्क रखना पड़ता है। इसके अलावा दो महीने के अन्दर एक प्रेस कान्फ्रेंस करनी पड़ती है जिसमें जिले के बारे में सब बातें बताते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी लिसनिंग सेट्स जो होते हैं, उनको वितरण करने के लिये भी उनकी ड्यूटी रखी गयी है।

*६३--राजा वीरेन्द्रशाह---[१ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बरेली शहर में द्रौपती कन्या पाठशाला पोलिंग स्टेशन पर कथित लाठी चार्ज

*६४--श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)---क्या सरकार बतलान को कृपा करेगी कि ६ मार्च, १९५७ को बरेली शहर में द्रौपदी कन्या पाठशाला पोलिंग स्टेशन पर पुलिस द्वारा जनता पर लाठी चार्ज किया गया उसके फलस्वरूप कई आदमी जख्मी हुये ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं।

*६५--श्री शिवराज बहादुर---क्या उक्त घटना के सम्बन्ध में जिलाधीश को जनता की तार द्वारा दी गई सूचनायें प्राप्त हुई ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं।

*६६--श्री शिवराज बहादुर---यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश---प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवराज बहादुर---क्या माननीय मंत्री जी बतलानें की कृपा करेंगे कि ६ मार्च, १९५७ को द्रौपती कन्या पाठशाला पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कितनी देर तक बन्द रही ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पोलिंग बन्द रहने की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

कांस्टेबिलों से अर्दली का काम लेने के सम्बन्ध में जानकारी

*६७--श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कांस्टेबिलों एवं हेड कांस्टेबिलों से अर्दली की नौकरी (ड्यूटी) लेने के लिये पुलिस विभाग के किन-किन अधिकारियों को अधिकार दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---पुलिस के सब-गजटेड अधिकारी सशस्त्र पुलिस कान्स्टेबिलों से अर्दली का काम लेने के लिये अधिकृत हैं। हेड कांस्टेबिलों से अर्दली का कार्य नहीं लिया जाता।

*६८--श्री गौरीशंकर राय---क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्दलियों से पुलिस अधिकारी कौन-सा काम लेते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---पुलिस अर्दली सरकारी कागजात को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय ले जाता है। पुलिस आफिसर के साथ सभी सरकारी कार्यों के हेतु, जैसे घटनास्थल पर तथा ऐसे स्थानों पर जहां धावा करना हो, जाता है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि यह धावा करने के अतिरिक्त और भी कोई कार्य इन सिपाहियों से लिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कागजात वगैरह ले जाने का काम तो उनसे लिया ही जा सकता है।

श्री गौरीशंकर राय---मेरा मतलब उन अफसरों के गृह कार्य से है कि क्या उनके गृह कार्य में उनकी सहायता ली जाती है,

श्री कमलापति त्रिपाठी---अगर कोई उनसे अपना निजी कार्य कराता है तो वह बात तो उचित नहीं है लेकिन जो उनके दफ्तर का काम है उसको तो वे कर ही सकते हैं क्योंकि वे तो साथ-साथ चलते ही हैं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सिविल पुलिस के कांस्टेबिल से भी अर्दली का काम लिया जा सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जहां भी वह आर्डरली की तरह पोस्टेड होंगे वहां उनसे काम लिया जायगा।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हर गजटेड आफिसर को कितने आर्डरली मिलते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--आई० जी० पी० तथा डी० आई० जी० पी० को ४, १३ फर्स्ट क्लास जिलों के एस० पीज० को ३, बाकी जिलों के एस० पीज० को २, और हर एक डी० एस० पी० को १।

कांस्टेबिलों का आधा मंहगाई भत्ता उनके वेतन में मिलाने का सुझाव

*६९--**श्री गौरीशंकर राय**--क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कांस्टेबिलों एवं हेड कांस्टेबिलों की आधी मंहगाई को वेतन में सम्मिलित कर लेने का विचार रखती है ?

श्री कैलाश प्रकाश--ऐसा कोई विचार नहीं है। परन्तु कांस्टेबिलों और हेड कांस्टेबिलों का आधा मंहगाई भत्ता कुछ बातों के लिये उनके वेतन में जोड़ा जाता है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन सी बातें हैं जिनके लिये वह जोड़ा जाता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जिन बातों के लिये उनका आधा महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है वह यह हैं पेंशन, ग्रेचुइटी, कंट्रीब्युटरी प्राविडेंट फंड, कंट्रीब्युट्री प्राविडेंट पेंशन फंड, दैनिक भत्ता और सरकारी क्वार्टरों का किराया वसूल करना।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार सिपाहियों का इतना कम वेतन देखते हुये इस पर विचार करेगी कि उनका आधा महंगाई भत्ता हर काम के लिये जोड़ दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो मान्यवर, एक सुझाव है और सरकार के सामने यह रहता भी है और यदि इसके करने में कुछ विलम्ब किन्हीं कारणों से होता भी है तो उसका कारण केवल धनाभाव है, उससे कोष पर बड़ा बोझ बढ़ जायगा लेकिन फिर भी सरकार धीरे-धीरे इस दिशा में कुछ न कुछ करती जा रही है और आगे भी करती चलेगी।

उन्नाव जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*७०--**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक उन्नाव जिले के कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशनें दी गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--५८ व्यक्तियों को।

राजनीतिक पीड़ित विभाग से स्वीकृत पेन्शनें

*७१--**श्री रामप्रसाद** (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ित विभाग से कितने व्यक्तियों को आज तक पेंशनें दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--३,२२९ को।

*७२--**श्री रामप्रसाद** (अनुपस्थित)--इन पेंशन पाने वालों में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु पेंशन पाने की निर्धारित आयु से कम है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१३६ ।

*७३--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७४-७५--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---[वापस लिये गये

डेवलपमेंट आफिसर्स सम्मेलन, मसूरी में भाग लेने वाले सूचना विभाग के कर्मचारियों पर व्यय

*७६--श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९५७ के आखिरी हफ्ते में मसूरी में जो Development Officers का सम्मेलन हुआ था उसमें सरकार के सूचना विभाग के कितने कर्मचारी मसूरी गये थे ? उनके आने-जाने का कुल कितना व्यय सरकार को करना पड़ा ?

श्री इस्तफा हुसैन---केवल संचालक, उनके व्यक्तिगत स्टाफ में एक स्टेनोग्राफर तथा दो चपरासी तथा विशेषाधिकारी नियोजन प्रचार व एक स्टेनोग्राफर व एक चपरासी वहां गये थे ।

उनके भत्ते पर कुल ६४१ रु० १२ नये पैसे व्यय हुये ।

श्री रामगोपाल गुप्त---क्या मंत्री जी अलग-अलग बताने की कृपा करेंगे कि संचालक और विशेषाधिकारी को कितना टी०ए०, डी० ए० दिया गया तथा अन्य सब लोगों को कितना दिया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन---इसके आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री रामगोपाल गुप्त---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भत्ता किन दिनों का दिया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन---इसके लिये सूचना चाहिये ।

गोंडा जेल से कुछ कैदियों को छोड़ने में देरी

*७७--श्री बलदेव सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जे० ओ० (जुडिशियल आफिसर) तरबगंज जिला गोंडा के इजलास से भारतीय दंड विधान की धारा ३२३, ३७९, १४७ के अन्तर्गत राम लगन वगैरह मुलजिमान के रिहाई का आदेश २३ अप्रैल, १९५७ को गोंडा जेल को हुआ था ? यदि हां, तो वे जेल से कब छूटे ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---जी हां, वे सब २४ अप्रैल, सन् १९५७ को प्रातःकाल छूटे थे ।

श्री बलदेव सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब २३ तारीख को जुडिशियल आफिसर के यहां से रिहाई का आदेश जेल में पहुंच गया तो मुलजिमान को २४ तारीख को क्यों छोड़ा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसलिये कि उनका जो आर्डर गया उसमें दफायें गलत लिखी हुई थीं ।

श्री बलदेव सिंह---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उन दफाओं का सुधार करके कैदी छोड़े गये या वैसे ही सुबह छोड़ दिये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं, सुधार किया गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन लोगों ने वे दफायें लिखी थीं और उनकी गलती से उन्हें एक दिन और जेल में रहना पड़ा तो दफा गलत लिखने वालों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुज्जफ्फर हुसन---कम से कम जेल वालों की वह गलती नहीं थी।

*७८---राजा वीरेन्द्र शाह---[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

नैनीताल जिले में हल्द्वानी थाने के दो कान्स्टेबिलों द्वारा श्री बशीर की हत्या

*७९---श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्टेशन आफिसर थाना हल्द्वानी जिला नैनीताल के विरुद्ध कोई शिकायत ऐसी आई है जिसमें हल्द्वानी के रहने वाले बशीर व रहीम आदि पर किये गये अत्याचारों का जिक्र है ?

श्री कैलाश प्रकाश---स्टेशन आफिसर के विरुद्ध तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है परन्तु वहां के दो कांस्टेबिलों के विरुद्ध अवश्य आई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि सर्वश्री बशीर और रहीम में से श्री बशीर की पुलिस कांस्टेबिलों ने भाले से मार कर हत्या कर दी जिससे सारे शहर में बड़ी सनसनी रही ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह सही है कि श्री बशीर को पीटा गया था और इसके बाद फिर जब वे अस्पताल पहुंचाये गये तो वहां उनकी मृत्यु हो गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो सरकार कृपया बतलायेगी कि इतने इस गम्भीर मारपीट के हत्याकांड में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश---जो कांस्टेबिल इसके लिये जिम्मेदार थे उनको मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ दफा ३०४ में कार्यवाही हो रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि वहां के डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज कुमायूं डिवीजन ने वहां के एस० डी० एम० से जुडिशियल इंक्वायरी करायी और उसकी रिपोर्ट तथा सूचना क्या सरकार को है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जुडिशियल इंक्वायरी की तो कोई रिपोर्ट मेरे पास है नहीं, न इसकी कोई सूचना है। लेकिन वहां की जो घटना है उसके बारे में यह कह सकता हूं कि एक कांस्टेबिल था जो वहां की किसी एक स्त्री के घर पर पहुंचा था, कुछ उसका संबंध था, और एक दूसरी स्त्री के संबंध में उसने कुछ पूछताछ की लेकिन उसको कुछ पता नहीं लगा। तो स्त्री को और बशीर को पीटा, उन लोगों ने भी इसको पीटा। लौट कर वह थाने पर गया तो वहां से एक दूसरे साथी को लेकर करीब डेढ़ बजे के वे उनके घर पहुंचे और उनको मारा पीटा। उसमें बशीर को चोट बहुत आयी और वह सुबह अस्पताल में भेजे गये और वहां उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन वहां के सुपरिन्टेंडेंट पुलिस और कलेक्टर भी संभवतः वहां पहुंचे, इस मामले पर वहां काफी उत्तेजना थी। उन्होंने उन दोनों कांस्टेबिलों को मुअत्तल किया और दफ़ा ३०४ में मुकदमा दर्ज किया और वह मुकदमा उनके ऊपर चलाया जाने वाला है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इस घटना के संबंध में जुडिशियल इंक्वायरी की आज्ञा देने के लिये तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह तो कार्यवाही हो रही है उसमें जुडिशियल इंक्वायरी किस बात की? एस० डी० एम० और सुपरिंटेंडेंट पुलिस गये थे उन्होंने जांच कर ली और वे कांस्टेबिल मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। इसलिये किसी जुडिशियल इंक्वायरी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*८०---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिले में कथित मारे गये पुलिस कर्मचारी

*८१---श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में गत वर्ष कितने कांस्टेबिल तथा कितने हेड कांस्टेबिल डाकुओं आदि द्वारा मारे गये थे तथा उनके कुटुम्बियों को कितनी-कितनी पेंशनें दी गई हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---झांसी जिले में गत वर्ष कोई कांस्टेबिल या हेड कांस्टेबिल डाकुओं आदि द्वारा नहीं मारा गया, प्रश्न का द्वितीय भाग नहीं उठता।

*८२-८३---श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)---[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*८४---श्री गनेशचन्द्र काछी---[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

पेन्शन पाने वाले राजनीतिक पीड़ित

*८५---श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि इस प्रदेश में कितने राजनीतिक पीड़ितों को सरकार पेंशन देती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---३,२२९ को।

*८६-८७---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गांव पिपरई, पोस्ट धौरा ललितपुर के सर्किल इन्सपेक्टर के विरुद्ध कथित शिकायत

*८८---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार के पास इस वर्ष गांव पिपरई पोस्ट धौरा ललितपुर (झांसी) के सर्किल इन्स्पेक्टर पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत आई है? यदि हां, तो सरकार ने उसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

राज्य में विदेशी नागरिकों की संख्या

*८९---श्री अमरेशचन्द्र पांडेय---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में विभिन्न किन-किन बाहरी देशों के कितने आदमी आजकल हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले राष्ट्रमंडलीय देशों को छोड़ कर अन्य देशों तथा पाकिस्तान के नागरिकों की संख्या के संबंध में आवश्यक सूचना संलग्न सूची में निहित है।

उत्तर प्रदेश में रहने वाले राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये निबन्धन से मुक्त हैं तथा उनको जिले में अपने आने और वहां से प्रस्थान करने की सूचना जिला अधिकारियों को नहीं देनी पड़ती।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८३०-८४१ पर)

नोट--- प्रश्न ७९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ।

सरकार का पी० टी० आई० की न्यूज सर्विस को सब्स्क्राइब करना

*९०--श्री अमरेश चन्द्र पांडेय--क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार पी० टी० आई० की न्यूज सर्विस को सब्स्क्राइब करती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

*९१-९२--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

बुलन्दशहर जिले के सिकन्दराबाद थाने के अन्तर्गत बीट कान्स्टेबिल्स की चौकियां

*९३--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि थाना सिकंदराबाद जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत कितनी पुलिस चौकियां बीट कांस्टेबिल्स के लिये बनाई गई हैं और किस-किस गांव में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत हृदयपुर और अस्तौली नामक ग्रामों में दो चौकियां बीट कांस्टेबुलों के लिये बनाई गई है। एक तीसरी चौकी भी सिकन्दराबाद सर्किल के अन्तर्गत ग्राम श्यामनगर मंडी में बनाई जा रही है।

*९४--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार यह बतायेगी कि इनमें कितना-कितना धन सरकारी लगा है और कितना-कितना जनता द्वारा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त चौकियां जनता द्वारा चंदे से बनवाई गई हैं और सरकार का इनमें कुछ व्यय नहीं हुआ।

*९५--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--[१४ अगस्त १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९६--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--(जिला अलीगढ़) [अस्वीकार किया गया ।]

*९७--श्री भुवनेश भूषण शर्मा--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने का विचार

*९८--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस समय तो इन अध्यापकों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। परन्तु जिला परिषदों की आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण सरकार को हाल ही में उनके अध्यापकों के वार्षिक वेतन-वृद्धि देने का सारा भार स्वयं उठा लेना पड़ा है फिर भी सरकार उनके महंगाई भत्ते में ५) रु० प्रतिमास की दर से वृद्धि करने जा रही है।

राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों को एक्सटेंशन

९९--श्री खयाली राम (जिला लखनऊ)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १९५५-५६ व १९५६-५७ में शिक्षा विभाग ने कितने राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों को ऐक्सटेंशन प्रदान किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--११ ।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया कोतवाली के अन्तर्गत अपराध बढ़ने की शिकायत

२--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया कोतवाली के अन्तर्गत छोटी गंडक के दोनों किनारों पर आस पास के गांवों में इधर कुछ दिनों से बैलों की चोरी, खेत कटाई और डाकू आदि का आतंक बहुत ही बढ़ गया है? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जनवरी, १९५७ से १२ जुलाई, १९५७ तक जानवरों की चोरी की कुल दो घटनाओं की रिपोर्ट की गई जिनमें से एक में खोये हुये बैल कांजी हाउस में मिल गये और दूसरे में अभी जांच हो रही है। खेत कटाई एवं डाके की कोई घटना नहीं हुई। इस क्षेत्र में किसी प्रकार का आतंक नहीं है।

३--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

४--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री--[तारांकित प्रश्न संख्या ९८ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

५--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री--[२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

६--श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

१९५७-५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं जो आज के वाद-विवाद के सिलसिले में है। प्रस्ताव यह है कि अनुदान संख्या ९ के ऊपर बगैर डिस्कशन हुये राय ले ली जाय और अनुदान संख्या १० के लिये आज का पूरा दिन मुकर्रर किया जाय। और प्रस्तावक को २५ मिनट तथा सेकेंडर और अन्य वक्ताओं को १०,१० मिनट का समय मिले।

श्री अध्यक्ष--प्रस्तावक से मतलब आपका कटमोशन के प्रस्तावक से है ?

श्री सुरथबहादुर शाह--जी हां।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक प्रस्ताव आया है उसके खिलाफ मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ९ और १० दोनों को एक साथ पेश करने की आज्ञा प्रदान की जाय। उसमें फायदा यह होगा कि जिस भाई को जिसके संबंध में जो बात कहनी हो वह कह सकेगा और आखीर में वोटिंग तो सेपरेट होगी ही।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय प्रथा भी है और इस सदन का नियम भी है कि जब एक प्रश्न पर विचार हो रहा हो तब दूसरा प्रश्न एक साथ सदन के सामने उपस्थित नहीं किया जा सकता जैसे कि अनुदान संख्या ९ भी आये, और १० भी हालांकि मुझे यह मालूम हुआ कि इस सदन में

पिछले कुछ समय से ऐसी प्रथा पड़ गई थी कि कई प्रश्न एक साथ ले लिये जायं और सब पर एक साथ विचार हो, लेकिन यह मुनासिब नहीं मालूम पड़ता और एक समय में एक ही प्रश्न पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--मतलब यह है कि आप इसके विरोध में हैं कि अनुदान संख्या ९ और १० एक साथ लिये जायं। तो माननीय सिंचाई मंत्री जी, आपको कुछ कहना है?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)--मान्यवर, मुझ कुछ कहना नहीं है। जैसा हमारे आदरणीय सदस्य चाहेंगे, मैं तो वैसा ही करने को तैयार हो जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि बहस होना चाहिये या नहीं होना चाहिये किसी अनुदान के ऊपर इसके बारे में अभी तक यही प्रथा रही है कि हम पूछते रहे विरोधी पक्ष से, और जब उनका खुद कहना यह है कि वह नहीं चाहते हैं। उसके ऊपर बहस तो, मैं समझता हूं कि यह ठीक होगा कि उसके ऊपर बहस न हो और अधिक समय अनुदान संख्या १० पर ही लगाया जाय। उनकी मांग पर यह बात होती रही है कि दोनों एक साथ ले लो। यह बात नहीं है कि उनको नाराज करके या उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई हो क्योंकि ऐसी प्रथा रही है और खासतौर पर उनका हक क्रिटिसिज्म करने का माना गया है।

श्री नवलकिशोर--मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। जहां तक नेता विरोधी दल का संबंध है हम में से कोई भी नहीं चाहता कि उनकी मर्जी के खिलाफ या उनको नाराज करके कोई काम किया जाय। उन्होंने तो एक टेक्निकल बात पेश की कि इसमें कोई कानूनी अड़चन है। तो वह टेक्निकल बात मेरी समझ में साफ नहीं हुई कि एक ही विभाग है ग्रांट्स जरूर दो हैं लेकिन उसमें ऐसा कौन सा टेक्निकल आब्जेक्शन है कि उनको एक साथ नहीं लिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष--मैंने उसके ऊपर तो निर्णय नहीं दिया। मैं समझता हूं कि दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। लेकिन प्रथा ऐसी रही है। सदन की और दूसरे सदनों की भी कि अनुदानों के संबंध में विरोधी दल के नेता की जो इच्छा होती है उसके हिसाब से कार्य करते हैं। वह चाहते हैं कि अलग-अलग हो और दूसरे एक ही पर विचार हो, दूसरी ग्रांट जो है उसके ऊपर विचार न हो तो वह चीज़ मैंने स्वीकार कर ली।

अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षकः १७, १८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव होगा।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक १७,१८ और १९-ख के अन्तर्गत ४,३१,५१,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक १७,१८ और १९-ख अन्तर्गत ४,३१,५१,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी द्वारा एक प्रस्ताव को उपस्थित करने के लिये अनुज्ञा की प्रार्थना

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव पेश करने की अनुज्ञा चाहता था। उसकी दरख्वास्त आपके पास भेज दी है। मैं जानना चाहता था कि उसके सिलसिले में आपकी क्या राय है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रस्ताव आपने अभी भेजा है. कार्यवाही शुरू होने के बाद। नियम यह है कि इस तरह का प्रस्ताव जो भेजा जाता है उसको प्रश्नोत्तर शुरू होने से पहले मेरे दफ्तर में सेक्रेटरी साहब के पास भेजना चाहिये था। क्योंकि यह अभी आया है इसलिये जो कुछ निर्णय मुझे करना है वह कल आपको बतलाऊंगा।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई स्थापना पर व्यय

*श्री राममूर्ति—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—सिंचाई स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत ३,८२,८६,४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इस अनुदान का संबंध सिंचाई विभाग में जो स्थापना पर व्यय होता है उससे है। चीफ इंजीनियर से ले कर जो छोटे से छोटे कर्मचारी हैं उनके वेतन, भत्ते इत्यादि में जो रुपये खर्च होते हैं उससे यह अनुदान संबंधित है। इस साल यह खर्चा ३ करोड़ ८२ लाख के करीब है और पिछले साल में, जैसा कि बजट लिट्रेचर से जाहिर होता है, ३ करोड़ ५८ लाख रुपया खर्च हुआ था। यह कहा जा सकता है कि कैपिटल वर्क्स में बजाय १३ करोड़ के इस साल १० ही करोड़ के करीब खर्च होगा लेकिन स्थापना में करीब २४ लाख ज्यादा खर्च हो रहा है। इसकी एक वजह यह है कि पिछले जमाने में बाढ़ से संबंधित हमारे विभाग में कुछ ऐक्टिविटीज बहुत बढ़ी हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से नये कर्मचारी उसमें रक्खे गये।

दूसरी वजह यह भी है कि हमारे पास तीन कारखाने बड़े-बड़े हैं। पिछले जमाने में काम इतना नहीं था जितना कि अब बढ़ गया है, वर्क लोड बहुत बढ़ गया है और इन कारखानों में काम भी बड़ी उपयोगिता के हो रहे हैं। हमारे विभाग के जो रिजर्वायर्स और जलाशय हैं उनके बड़े-बड़े फाटक, ट्यूबवेल्स के लिये स्लाटेड ट्यूब्स और तमाम मशीनरी हमारे वर्कशाप्स में बनने लगी है। इसकी वजह से ज्यादा आदमियों को इसमें नौकर लगाया है। एक यह भी वजह है जिसकी वजह से हमारा खर्चा बढ़ गया है। पिछले जमाने में सिंचाई विभाग के काम इतनी तेजी के साथ हुये हैं और इतने विस्तार से हुये हैं कि जिसको देखते हुये यह खर्चा कुछ भी नहीं है, अगर हम यह कहें तो कोई गलत बात न होगी।

कुछ हमारे प्रदेश का ही नहीं, सारे प्रदेश का ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि पिछले दस साल में जब से यह लड़ाई खत्म हुई है, बल्कि लड़ाई के जमाने से ही, हमारे देश में अन्न का बड़ा अभाव हो गया है और ऐसी स्थिति हो गई है कि उस जमाने में सैकड़ों करोड़ों रुपये का गल्ला हमारे देश में आने लगा। हमारे देश की ७०-८० फीसदी ग्रामीण जनता खेतीबाड़ी का काम करती है और इतना होते हुये भी हम अपने खाने भर के लिये पूरा गल्ला पैदा नहीं कर पा रहे हैं। यह बड़ी शोचनीय बात है। इतना ही नहीं जब हम गल्ला अपने खाने भर के लिये नहीं पैदा कर पाते तो जो बाहर के देश हैं उनकी तरफ हम आंख उठाकर देखते हैं और उनसे गल्ला मांगते हैं जिसके फलस्वरूप करोड़ों रुपये हर साल इस मुल्क से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाहर चले जाते हैं । जो रुपया इस देश के लिये नाना प्रकार की उन्नतियों में खर्च किया जा सकता था वह खर्च नहीं हो पाता । शुरू के ५ साल में जब काम शुरू हुआ तो तवज्जह थोड़ी सी इस ओर गयी, लेकिन जब यह समस्या बहुत गम्भीर हो गयी तब आपको यह विदित है कि हमारे यहां इस योजना का प्रादुर्भाव हुआ और उस वक्त से "अधिक अन्न उपजाओ" योजनायें हमारे देश भर में और हमारे प्रदेश में, सब जगह चलायी गयीं । हमारे हाथ में जब यह विभाग आया तो उस वक्त ५१ जिलों में से केवल ३९ जिले ऐसे थे जिनमें सिंचाई का कार्य होता था और कितने ही जिले ऐसे थे जिनके बारे में ऐसा कुछ अनुमान या खयाल बन गया था कि वहां कोई सिंचाई का काम हो ही नहीं सकता और शायद वहां के लोग हमेशा ही पानी के लिये तरसते रहेंगे । हमारे पास कुल १८,००० मील लम्बे चैनल्स थे, १८०० ट्यूबवेल्स थे और करीब ६८ लाख एकड़ जमीन की हम आबपाशी का इन्तजाम करते थे । इसके माने यह हैं कि करीब १७ फीसदी जमीन हमारी पानी पाती थी । लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना के बाद जिसमें बड़ी तेजी के साथ और रफ्तार से काम हुये हमारे इस प्रदेश में भी एक बड़ा ऐम्बीशस प्लान १९ करोड़ रुपये की लागत से बना ।

(इस समय १२ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री राम नारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये ।)

लेकिन ज्यों-ज्यों काम की प्रगति और विस्तार होता गया, लोगों का सहयोग बढ़ता गया तो वह हमारा १९ करोड़ का जो लक्ष्य था वह बढ़ते-बढ़ते ४२ करोड़ तक पहुंच गया और पिछले ५ साल में पहले पंचवर्षीय योजनाकाल में हमारे प्रदेश में १५–१६ बहुत बड़े रिजर्वायर, जलाशय बने । करीब १८,००० मील से बढ़कर २३,००० मील की हमारी नहरें हो गयीं । ५,००० से ज्यादा हमारे प्रदेश में ट्यूबवेल लगे और करीब २८ लाख एकड़ जमीन का और पानी का इन्तजाम हुआ । इतना कार्य पहले कभी भी कोई सोच भी नहीं सकता था और न इतना धन ही मिल सकता था । इन ५ सालों के अन्दर योजना काल में बहुत बड़ा काम हुआ और उसका एक नतीजा यह निकला कि हमारे इस प्रदेश में करीब ६ लाख टन गल्ला और ज्यादा पैदा हुआ जिसकी कीमत मामूली तरीके से करीब २१–२२ करोड़ रुपये के होती है और यह ६ लाख टन गल्ला हमने बहुत ही कंजरवेटिव एस्टीमेट लगाकर बतलाया है, जिसमें हमने केवल ६–७ मन गल्ला एक एकड़ में लगा कर बतलाया है । बहुत से ऐसे जिले हैं जहां दो फस्ली जमीन में काश्त हुआ करती है । अगर उसका ध्यान रखा जाय तो उससे भी ज्यादा होगा और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ जायगी ।

ये जो बड़े-बड़े काम हुये इनके अलावा हमारे यहां माइनर इरिगेशन वर्क्स, छोटे-छोटे काम भी बहुत हुये और करीब करीब हर जिले में वह देखने में आते हैं । इसकी अक्सर चर्चा होती रहती है कि इस सरकार ने पंचवर्षीय योजना के जमाने में कोई बड़ा भारी काम प्रदेश में नहीं किया, जैसे भाखरा नंगल या हीराकुंड बना है इस तरह का । मेरा अपना यह ख्याल है कि डैम्स और बड़े-बड़े काम अपनी जगह दिखाई देते हैं, लेकिन छोटे कामों से जिलों के अन्दर लोगों को बड़ा संतोष होता है और वहां की जनता को बड़ा ढाढस बंधता है कि छोटी-छोटी जगह पर भी सरकार का ध्यान इस ओर जा रहा है । इस खयाल को मद्देनजर रखते हुये जो हमारा काम है वह बड़ा संतोषजनक हुआ ।

जब हमारे यहां पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हुई और गल्ला काफी पैदा होने लगा गया था, सबका यह खयाल हुआ कि हमको बाहर से गल्ला मंगाने की जरूरत नहीं हुई तब स्वभावतः जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी उस पर ज्यादातर ध्यान अपने मुल्क के कल कारखाने बढ़ाने और इंडस्ट्रियलाइज करने की तरफ गया और वह सही भी है । हमारे देश की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जैसी गरीबी फैली हुई है तो इस जमीन के ऊपर अगर सब लग जायगा तो उससे हमारा काम नहीं बन सकता । यह आवश्यक है कि हम अपने मुल्क के अन्दर बड़े-बड़े कारखाने लगायें और उसके साथ साथ छोटे–छोटे कारखाने भी लगायें, काटेज इन्डस्टीज

[श्री राममूर्ति]

को भी गांव-गांव में बढ़ायें ताकि खेती के अलावा कुछ थोड़ी सी और भी आमदनी लोगों की बढ़ जाय और उनके रहन-सहन का स्तर कुछ ऊंचा उठे। लेकिन मैं इस संबंध में यह जरूर कहना चाहता हूं कि जहां हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आज ध्यान है वहां हम इस बात को भी नहीं भुला सकते कि देश की बहुत बड़ी जन-संख्या आज भी गांवों में रहती है और इंडस्ट्रियलाइज्ड होने में एक तो पूंजी की बहुत जरूरत होती है और दूसरे समय भी उसमें काफी लगता है। अपने मुल्क में अभी हम ऐसे कारखाने नहीं लगा पाये हैं जिनसे छोटे कारखाने बनने लग जायं यद्यपि हम उस ओर प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ध्यान रखते हुये अपने देश की रूरल एकोनामी की ओर विशेष तौर से ध्यान रखें क्योंकि निकट भविष्य में अगर हम खेती के साधनों को अच्छा बनाते हैं और खेती को इंटेंसिव करते हैं तो यह निश्चय है कि जो करीब ७०,८० फीसदी आदमी हमारे प्रदेश के खेती का काम करते हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी और जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वे उसके अनुपात में रुकी रहेंगी और कोई बड़ी भारी दिक्कत हमारे प्रदेश या देश में नहीं आयेगी।

इसी पहलू को मद्देनजर रखते हुये हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई विभाग के लिये काफी धन दिये जाने की संभावना है और करीब ३५ करोड़ रुपया इस संबंध में खर्च होगा। हो सकता है कि प्लान के खत्म होते होते अगर केंद्रीय सरकार ने हमको रुपया कुछ ज्यादा दिया तो हम अपनी प्लान को और भी आगे बढ़ा सकेंगे। यह हमारी जरूर कोशिश है कि जो ५१ जिले हमारे प्रदेश के हैं और विशेष कर जो हमारे पश्चिमी जिले हैं जहां के किसान खेती बाड़ी करने में बड़े दक्ष हैं वहां इंटेंसिव खेती की ओर हम ज्यादा ध्यान दें और जिन जिलों में अभी सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं उनकी ओर भी ज्यादा ध्यान दें। इस योजना को ध्यान में रखते हुये, गवर्नमेंट आफ इंडिया का तो बहुत एम्बिशस लक्ष्य है लेकिन हम भी इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में लगभग १,५०० ट्यूबवेल अपने प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं और कई हजार मील का चैनेल भी बढ़ाना चाहते हैं और उनके लिये बड़े-बड़े जलाशय वगैरह बनवा कर पानी का भी इन्तजाम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते करीब १९–२० लाख एकड़ जमीन को हम और ज्यादा पानी दे पायेंगे जिसके फलस्वरूप लगभग चार लाख टन गल्ला और बढ़ेगा जिसकी कीमत करीब १५–१६ करोड़ रुपये होगी। इस तरीके से हमारे यहां गल्ले की भी बढ़ोत्तरी होगी, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और हमारे प्रदेश को लगभग ३० फीसदी जमीन को पानी मिलने के साधन भी हो सकेंगे। कल मैंने बतलाया था कि १०,११ बड़ी-बड़ी योजनायें हमने ली हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरी होंगी। मैं उनके बारे में दोहराना नहीं चाहता क्योंकि कल मैंने उनके बारे में कुछ जिक्र कर दिया था, यद्यपि समय के अभाव के कारण ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं बता सका था। लेकिन चूंकि उनके बारे में लिटरेचर में दिया हुआ है इसलिये माननीय सदस्यों ने उसको देखा होगा।

इसके अलावा २,३ चीजें और हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। पिछले जमाने में पूर्व के जिलों में सदा से बाढ़ का प्रकोप रहा है, यदि यह कहा जाय कि अनादि काल से चला आ रहा है तो गलत न होगा और वहां के लोग उसकी वजह से गरीब और दुखी हो गये हैं। न मालूम कितने लोगों का यह खयाल हो गया है कि उनकी जिन्दगी और तकदीर में ही यह लिखा है कि ऐसे दुख की जिन्दगी बितायें। लेकिन हमारी सरकार इस बात की कोशिश में है कि ऐसी तकलीफात को दूर करें और उन लोगों के अन्दर एक आशा पैदा करें और इसीलिये एक बड़ी महती योजना इस सिलसिले में हम ने बनाई।

करीब २० करोड़ रुपये की योजना फ्लड के सिलसिले में हमने बनाई, लेकिन केंद्रीय सरकार ने केवल १० करोड़ रुपया हमको देने का आश्वासन दिया और यह भी आश्वासन

दिया कि अगर हम पहले ३ साल में इस रुपये को खर्च कर लें तो हमारा यह फायदा होगा कि लाखों एकड़ जमीन जो बाढ़ ग्रस्त होती है वह बच जायगी। उस पर गल्ला भी ज्यादा पैदा होगा और उससे लोगों को सुख मिलेगा। पिछले साल में हमने करीब ३ करोड़ रुपया खर्च किया और जो भाई पूर्वी जिलों से आते हैं वह इस बात को जानते हैं कि कितने विस्तार से पूर्वी जिलों में काम हुआ है। बदकिस्मती यह हुई कि हमारे इस प्रदेश का जो बीच का और पश्चिम का हिस्सा है, उसका बाढ़ से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा दैवी प्रकोप हुआ कि पिछले साल और उससे पहले पश्चिम के जिलों में भी इतनी वर्षा हुई कि जिससे उन इलाकों में भी बाढ़ आ गई और लिविंग मेमोरी (living memory) में तो लोगों को याद नहीं कि कोई ऐसा दैवी प्रकोप हुआ हो। २४ घंटे के अन्दर ३० इंच पानी बरस गया और सारा इलाका पानी में डूब गया। तो यह एक नयी समस्या थी कि वहां क्या इंतजाम किया जाय। लिहाजा हमने एक विस्तारपूर्वक परीक्षण पश्चिम के जिलों का भी कराया है ताकि जो ड्रेंस वहां बने हुये हैं उनको दुरुस्त किया जाय और उनको बढ़ाया जाय ताकि आइन्दा अगर ऐसा मौका हो तो वहां के लोगों को यह तकलीफात न हों। इसीलिये इस साल की अनुपूरक मांग में हमने करीब ३,२५,००,००० रुपया रखा है और इस रुपये से पलड के काम विस्तारपूर्वक किये जायेंगे।

एक और जरूरी बात है। पिछले जमाने में हमने अपनी ग्रामीण जनता के लिये कुछ स्वच्छ और अच्छे प्रकार का पानी देने का प्रबन्ध किया था खासकर पहाड़ और पूर्व के इलाकों में, क्योंकि पूर्व के इलाकों में पानी की सतह ऊंची है और उसके कारण बड़ा दूषित पानी तालाबों में आ जाता है जिससे नाना प्रकार की बीमारियां पूर्व के इलाकों में फैल जाती हैं। किसी का गला फट जाता है किसी का पैर फूल जाता है, आदि। हमने गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया की मदद से लगभग १,००० ट्यूब वेलों के ऊपर टंकियां बना कर जो आस-पास के गांव थे उनको पानी देने की व्यवस्था की है। १०० के ऊपर हमने टोंटियां लगाई और पहाड़ पर भी नलों के जरिये से पानी भेजने का इंतजाम किया। जो भाई पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं और जिनको वहां जाने का मौका मिलता है उनको इस बात का अनुभव होगा कि कितने ही ऐसे स्थान हैं कि जहां पर स्त्रियां, ७,८ मील जाकर पानी लाया करती हैं और कुछ लोग अपनी जिन्दगी पानी लाने और ले जाने में ही व्यतीत कर देते हैं, यह हमारे लिये अफसोस की बात है इसलिये हमने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और १७० लाख रुपया इसके लिये रखा है जैसा कि बजट में आपने देखा होगा। हम चाहते हैं कि पूर्वी जिलों में भी पानी दें और विशेषकर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें पानी का इन्तजाम करें ताकि वहां की जनता को जो तकलीफ है वह दूर हो। उनको अच्छा और इफरात में पानी मिल सके।

एक बात और है जिसको मैं आखिर में आपके सामने रखना चाहता हूं। हम तो इस कोशिश में हैं कि हम अपने विभाग में रिसर्च के काम को और आगे बढ़ायें। रिसर्च इंसान की तरक्की की बुनियादी चीज है। जो भी हमारी मौजूदा लियाकत है जब हम उसकी तरफ ज्यादा अपरोच करते हैं तभी हमारा काम आगे बढ़ता है। सिंचाई का काम बहुत बढ़ गया। हमारे इतने डैम्स, हैडवर्क्स, ट्यूबवैल्स, और नाना प्रकार के जो काम होते हैं उनका पहले हम अपने रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की व बहादुराबाद में एक अच्छे पैमाने पर तजुर्बा करते हैं। पहले यह खयाल कर लेते हैं कि जो काम हम बनाने वाले हैं वह ठीक तरीके से बनेगा या नहीं। जिस तरीके से उसको बनाना चाहते हैं उस तरीके से वह बनेगा या नहीं। पिछले जमाने में यह तजुर्बा हुआ कि इस प्रकार के तजुर्बों से हमारे कामों में बड़ी सफलता मिली। कितने ही ऐसे काम थे जिनको पहले हमने अपने रिसर्च इन्सटीट्यूट में तजुर्बा कर लिया और उन तजुर्बों के आधार पर काम प्रारम्भ किया तो उससे हमारा करोड़ों रुपये का लाभ हुआ। इससे हमारे इंजीनियरों की लियाक़त भी बढ़ती जा रही है और हमारा काम दिन प्रतिदिन पापुलर होता जा रहा है। दूसरे प्रदेश की सरकार

[श्री राममूर्ति]

जो इस प्रकार के रिजर्वायर बना रहे हैं वह उसका एक्सपैरीमेंट करने के लिये पहले हमारे यहां भेजते हैं जिससे हमारे तजुर्बे से वे लाभ उठा सकें।

हमारे यहां रिसर्च के कई सेक्शन हैं। हमारे यहां कुछ स्वायल लेबोरेट्रीज हैं जिनमें जमीन की जांच पड़ताल होती है। जब हम कोई रिजर्वायर बनाते हैं तो देखते हैं कि इसके नीचे का स्थल कैसा है, पानी निकल तो नहीं जायगा। लड़र बनाते हैं तो उसकी मिट्टी को देखते हैं। इस तरह से वहां पर स्वायल का काम देखा जाता है।

इसी तरह से रिसर्च इन्सटीट्यूट में डिजाइन का काम भी होता है। दूसरे मुल्कों में तो इस पर बहुत खर्च किया जाता है। अमेरिका और रूस में तो मालूम हुआ है कि ५० हजार इंजीनियर तक इसी काम में लगे रहते हैं। हमने इस प्रदेश में इसको बढ़ावा दिया है और मेरा यह खयाल है कि आगे चलकर एक डिजाइन का बृहत्तर सर्किल अपने यहां कायम कर सकेंगे। इस समय इस काम को इंजीनियर कर रहे हैं। डिजाइन करने से पहले मालूम हो जाता है कि उस निर्माण पर कितना व्यय होने वाला है। बहुत बार उसमें मुनाफा भी होता है। अभी पिछले दिनों में रिहन्ड डैम को देखने के लिये गया था। वहां पर मालूम हुआ कि डिजाइन को देखने से वहां रिहन्ड डैम में करीब १ करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इस तरह से हमारे यहां डिजाइन का काम हो रहा है।

हमने एक लायब्रेरी भी कायम की है जिसमें अपटुडेट किताबों को रखा जाता है ताकि हमारे इंजीनियर उनको पढ़ सकें और अपनी लियाकत को अप टु डेट बना सकें। जगह-जगह जो काम होते हैं उनके लिटरेचर को वहां पर रखा जाता है, जो डैटा होता है वह भी उसमें रखा जाता है। एक आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि हमने जो सर्वे करायी थी और पिछली जो हमारी स्कीम्स थीं उनको पहली और दूसरी योजना में शामिल कर लिया गया है। उन पर काम हो रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि जो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना आ रही है उसके लिये हम योजना बनायें और सर्वे करायें। हमारा यह विचार है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के ४ साल समाप्त होते-होते या अगर मुमकिन हो सके तो उससे पहले भी हम तीसरी योजना को तैयार करके सेंटर के पास भेज दें ताकि वे उसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लें। केंद्रीय सरकार ने भी अपनी तरफ से ऐसे इंस्टीट्यूशन्स कायम किये हैं और उन्हीं का लिहाज रखते हुये हमने भी उनको कायम किया है और सर्वे कराया जा रहा है। वैसे इसके लिये २५ लाख रुपया रक्खा गया है। इस साल के बजट में भी ९ लाख रुपया रक्खा गया है लेकिन चूंकि काफी समय गुजर चुका है इसलिये सिर्फ ५ लाख रुपया ही कदाचित हम खर्च कर पायेंगे। ये ४–५ बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र करना मैंने आवश्यक समझा।

एक बात और है कि सिंचाई विभाग का काम इतना बढ़ गया है कि उससे करीब-करीब १ लाख आदमियों को साल भर तक रोजगार मिलता है। २० हजार के करीब स्किल्ड लेबर (skilled labour) हैं जिसमें मेसंस और मेशीनरी चलाने वाले लोग हैं और ८० हजार नानस्किल्ड लेबरर (non-skilled labourer) हैं। यह भी एक बड़ी भारी बात है चूंकि आजकल बहुत बेरोजगारी फैली हुई है। ज्यों-ज्यों हमारे काम बढ़ रहे हैं त्यो-त्यों हम सबके लिये एक बहुत बड़ी तादाद में रोजगार दे सकेंगे और उससे लोगों की ४ पैसे की आमदनी बढ़ेगी।

मैंने मोटे तरीके से जो इस संबंध में जिक्र करना था, कर दिया। आगे जो माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे उसका उत्तर आखिर में मैं देने की कोशिश करूंगा। अब मैं अपने साथी सदस्यों से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे इस अनुदान को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिंचाई व्यवस्था के व्यय पर संपूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी का प्रस्ताव करता हूं।

जहां तक देश में और प्रांत में पानी का सवाल है, वह सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके कारण अपने प्रदेश का ही नहीं बल्कि अपने देश का अधिकांश भाग, बिहार और बंगाल हर वर्ष प्रत्येक बरसात में तबाही का कारण बनता है । हमारे देश में इसके लिये करोड़ों रुपये की योजनायें हैं, बड़े-बड़े बांध बनाये जा रहे हैं, इंजीनियर्स दिन रात लगे हुये हैं और इसी के लिये लगे हुये हैं कि हम अपने पानी की व्यवस्था को ठीक करें । इसमें कोई संदेह नहीं कि शरीर की तरह ही अपने प्रांत या देश के लिये पानी की व्यवस्था बड़ी आवश्यक है। जिस शरीर में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होती, जो शरीर अपने पानी का दुरुपयोग करता है, उसकी क्या हालत होती है इसको मेरे सभी साथी जानते हैं। उसी तरह से जिस देश में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होती है उसकी क्या दुर्दशा होती है जिसका रोज रोना रोया जाता है, यह भी सबको विदित है। इसका क्या कारण है? किस प्रकार से इसको ठीक करें, यह आज एक राष्ट्रीय विषय है। सारे प्रांत में हर बरसात में त्राहि त्राहि मचने लगती है। पश्चिम की बात तो अभी आपने कही लेकिन पूर्व में तो रोज ही पुकार मची रहती है और उसके कारण गरीबी और बेकारी तमाम चीजें आती हैं। तो यदि हम केवल पानी की ही व्यवस्था ठीक कर लें अपने देश की और खासतौर से अपने प्रांत की जो इस देश का सिरमौर है, तो हम बहुत से लोगों को बचा पायेंगे। हमारी अन्न की समस्या तथा और भी समस्यायें सभी इसी के ऊपर निर्भर हैं और इसमें कोई शक व संदेह नहीं कि इस सरकार के बड़े-बड़े ओहदेदार बड़ी ईमानदारी से इसको हल करने में लगे हुये हैं । उनका सबसे बड़ा यही उद्देश्य है कि वे किस प्रकार राष्ट्र निर्माण करें लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ बेचारों की मजबूरियां हैं। उनको सोचना पड़ता है दूसरों के मस्तिष्क से, उन्हें देखना पड़ता है दूसरों की आंखों से और उनको सुनना भी पड़ता है दूसरों के कानों से । उनके पास अपना कुछ नहीं है और शायद जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की योजनाएं बनी हैं वे निर्माण-कारी होंगी या नाशकारी होंगी, शायद उसका भी अन्दाजा वे नहीं कर पाते ? छोड़ दिया है पानी की व्यवस्था को उन लोगों के पास उन लोगों के हाथों में जिन्होंने देश में बराबर नाम कमाया है पहली हुकूमत में और आज ९ वर्ष की हुकूमत में भी वह नौकरशाही इनकी नाकों नकेल डाले हुये है। क्या उस नकेल के बल पर ही सरकार कहती है कि हम निर्माण करेंगे? जिसने नाश करना सीखा है वह निर्माण कर सकता है ? जिसे नाश करना सिखलाया है वह निर्माण करेगा ? मेरे मित्र कुछ इंजीनियर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, मैं आगे चल कर बतलाऊंगा कि किस योजना से पानी की समस्या हल हो सकती है और हमारा देश और प्रांत हरा भरा बन सकता है।

रूस और अमेरिका की बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये हमारे इंजीनियर्स के पास मस्तिष्क नहीं है। साधनों के लिये और पैसे के लिये आप रोज रोना रोया करते हैं। जिस बात के लिये देखिये पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, लेकिन आपके पास पैसा होने से ही काम नहीं चलने वाला है। आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति जो मानव शक्ति है उसका उपयोग कर सकते हैं। यह बात दूसरी है कि उनका उपयोग करने में इनका मस्तिष्क न जाने कहां रहता है, उनके मस्तिष्क को मैं क्या कहूं ?

हमारे देश में जो अंग्रेज थे वे जो कुछ थे वह तो थे ही, लेकिन ये खद्दरपोश पुरुष तो उनसे भी आगे बढ़ गये हैं। इनको तो बस रात दिन कार की ही धुन सवार रहती है। आज जहां कहीं भी देख लीजिये जगह जगह कोठी, कार, कांचन, कामिनी व शैय्या, सुरा, सुन्दरी और शिकार की ही कामना है। ऐसी गलत कामना वालों के मस्तिष्क से हम निर्माण की क्या आशा करें ? जिनका अधिकांश समय कहां बीतता है, शिकार, सुरा, शैय्या और सुन्दरियों में उनसे हम आशा करें कि ये देश का निर्माण करेंगे ? मैं आपसे

[श्री रामसिंह चौहान वैद्य]

कहता हूं कि यह बालू में से तेल निकालने की बात है। यदि आप चाहते हैं कि प्रांत का पूर्ण रूप से निर्माण हो तो नौकरशाही से दूर रहें जिसने आपके ऊपर पूर्ण अधिकार कर लिया है। नौकरशाही जो कहती है आप करते हैं। आप अपने मस्तिष्क से काम लीजिये, अपने साथियों से, राष्ट्र प्रेमियों से काम लीजिये, उनको आंखों से देखिये। रोज शिकायतें होती हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। केवल नौकरशाही के बल पर आप चलते हैं। तो आप बतलावें कि निर्माण का काम कैसे हो सकता है? हमारे पूर्वी प्रांत के गरीबों की झोपड़ियां बह गयीं, बिहार बह गया, बंगाल बह गया लेकिन आपके यहां शिकार, शैय्या, सुन्दरी तथा सुरा पान होता रहा। फिर पानी की व्यवस्था कहां से हो? आज देश का चरित्र कहां जा रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायत है।

श्री उपाध्यक्ष--आप जरा सिंचाई पर ही ज्यादा जोर दें, देश के चरित्र वगैरह की बात न करें। सिंचाई विभाग पर ही बोलें।

श्री रामसिंह चौहान--श्रीमन्, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार की वजह से ही पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, इसी को तो हम रो रहे हैं। नहर विभाग में तरह-तरह की शिकायतें रोज होती हैं और कहा जाता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है गड़-बड़ियां हो रही हैं, जांच करवाइये, इस तरह की आवाजें रोज उठती हैं। जांच करने के रोज सवाल उठते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं।

यह मैंने थोड़ी सी बात आप को इस संबंध में बताई, लेकिन प्रश्न यह है कि व्यवस्था कैसे ठीक हो? पानी का खेती के लिये बहुत बड़ा मूल्य है और उसकी कमी के कारण अक्सर हमारे यहां अकाल पड़ जाते हैं, कभी अनावृष्टि के कारण और कभी अतिवृष्टि के कारण। तो अनावृष्टि या अतिवृष्टि तो प्राकृतिक चीज है उसके लिये हमारे पास कोई सुझाव नहीं है, परन्तु मुझे आशा है कि मेरे साथी और मेरे मित्र किसी जमाने के, जो इस समय इस विभाग के मंत्री हैं और जिन्होंने अभी अपना भाषण दिया है, उन्हें मुझे कुछ सुझाव इस संबंध में देने हैं। वे सुझाव यह हैं कि हमको पानी प्राप्त होता है वर्षा से और बरफ से। वर्षा अधिक होती है तो अधिक पानी मिलता है और जब बरफ अधिक पड़ती है तो अधिक पानी मिलता है और कम पड़ती है तो पानी कम मिलता है। प्रकृति तो बहुत उदार है वह जब देने को आती है तो छप्पर फाड़ कर देती है।

अब सवाल यह है कि किस प्रकार उस पानी को हम उपयोग में लायें। हमारे देश में और हमारे प्रांत में पानी के लिये एक पुरानी व्यवस्था थी और वह यह थी कि शायद ही कोई ऐसा गांव हो कि जिसमें ५-६ छोटे या बड़े आवश्यकतानुसार जलाशय न हों, कहीं वह कच्चे और कहीं पक्के होते थे। विदेशी व्यापारी यहां आये, उन्होंने अपनी शोषण की भूख पानी भी अच्छी तरह से बुझाई और पानी की व्यवस्था को भी एक शोषण का जरिया बना लिया। मैंने यह बार-बार देखा है कि इंजीनियर्स आते थे, दौरा करते थे और नहरें चलती थीं। उस समय पानी दिया जाता था केवल बोने के समय, या पलेवा करने के लिये और उस वक्त नहरों के सब साधन खुल जाते थे लेकिन जब बोकर और जोत कर फसल की तैयारी की बात आती थी तो उनकी वह नहरें सूखने लगती थीं। इस तरह से उनकी आबपाशी सीधी हो जाती थी और बाद में पानी नहीं मिलता था, वही मनोवृत्ति अब तक जारी है। इस तरह से विदेशियों द्वारा और नौकरशाही द्वारा वह जलाशय नष्ट कर दिये गये और सोचा गया कि अगर यह जलाशय रहेंगे तो उन से लाखों एकड़ की आबपाशी हो जायगी और इस तरह से हमारी आय घट जायगी और इस कारण से उन्होंने जहां-जहां नहरों की व्यवस्था की वहां उन्होंने तमाम तालाबों को पाट दिया और कहा गया कि अब तालाबों का कोई उपयोग नहीं रह गया है और छोटे-छोटे जलाशयों से कोई लाभ नहीं है।

यह भी ठीक है कि जल का नियंत्रण हम नदी घाटी योजनाओं से ही शुरू करें। बहुत सी घाटियां हैं, नदियों ने बड़ी-बड़ी, लम्बी-लम्बी घाटियां बना दी हैं। अपने दो वर्ष के अज्ञातवास में पहाड़ों में, हिमालय में मैंने देखा है, वहां बहुत दिन घूमा हूं, जहां बहुत काफी पानी इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत कम खर्च से उन घाटियों में छोटे-छोटे बंधे बना करके, जैसे आप मैदान में बनाते हैं, पहाड़ों पर भी नदियों की घाटियों में पानी एकत्रित कर सकते हैं। छोटी-छोटी योजनायें बना करके वहां के पानी का नियंत्रण करना शुरू कीजिये।

इसके बाद आपने जगह-जगह नदियों को नाथा है, गंगा का बांध भी है, रामगंगा का भी है, आपने उनके सहारे ट्यूबवैल भी बनाये हैं और आपने ऐसी जगह भी ट्यूबवेल बनाने की बात सोची है जहां हजारों फीट तक पानी नहीं मिलता है। मैंने खुद देखा है कि इस तरह के जहां एक आध कुयें हैं तो उनमें आसपास के कुओं का पानी खिंच आता है नतीजा यह होता है कि आस पास के गांवों के लोग प्यासे मर जाते हैं तो आप ऊपर से नीचे तक स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे काम कीजिये, उनसे जगह-जगह के लोगों को काम देने की भी व्यवस्था होगी। गांवों-गांवों में जो जलाशय नष्ट कर दिये गये हैं उनका पुनर्निर्माण कराइये और करोड़ों की जो आप बड़ी-बड़ी स्कीम बनाये हैं इससे हमारा काम नहीं होगा। तालाब बनाने की बात मैं बताता हूं। आपको गांवों में पंचायतें बनानी हैं, स्कूल बनाने हैं अस्पताल बनाने हैं तो उनके लिये थोड़ा कचरा दे दीजिये तो लोग वहां भट्टे बनाने लगेंगे जिससे प्राकृतिक रूप से तालाब खुद बन जायेंगे। अगर आपने यह नहीं किया तो आप गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। बड़ी-बड़ी योजनायें रूस और अमेरिका की भांति छोड़िये और गांव-गांव से शुरू करें व ऊपर से नदियों को बांधना शुरू करें।

आपकी निरन्तर जहां-जहां नहरें बही हैं वहां गर्की पड़ी है। मैंने देखा है कि गांव के गांव पानी में डूबे हुये हैं लेकिन उन खेतों की मालगुजारी वसूल करने में सरकार नहीं हिचकती और गरीबों को मारने की बात करती है। उनके पालने की बात नहीं करती है मैं आपसे बताता हूं कि जहां गर्की है वहां ट्यूबवैल लगावें जिससे वहां का पानी खिंच आये। आप बाह में जो ट्यूबवेल लगाने की बात करते हैं तो मैं आपसे बताता हूं कि वहां आपके ट्यूबवेल सफल नहीं हो सकते क्योंकि रेवाइन्स ने वहां पानी को इतना नीचे कर दिया है जिसको.....

श्री उपाध्यक्ष---आप अब अपना भाषण बन्द कीजिये क्योंकि आपको बाद में भी जवाब देना होगा।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---जी मैं खत्म कर रहा हूं। तो मैंने आपको कुछ योजनायें बतायीं कि इस तरह से काम कीजिये और जो आपके विभागों में थोड़ा सा भ्रष्टाचार चल रहा है जिसकी शिकायतें सभी करते हैं, उसके लिये अपनी भी आंखें खोलें और अपने साथियों की बातों को मान कर उनसे भी कुछ काम लीजिये। केवल उन लोगों पर जिनको कि कभी राष्ट्र प्रेम नहीं रहा है, जिनका प्रेम कहीं और लगा हुआ है, भरोसा न करके राष्ट्र निर्माण और प्रांत निर्माण की जो पानी की योजनायें हैं इनको सुव्यवस्थित करने के लिये हमारा और साथियों का, सारे देश के बच्चों का साथ लीजिये तब आपकी योजनायें सफल हो सकेंगी। तब कहीं इनकी गरीबी दूर हो सकेगी, दुष्काल, अकाल, अनावृष्टि और बेकारी की समस्या हल हो पायेगी। मुझे समय फिर मिलेगा तो और कुछ बात जो होगी उसे बताऊंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की खाद्यान्न उत्पत्ति के लिये और खुशहाली को अपने देश और प्रदेश में बढ़ाने के लिये यह अत्यन्त ही आवश्यक है कि सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाय। यह खुशी का मौका है कि

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

पिछली पांचसाला योजना में भी काफी इसके ऊपर गौर हुआ। लेकिन जिस प्रगति से इसमें कार्य हुआ है और कितना काम करना अभी बाकी है अगर उसको देखा जाय तो यह समझा जायगा कि जो प्रगति अभी तक की है वह शून्य के बराबर है। अभी हमारे प्रदेश में २,९२,००,००० एकड़ जमीन का सिंचन नहीं होता है और ४,००,००० एकड़ नई जमीन की सिंचाई की व्यवस्था एक साल में यह विभाग कर पाता है। अगर ४,००,००० एकड़ एक साल के हिसाब से २,९२,००,००० एकड़ का हिसाब लगाया जाय तो शायद, मैं कुछ बहुत बड़ा हिसाब लगाने वाला आदमी तो नहीं हूं लेकिन शायद ७३ साल के करीब लग जायेंगे। जब तक कि सिंचाई हम चप्पे-चप्पे पर न कर दें उस वक्त तक न हम फूड प्राब्लम को हल कर सकेंगे और न हम अपने प्रदेश के किसानों को और किसानों से संबंधित मजदूरों और दूसरे लोगों की आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकेंगे। साथ ही यह भी है कि जहां पर सिंचाई व्यवस्था मौजूद है वहां भी अभी तक केवल ४० प्रतिशत पानी की व्यवस्था है। खास तौर पर मेरठ और आगरा डिवीजन के किसान शतप्रतिशत सिंचाई करना चाहते हैं और आज अपने तरीकों से सिंचाई की व्यवस्था कर भी रहे हैं। ऐसी हालत में हमें इसके ऊपर और खास तवज्जह देने की जरूरत है जिससे कि हम सिंचाई की व्यवस्था को और तीव्रता दे सकें और जो एकरेज हमारा प्रतिवर्ष सिंचाई का बढ़ता है उससे अधिक एकरेज हमारा बढ़ सके।

दूसरे मुझे यह भी अर्ज करना है कि अक्सर सिंचाई के मेंटिनेंस कार्यों के ऊपर जो खर्चे होते हैं उसमें कुछ लूपहोल्स रह जाते हैं। जितनी नहर की पटरियों, डिस्ट्रीब्यूटरीज और जितने ड्रेन्स की मरम्मत होती है या इस तरह के और कार्य होते हैं उसमें जितना धन सरकार की ओर से दिया जाता है उस धन का ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। मेरा इसमें यह नम्र निवेदन है कि अगर माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करें कि जिन जिन स्थानों पर ऐसे ऐसे कार्य किये जायं वहां पर जिम्मेदार व्यक्तियों से व ग्रामसभाओं के प्रधानों से हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय ज्ञात करें, जिस समय वह भ्रमण के लिये वहां पर पहुंचें तो उन लोगों से भी, या अगर सब डिस्ट्रीब्यूटरीज आदि पर वह न पहुंच सकें तो किसी न किसी स्थान पर अपने दौरे की सूचना ग्राम सभा के प्रधानों व अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को इस नीयत से दें कि वह उनसे पूछें कि उनके हल्के में जो सिंचन विभाग की तरफ से कार्य किया गया है वह संतोषजनक है या नहीं है या उन्हें कोई शिकायत है। सफाई जो नियम से होनी थी वह हो सकी है या नहीं। जो रुपया खर्च किया गया है वह ठीक है या नहीं। इस प्रकार अगर हम इसमें उनकी भी राय लें तो बहुत कुछ सुधार ला सकते हैं।

ट्यूबवैल्स के रेट्स के ऊपर मैं खास तौर से तवज्जह दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में जितने भी ईस्ट में ट्यूब वेल बने हैं वहां गरीबी और ऊंची रेट की वजह से ट्यूबवेल का पानी हमारे बहुत से काश्तकार भाई नहीं लेते हैं। वेस्ट में भी बहुत ज्यादा ट्यूबवेल के पानी की शरह है। बम्बई में १२० रुपये प्रति एकड़ पानी की शरह है और हमारे यू०पी० में ३२ रुपये है। लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि बम्बई में ३५ पानी मिलता है और जब मैं वहां वालचन्द नगर एक मीटिंग में गया था तो वहां के आदमियों ने एक प्रस्ताव रखा था कि ३५ के बजाय ४५ पानी दिया जाना चाहिये। १२० रुपया जो फी एकड़ की आबपाशी है तो वहां उनको ३५ पानी मिलता है और यहां ३२ रुपये पर मुश्किल से पांच तक पानी मिलता है। उस पर भी जहां पर्याप्त मात्रा में और ठीक समय पर पानी मिलने का सवाल है वहां खास तौर पर काश्तकार बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और ट्यूबवेल्स के बारे में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उसकी शरह इतनी ज्यादा है कि वह इस प्रदेश के बहुत से किसानों के लिये असहनीय है और वह उससे पानी लेने में असमर्थ हैं। इससे क्या लाभ हुआ अगर ट्यूबवेल आपके

बेकार पड़े रहे, जितना धन आपने लगाया वह बेकार पड़ा रहा। अगर रेट कम हो तो ट्यूबवेल भी चलेंगे, किसान पैदा भी ज्यादा कर सकेगा और उसकी आर्थिक दशा भी सुधरेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सिर्फ एक चीज बना दी इतना ही काफी नहीं है। बनी हुई चीज पड़ी न रहे इस बात का भी ध्यान होना चाहिये। बल्कि जो धन व्यय हुआ है मंत्री जी देखें कि उससे प्रदेश के कल्याण में, किसान के आर्थिक जीवन को बनाने में और उसके साथ-साथ पैदावार को बढ़ाने में वह कामयाबी के साथ कितनी इमदाद कर सकें हैं, जैसी कि वह किसानों की इमदाद करने की कोशिश करते हैं।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि तावान के केसेज के सिलसिले में अक्सर यह देखा जाता है कि हमारे इंजीनियर्स या उनके जिलेदार किसानों पर जो तावान लगा देते हैं उसके लिये किसानों को पूरा मौका नहीं दिया जाता। जब उनको जरूरत के मुताबिक और समय पर पानी नहीं मिलता तो वे पटरी काट देते हैं। दो-दो तीन-तीन मील ऊपर पटरियां काटी जाती हैं लेकिन मौके पर कोई जांच नहीं होती और अगर किसानों को मौका देते हैं सुनवाई के लिये तो नहर की कोठी पर बैठ कर और पतरोल (Patrol) जो बात कहता है उसको इंजीनियर साहब वजन देते हैं। इसलिये किसानों के साथ अन्याय होता है। कैनाल मैनुअल व ड्रेनेज ऐक्ट जो बना है वह १०० साल का हो गया। इधर इर्रीगेशन के साथ-साथ और चीजों में भी कितना परिवर्तन हुआ है और कितनी उन्नति हुई है। लोगों के विचारों में और उनकी स्कीमों में बड़े परिवर्तन हो गये हैं। लेकिन इस कैनाल ड्रेनेज ऐक्ट में कोई तरमीम नहीं हुई और न ही इसके ऊपर कोई विचार किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री महोदय को उस ऐक्ट में तरमीम करना चाहिये क्योंकि हालात को देखते हुये यह एक अत्यन्त आवश्यक चीज हो गई है।

जहां तक ड्रेनेज का मामला है हमारे वेस्टर्न यू०पी० में पिछले साल बहुत से हिस्सों में अतिवृष्टि के कारण फसलें बरबाद हो गई थीं, फूड प्रोडक्शन के लिये इर्रीगेशन की व्यवस्था की जाती है। लेकिन नहर और ट्यूबवेल्स के होते हुये अगर ड्रेनेज की व्यवस्था बिगड़ जाती है तो फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है अतः उसकी तरफ खास तवज्जह दी जानी चाहिये। मुझे अफसोस है कि पिछले दो सालों से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ व बुलन्दशहर के जिलों में ड्रेनेज की जो व्यवस्था होनी चाहिये थी उसकी तरफ तवज्जह कम दी गई, जिसकी वजह से फसलों की बरबादी बढ़ी है। उस तरफ खास तौर से तवज्जह देने की जरूरत है।

एक सुझाव यह भी है कि जिस प्रकार प्रदेश के स्तर पर चीफ इंजीनियर ट्यूबवेल्स व कैनाल दोनों के हैं जो ठीक ढंग से अन्दाज लगाये रहते हैं कि कहां कहां ट्यूबवेल्स और कैनाल्स की कैसी व्यवस्था है उसी प्रकार सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के स्तर पर ट्यूबवेल्स और कैनाल की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि एक एस०ई० पर थोड़ा एरिया हो और वह उस एरिया को ठीक तरह से देख सकें। इससे खर्च कम होगा और इन्तजाम भी बेहतर होगा।

आखिर में यह सुझाव माननीय मंत्री जी को दे देना मुनासिब समझता हूं कि अक्सर हमने यह देखा है कि ट्यूबवेल्स नहरी विभाग के जरिये बनाये जाते हैं लेकिन समय पर सरकारी ट्यूबवेल्स के लिये बिजली नहीं मिल पाती। बिजली का मुहकमा दूसरे के हाथ में है और इर्रीगेशन का मुहकमा दूसरे के हाथ में है। अगर दोनों एक मंत्री के हाथ में हों तो व्यवस्था ठीक चल सकती है और इससे किसान को भी फायदा होगा, देश के उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

चौधरी खजान सिंह (जिला उन्नाव)---माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे साथियों ने अभी जो सुझाव दिये हैं वे ठीक हैं। मामला यह है कि एक इधर से सुझाव दिया था कि कैनाल इंजीनियर्स के हाथों में यह सरकार चल रही है, वह ठीक है। मंत्री महोदय

[चौधरी खजान सिंह]

ज्यादातर उनकी बातों को मानते हैं और इसमें देश का रुपया ज्यादा खर्च होता है। पहले अंग्रेजों के जमाने में, जब अंग्रेज यह देखता था कि हमारे इर्रीगेशन के व्यापार में कमी आ रही है और इर्रीगेशन नहीं होता, इस पर रेवेन्यू कम हासिल हो रहा है, तो उन्होंने देश में तालाबों से नाले निकाले और नालों के जरिये तालाबों का पानी नदी में डाल दिया। उससे किसानों को बहुत ही नुक्सान हुआ। कभी हमारी इस सरकार ने इस पर ध्यान दिया है? जो पहले से होता आ रहा है वही चल रहा है। सरकार को देखना चाहिये कि आबपाशी किसानों के फायदे के लिये करनी है, देश के फायदे के लिये जिससे उत्पादन हो, लेकिन यहां अब भी सरकार यह सोच रही है कि कुछ नफे के लिये हो, किसान चाहे जहां जाय कुछ ही हो, यहां तो इंजीनियर्स उसी जमाने के हैं, वे वैसे ही बने हुये हैं। वह यह नहीं सोचते कि देश का लाभ हो, या उत्पादक को लाभ हो। वह तो यह चाहते हैं कि रेवेन्यू बढ़े। जब नीति ऐसी है कर्मचारियों की, और अधिकारियों की और साथ-साथ में . . . खैर आगे नहीं कहूंगा, तब कहां प्रगति हो सकती है? निर्माण नहीं हो सकता है न पानी की सहूलियत हो सकती है, न इसको सुलझाया जा सकता है, बल्कि रुपया ज्यादा खर्च होता जायगा और पानी की दिक्कत बढ़ती जायगी और बढ़ रही है।

अभी मैं आप से यह अर्ज करूं कि जो हमारे भाई ने सुझाव दिया था पहाड़ों का कि छोटी छोटी घाटियां, जिन में पानी काफी आता है उनके बन्धे ऊपर से बांधे जायं तो वह ठीक होगा। मैंने सारदा कैनाल देखी है। आजकल तो यह कहना कि कैनाल डिपार्टमेंट तो पानी दे रहा है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है क्योंकि पहाड़ पर पानी बरस रहा है और काफी पानी आ रहा है, चाहे जिस तरह से छोड़े और इस जमाने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन नवम्बर और दिसम्बर में तो कैनाल डिपार्टमेंट का दिवाला निकल जाता है और किसान रोता रहता है, कभी-कभी छोड़ दिया, कभी-कभी बन्द। कहते हैं कि इधर छोड़ा गया, इसलिये उधर पानी नहीं आया और उधर छोड़ा गया, इधर नहीं आया। मैं तो उन्नाव का जिक्र करता हूं, वहां का मुझे काफी तजुर्बा है कि जहां दिसम्बर आया, कैनाल बन्द। जब दाने में दूध पड़ता है और पानी की हमें जरूरत होती है। कहने लगते हैं कि नहर बहुत ज्यादा लम्बी हो गई, अभी तालाब भरा नहीं और पानी थोड़ा है, इसलिये नहीं दिया जा सकता। लिहाजा ये दिक्कतें उनके सामने भी पेश हैं। हमारे मंत्री महोदय नहर बढ़ाते रहते हैं और वह चलते हैं उन्हीं के बल बूते पर जो खुशामद करने में लगे ही रहते हैं। जरा खुशामद की, बस राजी। औरों से भी आप मशविरा लीजिये और आप खुद इंसाफ कीजिये कि हम क्या कर रहे हैं। उनकी खुशामद में क्यों आ रहे हैं? तभी पानी आ सकता है।

हमारी उन्नाव ब्रांच का पानी दिसम्बर में खत्म हो जाता है। जब आबपाशी की जरूरत होती है तब पानी नहीं मिलता। इंजीनियरों की ऐसी वृत्ति है कि पहले जमाने से चले आते हैं, उनके लिये देश जहन्नुम में जाय, उत्पादन या उत्पादक जहन्नुम में जाय, उनको रेवेन्यू बढ़ा देना एक दफा पानी देकर के, बस उनके सब काम पूरे हो गये। तो उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये मंत्री महोदय से मैं अर्ज करता हूं कि सिंचाई की व्यवस्था को देखें।

एक बात और है। कल्टीवेटर गूल जो कैनाल से निकल कर खेत में जाती है आबपाशी के लिये उस पर कोई ध्यान नहीं देता। किसानों में इतना संगठन नहीं है कि मिलकर उसकी सफाई कर लें, लेकिन नहर वाले चाहते हैं कि वाकई ये सफाई न करें और न करें तो हमारा पानी आगे को चला जाय। इनके यहां एक दफा तो आबपाशी हो गयी है, फिर जरूरत क्या है, रेवेन्यू हमारा बढ़ ही जायगा। तो कल्टीवेटर गूल की सफाई वगैरह का इन्तजाम गवर्नमेंट अपने हाथ में ले। इससे आबपाशी अच्छी होगी क्योंकि उस हालत में वह कुलाबा नहर से अपने हिस्से का पानी लेकर किसानों को दे देगा।

इसके अलावा यह भी एक उल्टी बात है कि प्यास तो मुझको लगे और इन्तजाम कोई और करे। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इरीगेशन का मुहकमा क्यों नहीं दे दिया जाता। ऐग्रीकल्चर वाले जानते हैं कि पानी की जरूरत किस वक्त होती है। किसान के हाथ में पानी का इन्तजाम हो तो जब जरूरत होगी तब वह आबपाशी करेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि कल्टीवेटर गूल को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले और पानी का इन्तजाम ऐग्रीकल्चर मुहकमे में दे और इंजीनियरों की बातों में ज्यादा न आये।

एक अर्ज मुझे और करनी है कि जो झील और तालाब से अंग्रेजी गवर्नमेंट के जमाने में नाले निकाले गये थे वे बन्द कर दिये जायं या जब तक बारिश हो तब तक नाले चलें और बारिश बन्द होने के करीब वे रेगूलेटर बन्द कर दिये जायं। किसी इंजीनियर के चार्ज में वे दे दिये जायं जो इसका इन्तजाम करे। इससे रबी की आबपाशी के लिये पानी मिल जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---एक बात मुझे कहनी है कि आज आपने शायद दस मिनट अन्य वक्ताओं के लिये रखा है। तो एक सुझाव मेरा यह है अगर आप लोग उसे स्वीकार करें कि टाइम आप सात मिनट ही रखें लेकिन अगर कोई माननीय वक्ता विशेष रूप से बोलना चाहें तो शुरू में ही कह दें कि मैं कुछ ज्यादा बोलना चाहता हूं और अगर उनके भाषण में रेपीटीशन वगैरह नहीं हुआ और भाषण अच्छा हुआ तो उनको दस मिनट दे दिये जायेंगे।

श्री त्रिलोकी सिंह---लेकिन श्रीमन्, यह तय कौन करेगा कि उनका भाषण अच्छा हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो चेयर ही तय करेगी। आप क्या दस ही मिनट चाहते हैं ?

श्री त्रिलोकी सिंह---जी हां।

श्री उपाध्यक्ष---तो दस ही मिनट रखा जायगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---मैं माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस अनुदान को उत्तर प्रदेश की लगभग ७५ फीसदी जनता के जीवन से निकट संबंध होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूं। जब हम इस विधान सभा के सदस्य और सभी लोग इस कोशिश में हैं और यहां का हर एक व्यक्ति अपने दिल में एक आग-सी रखता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण करें तो जब यह मद हमारे सामने आती है तो फौरन हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित होता है कि जितना भी बल इस बजट को मिल सके उतना ही ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण हो सकता है। मेरा तो यह निश्चित मत है और मेरा दिमाग इस माने में साफ है कि पिछले पांच साल के अन्दर इस विभाग द्वारा जितना कार्य हुआ है वह बहुत ही सराहनीय है। इसमें कोई शुबहा करने की बात नहीं है क्योंकि अगर यहां आंकड़ों की बात होती तब तो यह बात कही जा सकती थी कि ये आंकड़े गलत हैं या सही बातें नहीं लिखी गयी हैं लेकिन यहां तो आंखों से देखने की बातें हैं। मैं बड़े ताज्जुब में पड़ा कि जब हमारे कटमोशन पेश करने वाले भाई ने एक ऐसी स्पीच दे डाली यहां पर और मैं शायद न बोलता लेकिन उनकी स्पीच से प्रेरणा ले कर ही मुझे बोलना पड़ा। उन्होंने ऐसे गैरजिम्मेदाराना तरीके से सदन के अन्दर .....

श्री उपाध्यक्ष---आप इस "गैरजिम्मेदाराना" शब्द को वापस ले लें।

श्री रामेश्वर प्रसाद---मैं वापस लेता हूं। ऐसे ढंग से उन्होंने अपना भाषण किया कि मैं सोच रहा था कि शायद वह इस प्रदेश के बाहर के कोई व्यक्ति हैं। किस तरह की बात वह कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। मेरे उन भाई को शायद कभी उन प्लान्स को देखने का मौका नहीं मिला। मैं उनसे कहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा दौरा करने की

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

कोशिश करें या निगाह डालने की कोशिश करें। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि आज इतनी बड़ी-बड़ी नहरें और डैम्स चला दिये गये हैं। इसी लखनऊ में आज वह देखें कि कितना बड़ा दरिया खोदा गया है। किसान उसको देख कर चकाचौंध हो जाते हैं कि इस तरह के भी प्लान्स बन सकते हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या वह विदेश में रहते हैं जिससे यह सारी बातें उनकी निगाह में नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप आलोचना न करें। आलोचना करने का आपको हक है, लेकिन इतनी तेजी के साथ और सब बातों को भूल कर आलोचना करना बहुत ही ज्यादती की बात होती है।

आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि यह इंजीनियर्स कामिनी और सुरा में जिन्दगी व्यतीत करते हैं, उसी में पड़े हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वह कैसे इस बात को कह सके। शायद उनका कोई संबंध उन इंजीनियर्स से नहीं है। नये-नये चुन कर इस सदन में आये हैं। मुझे इस सदन में ५ साल रहने का सौभाग्य मिला है। मैं कहता हूं कि अगर वह इन इंजीनियर्स के साथ जा कर उनको देखने की कोशिश करें तो उनको कुछ और ही बात मालूम होगी। कितने ही इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जिनके दिमागों से नयी-नयी स्कीमें निकल कर आपके सामने आया करती हैं। उनकी नीयत पर शुबहा करने की कोई बात नहीं है। यह ज्यादती होगी अगर हम उनके किये कराये काम को क्रिटिसाइज करके उनकी नीयत पर हमला करें। हो सकता है कि हमारे माननीय सदस्य की निगाहों में कोई स्पेसिफिक केस हो, लेकिन उसको जनरालाइज कर देना ठीक नहीं है। मैं तो समझता हूं कि उन्हीं के दिमाग की बदौलत इस उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में एक कायाकल्प होने जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वरप्रसाद—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उस वक्त अपने विरोधी भाइयों की, जिन्होंने कटमोशन पेश किया है, बातों का जवाब दे रहा था। मैं उनसे यह बता रहा था कि जो उन्होंने इस तरह से इंजीनियर्स के कैरेक्टर को कंडेम करने की कोशिश की है मुझे उसके लिये बड़ा दुख है। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के शब्द उनके प्रति कहे गये उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल देना चाहिये क्योंकि जो व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं है और मासूम हैं उनके खिलाफ इस विधान सभा में हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें तो यह एक ज्यादती होगी। मैं तो समझता हूं कि हमारे विरोधी भाई जो यह सब बातें उस वक्त कर रहे थे उनको शायद इस विभाग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो अपने कहने में जरा भी शक नहीं करता और न अपने ऊपर इस तरह से परदा डालने की कोशिश करता हूं। मैं जनता का प्रतिनिधि होने के नाते यह कबूल करने के लिये तैयार हूं कि उन लोगों में ऐसे आदमी भी हैं जिनका चरित्र हममें से बहुतों से ऊंचा है। मैं यह भी मानने के लिये तैयार हूं कि उनकी राष्ट्र भावना और राष्ट्र को उन्नत करने की भावना किसी तरह से कम नहीं है। उन लोगों के अन्दर भी अपने देश को बनाने की लगन है और उसी भावना से वह काम करते हैं। इसलिये इस प्रकार से एक रौ में आकर बात करना उनके साथ ज्यादती है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके उनके हक के साथ ज्यादती करना है जो यहां पर जवाब नहीं दे सकते।

एक सुझाव इसके बाद उन्होंने यह दिया कि जो तालाब हैं उनको पक्का कर दिया जाय मेरी समझ में यह नहीं आता कि अगर यह पंचायत का बजट होता तो वे कहते कि सत्ता को विकेंद्रित करने के लिये पंचायतों का संगठन किया जाय। यह एक मानने की बात

हो सकती थी, लेकिन सिंचाई विभाग की आलोचना करते हुये उन्होंने यह कहा कि बड़े-बड़े डैम और नहर जो खोदी जा रही हैं उनको बन्द कर दिया जाय और इन छोटे तालाबों को पक्का कर दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि यह उनकी नयी इंजीनियरिंग कहां से निकली? हो सकता है यह उनकी अपनी इंजीनियरिंग हो, लेकिन इस प्रदेश में जो नहर और डैम बन रहे हैं उनके लिये किसान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब पूरे हों और उनकी माली हालत सुधरे। क्या आप समझ सकते हैं कि उन गांवों के तालाबों को पक्का करने से किसानों को उन्नति मिल सकती है? मैं समझता हूं कि जो जमीन की प्यास है वह उससे नहीं बुझ सकती है। यह कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं है। तालाब भी तो ऐसे होते हैं जो अनसरटेन हैं। कभी रैंस हुये और कभी नहीं हुये। अगर रैंस नहीं होते हैं तो किसानों का भाग्य अनसरटेन रह जाता है। इसलिये ऐसा सुझाव होना चाहिये जिससे आगे चलकर अपने देश की सम्पत्ति बढ़ती रहे। इसको मैं अच्छी बात नहीं समझता हूं कि तालाबों को पक्का कर दिया जाय। हां, जो सिंचाई करना चाहें, करें, कौन रोकता है?

चौधरी खजानसिंह जी ने कहा कि लोगों की राय नहीं ली जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे कहा? माननीय सदस्य यहां सब अपनी राय देते हैं, उसका असर हमारे माननीय मंत्री जी पर होता है। उससे वे सीखते हैं और काम करते हैं। सिंचाई समिति में यहां के सदस्य होते हैं और नान-आफीशल्स भी होते हैं। सब लोगों की राय से काम किया जाता है, तो फिर इस तरीके से बातें क्यों कही जाती हैं?

समय कम है, मैं दो एक सुझाव भी देना चाहता हूं। ओसराबन्दी की फीस ली जाती है। वह जनता के कल्याण के लिये होती है और उसे माफ होना चाहिये। दूसरी बात ड्रेनेज की है। उनका मेन्टीनेंस भी जारी रखना चाहिये। उनके अधूरे रहने से पिछले गाँव की समस्या तो कुछ हल हो जाती है लेकिन आगे वाले में बाढ़ आ जाती है और तबाह हो जाता है। इसके साथ ही एक नहर गूढ़ामबहा की तरफ में आपका ध्यान दिलाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता––आप का समय समाप्त हो गया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस १ रुपये की कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मंत्री जी ने बतलाया कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है और यहां खेती के मामले में अधिक ध्यान देना चाहिये। ८० फीसदी लोग यहां के खेती करते हैं और इसके लिये सिंचाई सब से प्रमुख उपकरण है। इस पर अधिक से अधिक ध्यान सरकार का होना चाहिये। लेकिन किस प्रकार के कार्य इसके बारे में सरकार ने किये हैं, मैं उनके बारे में बतलाना चाहता हूं। मैं प्रत्येक वर्ष के आंकड़े देकर सदन का समय नहीं लूंगा, केवल एवरेज बताऊंगा। सन् १९४१ से लेकर ४६ तक प्रतिवर्ष का एवरेज सिंचाई का ५७ लाख एकड़ का है, सन् ५१ से ५६ तक का ६८ लाख एकड़ एवरेज है, यानी पूरे १०-११ वर्ष लगातार प्रयत्न के बाद हम ११ लाख एकड़ की उन्नति कर पाये हैं। यह अंग्रेजों के बाद की है जब से हमारी सरकार बनी है। इसमें ५५ करोड़ रुपया सर्फ़ हुआ है। अगर इसका हिसाब लगावें तो ५०० रु० प्रति एकड़ कैपिटल व्यय सिंचाई का है। यू० एस० ए० में यह ३२५ रुपया है और दूसरे देशों के आंकड़े इससे काफ़ी कम हैं।

जरा हम देखें कि इस गतिविधि से हमारी क्या हालत होगी। पूरे प्रदेश में ४ करोड़, १ लाख एकड़ जमीन है, जिसमें २ करोड़ ९२ लाख एकड़ अनइरीगेटेड है। तो जिस हिसाब से हमारा सिंचाई का काम चल रहा है उससे यह कार्य प्रायः ३०० वर्षों में जाकर समाप्त होगा तब इस पूरे प्रदेश की, एक-एक इंच भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह गतिविधि पर्याप्त है? क्या उनकी योजना ५ वर्ष की या १० वर्ष की है या पूरे ३०० वर्ष की है जिसमें सिंचाई का कार्य समाप्त होगा? मंत्री जी बड़े जोश से कहते हैं कि उन्होंने बड़ा सिंचाई का कल्याण किया है? मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसी ऐसी योजना

[श्री गौरीशंकर]

है जिस पर उनको नाज है ? एक योजना अंग्रेजों की सारदा कैनाल की है और उसके मुकाबले में कोई योजना आप की है ? रिहंद डैम, विद्युत और जल की चर्चा आप करते हैं लेकिन क्या आप इस पर संतुष्ट हैं ? मैं समझता हूं कि इस पर आप को सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये। आप को सिंचाई के और नजदीक आने का प्रयास करना चाहिये। अभी तक आपने जो सिंचाई का साधन दिया है उससे केवल १२ फ़ीसदी जमीन पर सिंचाई आप के बनाये हुये जरियों से होती है, बाक़ी सिंचाई किसान अपनी मेहनत से करता है । नहर का टैक्स आप लेते हैं और उसका तरीक़ा भी बड़ा विचित्र है। गेहूं की सिंचाई २ बार और गन्ने की ५ बार होनी चाहिये। तब जाकर आप टैक्स लेने के हक़दार होते हैं। लेकिन सरकारी नियम है कि एक बार या दो बार सिंचाई हो जाय और पूरे साल की सिंचाई ली जाय । जब किसान को नहरों से पानी देने का समय आता है तो उनकी सफ़ाई होने लगती है और बाद में जब पानी की आवश्यकता ख़त्म हो जाती है तब पानी मिलता है। आपके पानी का इनटेक क्या है ? कितनी पानी की चैनल्स आपने बनायीं हैं और दोनों में अनुपात क्या है ? पहले से अब आधा अनुपात हो गया है। २ और १ का अनुपात है। पहले से अब के क्यूजेक्स और चैनल्स में दुगुना फर्क है। आपने पानी की इनटेक को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया या नहीं बढ़ा पाये, लेकिन पानी के चैनल्स को जरूर बढ़ा दिया है।

सिंचाई विभाग के प्रशासन की बात है। एस्टीमेट्स कमेटी ने तय किया कि सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर की पोस्ट तोड़ देनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि इस पर एक बार भी विचार हुआ। जब माननीय सदस्य इंजीनियरों की आलोचना करते हैं तो हमारे कुछ मित्रों को बड़ा बुरा लगता है। वे उनकी ईमानदारी सदस्यों की ईमानदारी से ऊंची बतलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य की ओर दृष्टिपात नहीं किया जाता है। एक इंजीनियर से जो काम हो सकता है, अगर ५ या १० इंजीनियर बढ़ाने से अधिक काम हो तो वह काम कर सकते हैं। ट्यूबवेल के बारे में बड़ी आलोचनायें हुईं। मैं सरकार से कहूंगा कि जितने ट्यूबवेल्स हैं उनके सिलसिले में कामों की आलोचनाओं की जांच के लिये एक कमेटी बनावें जो सारी शिकायतों की जांच करे। जैसा कि आप कहते हैं कि उनका नैतिक स्तर बड़े ऊंचे लोगों से भी ऊंचा हो गया है, यदि ऐसा साबित हुआ तो बड़े गौरव की बात होगी। उनकी नैतिकता की बात नहीं होती है। बात होती है सार्वजनिक ढंग से अपव्यय की और हमारे टैक्स के एक-एक पैसे के दुरुपयोग की। यदि १०० रुपये खर्च कर के केवल १० ही रुपये का काम होता है तो उसके लिये कष्ट होता है। यहां यह विवाद नहीं है कि हमारे इंजीनियर्स का चरित्र और देशभक्ति ऊंची है या नहीं ।

मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने अन्न की समस्या बहुत कुछ हल कर दी है। मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाक़ी है और अन्न की कमी पूरी तब अच्छी तरह से हो सकती है जब कि सरकारी विभाग एक दूसरे से मिल कर काम करें। खेती और सिंचाई विभाग एक ही मंत्री के पास हों तो अधिक अच्छा है। अब यह हो रहा है कि ट्यूबवेल तो आप ने बना दिया लेकिन खेती का विभाग कुछ नहीं कर पाता है और खेती आगे नहीं बढ़ पाती है। सभी साधनों को एकत्र किये बिना खेती का काम आगे नहीं बढ़ेगा। मैं समझता हूं, अगर असंगत न हो तो यह कहने का साहस करूं कि शिक्षा और पुलिस जैसे बड़े-बड़े विभागों को एक मंत्री के सिर पर बोझ रूप में न रख कर अगर एग्रीकल्चर और सिंचाई के महकमों को एक मंत्री के सुपुर्द कर दिया जाय तो ज्यादा समझदारी की बात होगी और काम ज्यादा सुचारुरूप से चलेगा और काम का लेखा-जोखा ठीक से हो सकेगा, लेकिन इस प्रकार का जो एकीकरण है असंगत प्रतीत होता है ।

रही बात भ्रष्टाचार की। कल भी मैंने उस पर प्रकाश डाला था और माननीय मंत्री जी ने कहा भी था कि जांच करायेंगे। मैं सदन से और सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आलोचना मात्र से यह बात नहीं कही गयी है बल्कि प्रत्येक आदमी इस बात को महसूस करता है कि जितना भ्रष्टाचार सिंचाई विभाग में है उतना कहीं नहीं है। जिसकी जैसी तबियत होती

है, वैसा करता है। यह गाजीपुर का सवाल न मालूम कितने दिनों से चल रहा है, बीसों तरह की बातें उसके बारे में मालूम हुई हैं। इस सिलसिले में जिन लोगों ने जांच करायी थी, उनको संतोष नहीं है और उनका कहना है कि अगर फिर से जांच हो तो वे साबित करने को तैयार हैं। माननीय मंत्री जी को यह न सोचना चाहिये कि हमारा बहुमत है, हम बजट को तो पास करा ही लेंगे, बल्कि उनको इस विभाग के दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिये तभी हम ऊपर उठ सकते हैं और हमें सफलता मिल सकती है।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)––अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस मुहकमे का ताल्लुक है, इर्रीगेशन के काम में फैलाव हुआ है, इस हकीकत से तो इंकार नहीं किया जा सकता। यह वाकया है कि ट्यूबवैल्स बढ़े हैं, नहरें खुदी हैं, और इस तरीके से काम का फैलाव हुआ है और उस पर जैसा कि मुझे बताया गया है गालिबन ४२ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। बड़ी मुश्किल है, इस बात को मानने में कौन सी फिगर्स ठीक हैं लेकिन ये फिगर्स मैंने राज्य मंत्री महोदय से ही जानने की कोशिश की।

अब सवाल यह रह जाता है कि इतना जो रुपया खर्च हुआ है, उस रुपये के खर्च होने से कितने लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। जब इस नजरिये से देखा जाता है तो जो फिगर्स मेरे पास हैं, जो मैंने अभी मंगाई है उनसे यह मालूम पड़ता है कि जब कि सन् ४६–४७ में ५४,५३,७७६ एकड़ में सिंचाई होती थी ५५–५६ में ६३,८३,३०२ एकड़ में सिंचाई हुई है, यानी करीब साढ़े नौ लाख एकड़ में सिंचाई बढ़ी है। जितने रकबे में सिंचाई बढ़ी है उससे जरूर ही लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी कहा गया कि इससे दो बातों का जरूर पता चलता है–एक तो यह कि हमारी स्पीड काफी स्लो है और दूसरी यह कि हमारा काम खर्चीला बहुत है। खर्च ज्यादा हुआ है, स्पीड कम है। इसमें हमें तब्दीली करने की जरूरत है और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं यह समझता हूं कि जो यह देरी होती है उसके लिये किसी को दोषी ठहराया जाय, यह बहुत मुनासिब मालूम नहीं होता है। जो लोग सर्विसेज वाले हैं अगर उनसे पूछा जाय तो मालूम होता है कि उनके ऊपर हमसे भी बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं। हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें काम बहुत ही आहिस्ता चलता है। अब बजट पास होगा, एक दो महीने के बाद मुहकमे में जायगा। मुहकमे वाले एक-एक आइटम को भेजेंगे और अक्तूबर, नवम्बर तक काम की शुरुआत होगी और मार्च में जाकर फिक्र होगी कि काम को जल्दी से खत्म किया जाय। मार्च के महीने में जल्दी से रुपया खर्च कर दिया जाता है। तो हमारा यह एन्टायर प्रोसीजर ही ग़लत है। किसी व्यक्ति को दोष देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें उस प्रसीजर को ही बदलने की कोशिश करनी है। अब समय बदल गया है और अगर हम उसका अहसास नहीं करेंगे तो पैसे का दुरुपयोग होगा और मार्च में सारा रुपया बेतहाशा खर्च किया जाता रहेगा और ८–९ महीने तक एक-एक आइटम पर सांप की तरह से बैठे रहेंगे। नतीजा उसका यह होता है कि काम की जितनी प्रगति होनी चाहिये उतनी नहीं होती है। इसलिये अगर वाकई हम चाहते हैं कि काम जल्दी हो तो इन दस सालों में हमको काफी मौका मिला है अपने सिस्टम की कुछ त्रुटियों को जानने का और उस से फायदा उठाना चाहिये।

दूसरी बात भ्रष्टाचर की की गयी है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज में है, वह दूर कैसे हो? मेरा ख्याल है कि भ्रष्टाचार को जितना ही रोकने की कोशिश हो रही है और जितनी ही इसकी चर्चा की जाती है, उतना ही भ्रष्टाचार जिन्दगी के हर शोबे में बढ़ता जा रहा है और उसका कारण जो मैं समझता हूं वह यह है कि मूल पर जो अटैक होना चाहिये वह हम नहीं करते हैं। हमारे यहां की जो प्लानिंग है वह कंट्रेक्टर प्लानिंग है। सही माने में उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, न मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, न कांग्रेस पार्टी का कंट्रीब्यूशन होता है। मिनिस्टर सिर्फ बजट का रुपया देने का मालिक होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोबिन्द सहाय]

असल में प्लानिंग के दो फैक्टर हैं, एक तो टेक्निकल पर्सनेल और दूसरे प्राइवेट कंट्रेक्टर। प्राइवेट कंट्रेक्टर्स के सोचने की आबोहवा कुछ दूसरी ही होती है। मैं समझता हूं कि उसका नजरिया यही होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनावें और उसको बनाने के लिये कुदरतन उसकी ख्वाहिश होती है कि वह करप्ट करे। खुद करप्ट होता है और दूसरों को करप्ट करता है। तो इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि बहुत चर्चा इस सदन में भी होती है सोशलिज्म की। सोशलिज्म का प्रारम्भिक कदम यह है कि सरकार काम को फैलावे, पब्लिक सेक्टर को फैलावे, कोआपरेटिव बेसिस पर फैलावे। सरकारी काम में सरकारी मशीनरी होती है। अगर कोई भी स्टेट एंटरप्राइज हो तो मौजूदा हालत में इनएफिशिएंसी तो जरूर होगी लेकिन करप्शन कम होगा। एक प्राइवेट आदमी करप्शन करने की हिम्मत कर सकता है क्योंकि उनका सारा ढांचा उसी तरीके का बना हुआ होता है, लेकिन जो सरकारी मशीनरी में होते हैं, उनमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि अगर इरीगेशन विभाग के कामों में कोआपरेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाय तो इसमें बहुत कुछ सुधार हो सकता है। आज जिस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में हम चल रहे हैं उसमें तो सरकार द्वारा जो काम किये जाते हैं वे भी इन चीजों से नहीं बच सकते हैं। वहां तो इनएफिशिएंसी आयेगी ही, लेकिन हमारी सरकारी सर्विसेज का जो पर्सनल है वह उस नजरिये को नहीं मानने वाला है। फिर भी मेरा खयाल है कि अगर इस प्रपोजल पर गौर किया जाय तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। अभी दिल्ली के अन्दर जमुना के बाढ़ को रोकने के लिये एक डैम बनाया गया जिसको भारत सेवक समाज ने बनाया। यह कोई मौका नहीं है कि मैं भारत सेवक समाज का प्रचार करूं, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि वहां के लोगों ने अपने श्रम से उसको बनाया, उसमें पैसा कम लगा। तो जिस वक्त जमुना ने दिल्ली पर हमला किया तो दिल्ली के सारे लोगों का कहना था, क्योंकि उनके अन्दर एक भावना थी जिसको वे महसूस करते थे और लोग रेलों में कहते थे कि यह पुश्ता नहीं टूटेगा क्योंकि यह लोगों के परिश्रम से बना है।

तो इरीगेशन वर्क के लिये कुछ एंथुजियाज्म समाज में पैदा हो तभी उसका कुछ कार्य हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये कोई एंटरप्राइज चलायी जाय तो चाहे शुरू में उसमें मुनाफा न हो लेकिन उससे लोगों के अन्दर एक स्पिरिट आयेगी जिससे करप्शन काफी हद तक दूर हो सकेगा। रोज-रोज करप्शन का नाम सुनते-सुनते, उसने हमको इतना कमजोर कर दिया है कि अगर कोई शख्स यह कहे कि मेरे जिले में एक पुलिया को बनाने में ५० लाख रु० का इम्बेजिलमेंट हुआ है तो उसके ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। फिर भी जो समाज के अन्दर करप्शन है उसको दूर करने की कोशिश करनी ही चाहिये। आज हमारा सामाजिक संगठन ऐसा है, हमारी फिलासफी ऐसी है जिसमें मां अपने बच्चे से कहती है कि बेटा दुनिया में कुछ काम नहीं आता है, कोई किसी का नहीं है, पैसा ही है जो अपना है और जो काम आता है। तो इस तरह से हमारे अन्दर जो यह सोशल थाट है उसको हटाना पड़ेगा तभी हम प्राइवेट प्रैक्टिस से इसको दूर कर सकेंगे।

मैं इस खयाल का हूं कि एक खास प्लानिंग होनी चाहिये। जैसे, कहा जाता है कि पश्चिमी जिलों में ज्यादा कुएं हैं तो पूर्वी जिलों में कुएं जरूर होने चाहिये। मैं समझता हूं कि इससे कोई गलत न समझ ले। पूर्व से मेरा कोई कम लगाव नहीं है लेकिन जो कुएं वहां बनाए गये हैं उनके बारे में हमें यह देखना होगा कि उनके पानी का ठीक प्रयोग उनकी लागत को देखते हुये वहां हो रहा है या नहीं। मेरी मालूमात है कि जो कुयें वहां पर ६०० घंटा पानी देते हैं और चलाये जाते हैं वह इधर पश्चिमी जिलों में ६००० घंटे चलाये जाते हैं। इसके माने यह हैं कि हमें यह देखना चाहिये कि जो पैसा किसी चीज में लगा रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं और हमारे पैसा लगाने से हमें उसका लाभ ठीक मात्रा में मिलता है या नहीं, यह चीज हमें प्लान बनाने से पहले ही देखनी चाहिये।

हमारे पूर्वी जिले पिछड़े हैं इसमें कोई शक नहीं है। उन पर हमें पैसा खूब खर्च करना चाहिये, लेकिन इसमें कोई नकल की बात नहीं होनी चाहिये। बल्कि देखने की बात है कि अगर हम ट्यूबवेल बनाते हैं या नहर बनाते हैं तो उसका ठीक उपयोग होता है या नहीं, या वहां तालाब या किस चीज से अधिक लाभ मिलेगा। इसका नतीजा यह होरहा है कि हमारे लोगों में एक ऐसी भावना पैदा होती जाती है कि 'स्टेट एन्टरप्राइज इज ए फेल्योर' (State enterprize is a failure) और लोग समझते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और पब्लिक का पैसा बरबाद होता है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि स्टेट एन्टरप्राइज की तरफ से लोगों की आस्था घटती जाती है और मेरा खयाल है कि यह चीज स्टेट के लिये बहुत खतरनाक है। प्लानिंग हमारा इस तरीके का होना चाहिये कि जिस चीज की जहां जरूरत है वह वहां के लिये ज्यादा रखी जाय और इस बात का खयाल रखा जाय कि जो पैसा हम किसी चीज में लगाते हैं उसके नतीजे भी उसके मुताबिक मुनासिब हों और अच्छे हों। मेरा खयाल है कि हमारा इस दरम्यान में एक सोचने का ऐसा ढंग सा बन गया है कि अगर गांवों का सुधार हो, या कहीं का सुधार हो तो पहले आफिसर्स के रहने के मकान अच्छे बन जायं या तरक्की का पहला काम यही है कि या तो ट्यूबवेल बन जायं या कुछ न बने, लेकिन मैं समझता हूं यह कोई होशियारी की बात नहीं है और न इस तरह से कोई प्लानिंग ही हो सकता है। चीन की हालत शुरू में बहुत खराब थी, उनकी मैन पावर बहुत थी, उन्होंने अपने यहां ५ मिलियन कुएं पहले बनाये, उनके सामने सवाल था कि किस तरह से बढ़ी हुई मेनपावर को फौरन् काम में लगाया जाय। तो हमें प्लानिंग के समय ही देखना चाहिये कि अगर कहीं कुएं की जरूरत है तो वहां कुआं हम बनायें, कहीं टैंक की जरूरत है तो वहां टैंक बनायें और नहर की जरूरत है तो नहर बनावें और अपने इन कामों में हम जनता को साथ लेकर चलें, उसमें यह भावना पैदा कर दें कि हमारे यह काम सारे समाज के लिये हैं और इस तरह से गवर्नमेंटल स्कीम्स को जनता की भावना के साथ चलाया जाय। आज लोगों का दृष्टिकोण कुछ ऐसा हो गया है कि लोग समझते हैं कि सरकार का काम है पानी देना, सरकार का काम है बिजली देना। अभी हमारे यहां इस तरह की आबोहवा पैदा नहीं की गई है और वह हालात पैदा नहीं किये गये हैं कि जिससे जनता यह समझे कि यह सब चीजें हमारे सहयोग और परिश्रम से ही सफल हो सकती हैं, और जो मजदूर है वह यह न समझे कि मैं ठेकेदार के लिये काम कर रहा हूं, वह यह न समझे कि मैं रेहन्ड डैम के ठेकेदार के लिये काम कर रहा हूं बल्कि वह यह समझने लगे कि मेरे इस आज के काम से, मेरी आज की इस मेहनत और परिश्रम से मेरी औलाद और कौम का लाभ होगा। यह सब चीज तभी हो सकती है कि जब कोआपरेटिव स्पिरिट से जनता का सहयोग लेकर चला जाय।

दूसरे हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिये कि हमें जहां जिस चीज की जरूरत है वहां उसी चीज का प्रयोग हो और उचित प्रयोग हो ताकि जो पैसा उसमें लगे उसका उचित लाभ हमें मिले। यदि हम ने लोगों में यह विचार न पैदा किये तो हमारी इस सोशलिस्ट एकनामी में सोशलिज्म के माने लोग इनएफीशियेन्सी समझेंगे, इसके माने लोग लूट समझेंगे और मुनाफाखोरी समझेंगे। हम भी चाहते हैं कि सिंचाई के महकमे में तरक्की हो।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैं इस सदन में बैठा हुआ बराबर इस वादविवाद को सुनता रहा। सरकार के पक्ष की ओर से, आज से नहीं, मैं पिछले सेशन से भी देख रहा हूं कि हम जो बात कहें वह विरोध के रूप में होती है और उसी बात को उस तरफ का कोई सदस्य अगर कहे तो वह एक सुझाव के रूप में आ जाती है। मैं नहीं समझता कि यह बात ठीक है। मैं आप को बता दूं कि इस प्रदेश में जो सिंचाई का काम चला, उसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना तो बीत चुकी और अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है। इसमें जितना रुपया खर्च हुआ, उसके आंकड़े हमारे बंधु सदन के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। मैं उन आंकड़ों की तरफ न जा कर के इस सरकार की जो नीति है और जनता के पैसे का अपव्यय हो रहा है, उसको बताना चाहता हूं।

[श्री मलिखान सिंह]

श्रीमन्, मैंने गांवों में देखा, बम्बे बढ़ रहे हैं, उनके जो कुलाबे हैं उनको ६ इंच की जगह पर ४ या ५ इंच किया जा रहा है, जिसके कारण गांवों में खेत सूखे रह जाते हैं। उसका परिणाम यह है कि लोग उन जगहों पर रहट लगा रहे हैं, बम्बे का पानी नहीं ले रहे हैं। ऐसी हालत पश्चिमी जिलों में देखी है कि बराबर रहट का इस्तेमाल हो रहा है और नहरें एक-एक महीने के लिये चलायी जाती हैं। इसके अलावा बम्बे बढ़ाने का और नाले निकालने का जो तरीका है वह गांवों के चारों तरफ से निकाले जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बरसात में गांव का पानी कहीं भी नहीं जा सकता है, जिसके कारण गावों में गर्की हो जाती है। यदि कोई गांव का काश्तकार उस समय नहर काट लेता है उस भरे हुये पानी को निकालने के लिये तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। सूखा पड़ता है तो उसके लिये अगर पानी में कोई गड़-बड़ करते हैं तो तावान लगा दिया जाता है और मुकदमें चलाये जाते हैं।

ट्यूब वेल बने। हमारे मंत्री जी ने बताया कि हमने १ लाख लोगों को काम दिया। लेकिन मंत्री जी उस तरफ भी देखें कि जहां ट्यूब वेल हैं वहां के बड़े-बड़े काश्तकारों को तो लाभ हुआ और छोटे काश्तकार २५-२५ बीघे वाले अपने पैर से जमीन को सिंचाई कर लेते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किन्तु हर फसल पर उनको भराई देनी पड़ती है। साथ ही गांवों का बिना पढ़ा-लिखा मजदूर बेकार हो गया। मैंने स्वयं देखा है कि उस पैर पर ३-४ आदमी काम करते थे, वे सब अब बेकार हो गये। उन्होंने चना का साग खा कर के, आलू खा कर के दिन व्यतीत किये।

मंत्री जी ने जो बेकारी के आंकड़े दिये उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उन्होंने यह नहीं देखा कि कितने लोग बेकार हुये। इधर हम देख रहे हैं कि नहर का सिंचाई टैक्स बराबर बढ़ता जा रहा है, ३४ रु० फी एकड़ ईख की भराई देनी पड़ती है और ३ रु० फी बीघा गेहूं की, चाहे पानी एक ही दें, लेकिन भराई पूरी लग जायगी। मंत्री जी जरा सोचें कि हम प्लान तो बड़ी-बड़ी बनाने जा रहे हैं, लेकिन किसान जो टैक्स से दबता चला जा रहा है उसके सम्बन्ध में भी तो सोचें कि उनको कैसे राहत हो।

अब जहां तक करप्शन का सम्बन्ध है मैं कहूंगा कि स्वतंत्रता के बाद वह बढ़ा ही है। उसका कारण हम लोग हैं, जो जनता में जा कर के उनके गलत काम करने के लिये तैयार हो जाते हैं। मैं बताऊं कि तैमानें की एक रिपोर्ट के ऊपर वहां के जिला कांग्रेस प्रेसीडेंट ने यह लिखा कि वास्तव में इतना नुक्सान हुआ है ओलों से, और इनको छट देनी चाहिये, मैंने मंत्री जी से कहा तो जवाब मिला कि उन्हें चुनाव जीतना है इसलिए लिख दिया। मैं नहीं कह सकता कि कौन गलती पर है। जब हमारे ऐसे संस्कार होंगे, गलत काम करने वाले हमी में से होंगे तो हम लांछन किस पर लगायें? जहां तक ठेकेदारी का प्रश्न है, मैं माननीय, गोविन्द सहाय जी के सजेशन को मानने के लिये तैयार हूं, और मंत्री जी से कहूंगा कि वह उसके सम्बन्ध में विचार करें। जितने भी गवर्नमेंट के ठेके दिये जाते हैं वह सहकारिता के आधार पर दिये जायें। सहकारिता के आधार पर यदि ठेके दिये जायेंगे तो इतना करप्शन नहीं होगा।

मैं आप के द्वारा इस सदन को बता देना चाहता हूं कि जो इर्रीगेशन के कार्य से हम यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पानी देकर के हमने इतना अन्न बढ़ाया, अन्न के आंकड़े आप ने प्रस्तुत किये, मैं उससे बिलकुल सहमत नहीं हूं। आज जहां पर नहरें खोदी गई हैं वहां छः-सात साल पहले जहां साठ-साठ हाथ नीचे पानी निकलता है था वहां आज यह स्थिति हो गई है कि चार-चार हाथ पर पानी आ गया है। पैदावार के लिये तीन चीजों की आवश्यकता होती है, स्वायल, हीट एन्ड वाटर। अकेले पानी हो पानी से खेती नहीं हो सकती। उसके लिये गर्मी की भी आवश्यकता होती है। बरसात में जो ज्यादा पानी पड़ जाता है उसकी क्या व्यवस्था आपने की है? ट्यूब-वेल्स का यह हाल है कि ट्यूबवेल्स पानी नहीं देते और जब वह पानी नहीं देते तो काश्तकार अपने पैरों के द्वारा खेत भरना चाहता है। लेकिन उस के सामने अब एक बड़ी समस्या यह आ

गई कि ट्यूबवेल की नालयां बनी हुई हैं जिसकी वजह से उनके खेत कुओं से अलग हो गये हैं। अब वह पानी ले जाते हैं तो या तो उन नालियों के नीचे से ले जायं या ऊपर से ले जायं, तब भरें, या खेत को सूखा हुआ छोड़ दें। जब वह वहां के आपरेटर से कहते हैं कि हमको नीचे से ही निकालने दो तो नहीं, वहां इर्रीगेशन ला लागू होता है। ट्यूबवेल उतना पानी नहीं दे पाते हैं जितनी कि वहां जरूरत है, क्योंकि एरिया उनका बढ़ा दिया है, लेकिन ट्यूबवेल कम हैं। किसान इससे परेशान हो जाता है। अगर वह अपने पैर से काम चलना भी चाहता है तो भी मजबूर हो जाता है।

एक और चीज मैं बतला रहा हूं कि जो इस इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट में नौकरशाही से काम होता है उसके जरिये भी लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। मैंने स्वयं उदाहरण देखे हैं कि जिन लोगों से रंजिश है, अगर वह बड़े आदमी हैं, तो उनको दिखा दिया कि फलानी पटरी पर से तुम्हारी मोटर जा रही थी। उनका चालान कर दिया गया। उस समय यह नहीं देखा जाता कि किसी पब्लिक के आदमी ने देखा या नहीं। उनके अमीन वगैरह होते हैं, उनकी ही गवाही होती है। उसी से उन पर जुर्माना कर दिया जाता है और फिर केस लखनऊ का है तो कानपुर में चलेगा। केस कुरावनी का है तो चलेगा इटावा के पास में। इस प्रकार की व्यवस्था है।

श्रीमन् मैं आपके द्वारा इस सदन को बता देना चाहता हूं कि इस विभाग में सारा काम नौकरशाही से ही हो रहा है। नौकर कुछ भी लिखकर के भेज दे उसे मानते हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा फिर इधर आकर्षित करूंगा कि जहां इंजीनियर्स के बारे में मेरे मित्र ने कुछ बुराई कर दी तो बड़ा बुरा लगा। लेकिन ठेकेदारों से कमीशन वह इंजीनियर्स लेते हैं। जो कमीशन वे लेते हैं वह ओवरसियर्स से बंधा हुआ है। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि वह क्या करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। इसलिए हम उन्ही से कहेंगे कि आखिर यह जनता के पैसे का जो अपव्यय हो रहा है उसके लिए हम किसको लांछित करें, किसको जिम्मेदार ठहरायें? हमें मजबूर होकर आज यह कहना पड़ रहा है। लेकिन इधर से जो बात होगी वह विरोध के लिए होगी।

*चौधरी दाता राम (जिला सहारनपुर)––अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई का काम हमारे प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने इसमें काफी काम किया है। हम यह कह सकते हैं कि काम बहुत ढीलेपन से हो रहा है, उतना काम नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिये, लेकिन फिर भी इतना तो मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारे इस प्रदेश में सिंचाई का काम बहुत ज्यादा हुआ है और काफी उससे संतोष होता है। लेकिन एक बात मुझे जो कहनी है वह यह कि हमारे पश्चिमी जिलों में पूर्वी जमुना नहर है, जो उत्तर प्रदेश में सब से पुरानी है। मुगल सल्तनत के जमाने की शायद यह नहर है और १७१८ ई० में बनी थी। उसका पिछले दिनों से कुछ सुधार तो होने लगा है लेकिन उसका कोई आज तक वारिस नहीं था। उस नहर से काफी आमदनी होती है, लेकिन उसके सुधार की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई। खैर पिछले तीन सालों से उसकी तरफ तवज्जह दी गई है और कुछ सुधार हुआ है। लेकिन उसमें जो एक सब से बड़ी कमी है उसकी तरफ अभी तक तवज्जह नहीं दी गई। उसके हेडवर्क्स में सबसे बड़ी खराबी यह है कि जब पहाड़ों पर पानी बरसता है तो वह बन्द कर दिया जाता है, जिससे किसानों के खेत सूख जाते हैं और जब किसानों के खेत सूख जाते हैं तो पता यह चलता है कि उसमें पत्थर भर गये, रेत भर गया। इससे पानी नहर में नहीं आता। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके सम्बन्ध में कोई स्कीम बना रहे हैं और जल्द से जल्द माननीय मंत्री जी उसे ठीक कराने की कोशिश करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी दाता राम]

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि मैं उस जिले से आता हूं जहां पर पंजाब व उत्तर प्रदेश के बीच में जमुना नदी पड़ती है। पिछले दो सालों से जमुना नदी में बाढ़ आने की वजह से करीब डेढ़ सौ गांव सहारनपुर के बरबाद हो जाते हैं। शायद इतने ही गांव मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों के भी बरबाद हो जाते होंगे। पंजाब सरकार ने अपने उस किनारे पर एक बहुत जबरदस्त बांध बना दिया है। हमने पिछले दो सालों से काफी शोर मचाया कि पंजाब सरकार ने जमुना नदी के रुख को ही बदल दिया। उन्होंने बांध बांध कर उत्तर प्रदेश की तरफ पानी का बहाव कर दिया है और तारीफ की बात यह है कि जब पानी की जरूरत होती है किसानों को, तो शायद तीन हिस्सा पानी पंजाब लेता है और जब पानी बरबाद करना होता है तो उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ कतई तवज्जह नहीं दी।

एक खबर मैं, अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से आज के 'स्वतंत्र भारत' से देना चाहता हूं :—

"चंडीगढ़—३० जुलाई, पंजाब राज्य के सिंचाई एवं विद्युत मंत्री सरदार ज्ञान-सिंह, रारेवाला ने आज यहां प्रेस संवाददाताओं को बताया कि गत २५ जुलाई को यमुना नदी की तेज बाढ़ से ताजेवाला हेडवर्क्स के नीचे तथा दिल्ली से लगभग २०० मील ऊपरी भाग में नदी की दाहिनी दीवार में ८०० फुट की जो दरार पड़ गई थी उसको कल दोपहर को बन्द कर दिया गया।"

गोया चंडीगढ़ के सिंचाई मंत्री के बयान से यह ज्ञात होता है कि जो बांध पंजाब सरकार ने बनाया है और जिसे दिल्ली तक पहुंचाने की स्कीम है, उसमें ८०० फुट की दरार पड़ गई है और उसे तीन दिन में बन्द कर दिया गया। जिस वक्त वहां के सिंचाई मंत्री यह बयान दे रहे थे उसी वक्त सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने श्री तेलूराम के एक सवाल के उत्तर में यह जवाब दिया कि "यह निश्चय करना कि जमुना नहर में किन कारणों से बाढ़ आई, बहुत कठिन है और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पंजाब में बनाये हुए बांध से इसका कहां तक सम्बन्ध है"। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बांध को मई के महीने में मैंने खुद जाकर देखा है और सरकार को उसकी बाबत लिखा है। अब अगर पारसाल की तरह बारिश आ गई तो कम से कम सहारनपुर के डेढ़ सौ, दो सौ गांवों के लिये परमात्मा ही मालिक होगा। सहारनपुर से सर्वसम्मति से यह रिजोल्यूशन पास कर सरकार के पास भेजा गया कि फौरन इसका इन्तजाम किया जाय, वर्ना खतरा है। हां, यह जरूर होता है, पिछले साल की तरह जब बाढ़ आ जाती है और गांव बह जाते हैं, फसल बरबाद होती हैं, उनके मवेशी बरबाद हो जाते हैं तो ४ लाख के करीब सहारनपुर जिले में तकावी के रूप में खर्चे किये थे और करते हैं। वह तो जब मुसीबत आ जाती है उसके बाद काफी दौड़-धूप होती है, लेकिन जब पहले बतलाया जाता है कि खतरा होने वाला है और इससे इतना नुकसान होने का अन्देशा है तो उसकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जाती।

माननीय मंत्री जी ने एक दफा बतलाया था कि साहब, यह तो मरकजी सरकार के हाथ में है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब तक वह इजाजत न दे और पंजाब सरकार ने बिना इजाजत के बना लिया। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहे कि हमारा इस तरह से नुकसान है और बरबाद होने लगे हैं और मरकजी सरकार न माने, कम से कम मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर पूरी तवज्जह नहीं दी गयी है बल्कि यह समझा जाता है कि पश्चिमी जिलों में बाढ़ नहीं आती है, पूर्वी जिलों में ही बाढ़ आती है। यही चीज है, जिसकी तरफ पूरी तवज्जह नहीं दी गयी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसकी तरफ जरूर तवज्जह दें।

तीसरी बात मुझे टच्यूबवेल के बारे में कहनी है। टच्यूबवेल के मुताल्लिक माननीय गोविन्द सहाय ने कहा कि ऐसी जगह होने चाहिये कि जहां उनका सदुपयोग हो और जल्दी से जल्दी उसमें पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिये। एक बात माननीय मंत्री जी ने जल्दी-जल्दी में यह बतला दी है कि १,७०,००,००० रुपये की गांवों में पानी देने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पहले वह मर्ज को देख लिया करें, फिर दवाई दिया करें। यह जो गांवों में नल लगाने की स्कीम चलायी है इससे पश्चिमी जिलों में काफी नुकसान है। वहां गांवों में पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। वहां तो कुएं हैं, नल हैं, इससे तो बल्कि रास्ते और खराब हो जाते हैं और ये तो लोगों को और दिक्कतें पैदा करते हैं। इनकी व्यवस्था तो वहां करनी चाहिये, जहां पानी नहीं है या जिन गांवों में इस तरह का कोई साधन नहीं है।

चौथी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि ये सिंचाई और टच्यूबवेल एक ही इंजीनियर के मातहत होने चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---आप का समय समाप्त हो गया।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई के इस अनुदान पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार ने सिंचाई के दो तरीके अपनाए हैं---वे हैं नलकूप और नहर। तो पहले मैं नलकूप ही के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक नलकूप के बनाने में, मय नालियों के, करीब ४०,००० रुपया खर्च होता है और सिंचाई करीब-करीब ७ एकड़ हो पाती है।

श्री अधिष्ठाता---यह आप गलत कह रहे हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह---मैंने नहर विभाग से पूछा था और जो उन्होंने बतलाया है वही मैं अर्ज कर रहा हूं। हो सकता है उन्होंने मुझे गलत बतलाया हो, मगर इतने ही पर जो मैंने कैलकुलेट किया है उसको मैं निवेदन करना चाहता हूं। कल ही विधान परिषद् में माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि मथुरा जिले में ५ नलकूप लगाये गये जिनमें से एक सक्सेसफुल हो सका और उस पर एक लाख रुपया खर्च हुआ, यानी ८० हजार का अपव्यय हुआ।

इसको छोड़ दीजिये, अगर नलकूप चल ही गया तो उससे कितना लाभ और कितनी हानि होती है, यह चीज विचारणीय है। कहा जाता है कि नलकूपों के लग जाने से फसल और उपज बढ़ जाती है, मगर श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां की खेती तभी उन्नतिशील हो सकती है जब सभी साधन उन्नतिशील हों। बुवाई, जुताई तो बैलों से और सिंचाई नलकूप से होती है। नतीजा क्या होता है? जिस समय बुवाई का समय होता है तो हल और बैलों से पूरे क्षेत्र की बुवाई चन्द दिनों में हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता---मैं एक बात अपनी जानकारी के लिये जानना चाहता हूं कि आपके यहां नलकूप लगे हैं या नहीं?

कुंवर श्रीपाल सिंह---जी हां, लगे हैं और मुझे अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। साधन अलग-अलग होते हैं और बुवाई और जुताई बहुत कम समय में हो जाती है। जैसे गेहूं की फसल है, जिस दिन बुवाई होती है, उसके १२ दिन बाद से ही भराई का समय आ जाता है और जब नलकूपों से पानी आने का समय होता है तो जो लोग प्रभावशाली होते हैं उनको पहले पानी मिल जाता है या आपके आपरेटर्स घूस ले कर कुछ लोगों को पानी पहले दे देते हैं। इस तरह से जो लोग समर्थ होते हैं उनको पानी मिल जाता है और जो समर्थ नहीं होते हैं, उनके खेतों में पानी तब पहुंचता है जब उनकी फसल ही सूख जाती है।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

इसके अलावा श्रीमन्, एक चीज और होती है कि इंजिन खराब हो जाता है तो पानी नहीं मिल पाता और कुछ गांवों में आपसी झगड़ों की वजह से नम्बर किसी और का होता है और दूसरा पानी अपने खेत में काट लेता है और नम्बर वाले को पानी नहीं मिल पाता। इसी तरह से जो नलकूप बिजली द्वारा चलाये जाते हैं चूंकि लाइन बहुत दूर से आती है, अगर कहीं रास्ते में लाइन खराब हो गई तो आपरेटर १०-१५ मील दूर जाकर तार से खबर देता है तो मेकेनिक के आने में देर लग जाती है। इसलिये सिंचाई ठीक समय पर नहीं हो पाती है।

इसके अलावा एक चीज और है जो अभी नहीं मालूम पड़ रही है लेकिन कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ेगी। प्रकृति का भंडार सीमित है, असीमित नहीं है। जैसे कोयले के बारे में दुनिया की राय हो रही है कि यह खत्म होने वाला है नलकूप से जो पानी लिया जाता है तो यह पानी की तीन सतहों को पकड़ता है। जब पानी लेते हैं तो ऊपर का पानी नीचे चला जाता है। इस तरह से कुछ दिनों के बाद ऊपर की सतह सूख जायगी और फिर फसल नामिनल हुआ करेगी।

इसके अलावा दूसरी सिंचाई वाली स्कीम नहर की है। मैं यह मानता हूं कि नहर सिंचाई के लिये बहुत ही उत्तम साधन है मगर सवाल यह होता है कि वह किस स्थान के लिये उत्तम है? एक चीज एक जगह अच्छी हो सकती है वही चीज दूसरी जगह बुरी हो सकती है; नहर उन जगहों के लिये सिंचाई का उत्तम साधन है जहां आबादी कम है और खेत ज्यादा हैं और गांव दूर-दूर पर हैं। इस वजह से जब गांव दूर होंगे तो आबादी कम होगी और खेत ज्यादा होंगे तो जाहिर है कि सिंचाई के लिये लोगों को बहुत दूर बैलों वगैरा को लेकर जाना पड़ेगा और उसमें समय बरबाद हो जायगा और खेत नहीं सींच पायेंगे। अगर जमीन ज्यादा होगी तो कुछ हिस्सा नहर में दब भी जाय तब भी लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जौनपुर जो घनी आबादी वाला जिला है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर एक बीघा, दो बीघा और आधे बीघे तक के काश्तकर हैं। अब आप सोचिये कि किसी काश्तकार की पूरी जमीन यदि नहर के नीचे दब जाती है तो वह किस चीज की सिंचाई करेगा? श्रीमन्, यह मैं अपने निजी अनुभव से बतला रहा हूं और मैं उन काश्तकारों के नाम भी बतला सकता हूं जिनकी जमीन नहर के नीचे चली गई और वह बिचारे फाकामस्त होकर घूम रहे हैं। बहुत से काश्तकारों के खेतों के बीच से नहर निकाली गई है जिससे उनके खेत के दो टुकड़े सड़क की पटरी की तरह हो गये हैं। अब वह अपनी खेती की बुवाई और जुताईके लिये एक मील दूर पुल पर से घूम कर उधर जायं और फिर इधर आयें। यह एक बड़ी भारी दिक्कत पड़ रही है।

दूसरी चीज यह है कि नहरें अगर हाई लेविल पर हों तब तो सिंचाई के लिये ठीक साधन है लेकिन अगर वे लो लेविल पर हैं, जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि शाहगढ़ तहसील में ज्यादातर नहरें लो लेविल पर हैं, तो ऐसी हालत में पानी को खेत में ले जाने के लिये कृत्रिम साधनों की आवश्यकता पड़ती है। हमारी तरफ़ एक साधन जिसे दुबला कहते हैं उसके जरिये से दौरी में पानी को उठाते हैं और तब जाकर कहीं खेतों में वह पहुंचता है। तो जहां लो लेविल पर नहरें हैं वहां किसान इस सरकार को, जो पानी बेंचती है, पानी का दाम अलग दे और दुबले में जो आदमी लगते हैं उनकी मजदूरी अलग दे और जो बैल उसमें लगते हैं उनका दाना-पानी उसे अलग देना पड़ता है। इस तरह से तेहरा खर्चा उसे पड़ जाता है।

उधर से अक्सर यह कहा जाया करता है कि विरोधी पक्ष के लोग खाली विरोध करते हैं, कोई सुझाव नहीं देते हैं। तो मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि मुझे नहर विभाग से मालूम हुआ, एक ट्यूबवेल बनाने में करीब ४० हजार रुपये

खर्च होते हैं और ७ एकड़ सिंचाई होती है। अगर आप एक कुंआ-रहट के साथ बनवा दें तो उस पर ज्यादा से ज्यादा दो हजार रुपये खर्च होंगे और वह आधे एकड़ की सिंचाई दिन भर में कर पायेगा। इसके माने यह है कि ७ एकड़ की सिंचाई के लिये १४ कुओं की जरूरत पड़ेगी जिनके बनाने में २८ हजार रुपये खर्च होंगे। यानी एक नलकूप के मुकाबले में सिंचाई तो उतनी ही जमीन की हुई लेकिन १२ हजार रुपये की बचत हो गयी। अब अगर १२ हजार रुपये को भी कुंये बनाने में लगा दिया जाय तो आप देखेंगे कि ४० हजार रुपये के खर्च में जहां हम ७ एकड़ जमीन सींच पाते हैं वहां उतने ही रुपये में ही १० एकड़ जमीन सींच सकेंगे।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि रिहंद क्षेत्र नामक पुस्तिका छपी है जिसमें यह दिया हुआ है कि १,५०० नलकूप पूर्वी जिलों में लगाये जायंगे। तो ४० हजार रुपये के हिसाब से १,५०० नलकूपों की लागत ६ करोड़ रुपये आती है। अब इसके बराबर अगर कुयें बनाये जायं तो ४ करोड़ २० लाख रुपया लगता है, यानी १ करोड़ ८ लाख रुपये की बचत पूर्वी जिलों में ही हो जाती है। साथ ही साथ आज जब किसान इन स्कीमों से परेशान हैं---मैंने श्रीमन्, एक गांव में देखा कि एक आदमी के घर के पीछे तो नहर गयी और सामने से टयूबवेल का नाला।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री फतेह सिंह राणा (जिला मेरठ)---अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई, जैसा कि इस आदरणीय सदन में कहा जा रहा है, बहुत ही आवश्यक चीज है खेती के लिये लेकिन, जैसा कि कुछ मित्रों ने यहां कहा भी, वह एक योजना के मातहत होनी चाहिये। मुझे, एक भय होता है कि हमारी सिंचाई की योजनायें कुछ ऐसे ढंग से चलायी जा रही हैं जैसा कि इस आदरणीय सदन में कहा भी गया, कि जहां जिस साधन की आवश्यकता होती है उसके विपरीत एक दूसरा साधन वहां जुटा दिया जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि जितने साधन हम जुटाते हैं उनमें अधिकांश अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। बजट के आंकड़ों से साबित है कि हमारे बहुत से साधन अनप्रोडक्टिव हैं और उनसे हमारे स्टेट की आर्थिक दशा बहुत खतरे में जा रही है। देखने से मालूम होता है कि जो अच्छे साधन हैं और प्रोडेक्टिव हैं उनको और अनप्रोडक्टिव साधनों को मिलने से इतना घाटा हमारे फाइनेन्सेज को है कि मैं समझता हूं कि कुछ ही सालों के अन्दर हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराबी की तरफ चली जायगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें इस मसले पर बहुत गम्भीरता के साथ सोचना है कि किस तरह किस जगह और किन अनप्रोडक्टिव साधनों को जुटाना है। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव साधनों में एक संतुलन होना चाहिये कि जिससे हमारे प्रदेश की आर्थिक दशा ठीक रह सके।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि सिंचाई के सम्बन्ध में एक कानून १८७८ में बनाया गया। उसको देखने से मालूम होता है कि वह क़हत के जमाने में रिलीफ देने के लिये बनाया गया था। आज जैसा कि मंत्री जी ने भी फरमाया, आवश्यकता है कि घनी खेती की जाय और सिंचाई के अधिक साधन जुटाये जायं। उस कानून के होते हुए यह असंभव है कि हम घनी खेती के साधनों को अच्छे ढंग से चला सकें। इसलिये यह बहुत ही जरूरी है कि हम उस १८७८ के कानून को और उसके मातहत जितने कायदे और मैनुअल बने हैं उन सबको दुबारा संशोधित करें। यह मसला भवन के सामने कई बार आ चुका है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह मुहकमा या मंत्री महोदय क्यों इधर अधिक तवज्जह नहीं देते हैं। मुझे आशा है कि वह कैनाल और ड्रेनेज मैनुअल को जल्दी ही संशोधित करने की कोशिश करेंगे।

(इस समय ३ बजकर २० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

[श्री फतेहसिंह राणा]

एक बात मंत्री महोदय ने जो फरमायी कि हम इंटेंसिव कल्टीवेशन करने जा रहे हैं वह ठीक है। लेकिन उसके साथ उन्होंने केवल यह बतलाया कि हम टयूबवेल और नहरों और नालियों को बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माने इंटेंसिव कल्टीवेशन में कमी नहीं हो सकते। केवल यह हो सकता है कि जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा कि वह केवल १७ फीसदी सिंचाई अपने प्रदेश में कर पाते हैं तो वह १७ के बजाय २० फीसदी कर पायेंगे। इससे इंटेंसिव कल्टीवेशन नहीं होती है। इंटेंसिव कल्टीवेशन के माने यह हैं कि जो साधन जिस जगह में उन्होंने जुटाये हैं उस जगह पानी की सुविधा अधिक हो सके। जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने इस भवन में कहा कि बम्बई की तरफ ३५ और ५० पानी आते हैं। उसको इंटेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं। एक सप्ताह में १० पानी से कम आना कोई पानी आना नहीं होता। लेकिन यहां मुश्किल से एक-दो पानी आ पाता है। मेरा कहना यह है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन के माने हमारे यहां यह होंगे कि हम अपनी नहरों के कमान्ड को कम करें। कायदा यह है कि जितना कमांड एरिया है उसका ४० प्रतिशत सिंचाई करने की जिम्मेदारी सरकार लेती है। जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन एक फर्जी कागज के ढंग से उसको कहा जाता है, लेकिन उन्हीं के शब्दों में ७ प्रतिशत हमारा रकबा पड़ा रह जाता है। इसी तरह से टयूबवेल का कमान्ड है। १२००-१२०० एकड़ एक टयूबवेल पर कमांड होता है, जब कि केवल ३०० एकड़ एक टयूबवेल सिंचाई कर सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर उनकी मन्शा इन्टेंसिव कल्टीवेशन की है तो वे अपने टयूबवेल कमान्ड को कम करें। नहर का कमांड जहां ४० प्रतिशत लगाया गया है वहां ८० प्रतिशत करें तब इन्टेन्सिव कल्टीवेशन हो सकता है।

एक और मुसीबत है। जहां इन्टेन्सिव कल्टीवेशन कोई करना चाहता है सिंचाई के कमांड एरिया में और कोई साधन किसान जुटाना चाहता है तो उसको जुटाने नहीं दिये जाते हैं। अगर कोई कमान्ड एरिया में अपना टयूबवेल बनाता है तो उसको अव्वल तो टयूबवेल बनाने की आज्ञा नहीं होगी और अगर मिल भी गयी तो उसको नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No Objection Certificate) की आवश्यकता है बिजली के लिये, वह उसको मिल ही नहीं पाता है। उसकी एक और मुसीबत है शामिल खाल की। अगर कोई अपने प्राइवेट साधन जुटा कर अपनी सिंचाई करना चाहता है और वह उसी खाल के अन्दर से पानी ले जाना चाहता है तो फिर उस पर टयूबवेल या नहर का दाम लाद दिया जाता है हालांकि उसने अपनी खेती की सिंचाई न नहर से की और न टयूबवेल से की। इसके मायने साफ यही निकलते हैं कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन मंत्री जी नहीं चाहते हैं बल्कि जो किसान इन्टेंसिव कल्टीवेशन्स चाहता है, उसके खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं।

एक बात और बहुत ही ताज्जुब की मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर आबपाशी की दरों में बहुत अन्तर है। समझ में नहीं आता कि महकमा अगर यह समझता है कि वह एक कार्मशियल ढंग से सिंचाई की दरें ले आना चाहता है, तब एक हिस्से में ३२ रुपये एकड़ आबपाशी की दर और एक हिस्से में ८ रुपये एकड़ आबापाशी की दर, यह समझ में नहीं आता कि यह कौन सा ढंग है? एक मामूली दूकानदार जो व्यापार करना चाहता है वह भी अगर कुछ थोड़ा बहुत अन्तर करेगा तो एक आध पैसे का करेगा। यहां पर चौगुना फर्क है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जो अन्तर है कि कुछ हिस्सों में नहर की आबापाशी चौगुनी और कुछ में उसकी चौथाई न इसे ठीक होना चाहिये। यह कह कर कि कुछ हिस्से के काश्तकार अच्छी खेती करना जानते हैं और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, इसलिये उनको सजा दी जाती है कि वे देश की दौलत और न बढ़ा सकें.....

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री महोदय द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यों तो इस सदन में जितने माननीय सदस्य हैं सब को यह मानना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर या हमारे सूबे के अन्दर किसानों के जीवन के लिये, किसानों की खेती के लिये, किसानों की जिन्दगी उन्नत करने के लिये सब से महत्वपूर्ण प्रस्ताव सिंचाई का है और यहां की सरकार ने और यहां के मन्त्रियों ने जिस तरह से सिंचाई में सफलता प्राप्त की है उसको किसान, गांव का हर व्यक्ति और हर समाज सेवक मानता है। मैंने अपने पूर्वी जिलों में उन गांवों को देखा है और उन किसानों के घरों में जाकर देखा है, उनकी औरतों को मुंह से कहते हुये सुना है कि हमारे पुराने मंत्री महोदय, जो सिंचाई मंत्री थे, उनका नाम भागीरथ लेकर किसानों की औरतों ने पुकारा। भागीरथ जिस प्रकार से गंगा को पृथ्वी पर लाये थे उसी तरह से पूर्वी जिलों के किसानों और उनके बच्चों को जीवन देने के लिये, उनकी खेती को पानी पहुंचाने के लिये कमलापति त्रिपाठी को भागीरथ के नाम से सम्बोधित किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने राजनैतिक विचारों से इस बात को तस्लीम करने के लिये तैयार न हों, हम अपनी राजनैतिक विचारधारा को जीवन के हर हिस्से में लाने की कोशिश करें, लेकिन प्रत्येक माननीय सदस्य वह चाहे किसी भी विचाराधारा का हो, आज से एक या दो साल पहले यह कहता था कि इसमें कोई शक नहीं कि सिंचाई विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो हृदय से और अच्छे ढंग से इस प्रदेश की सेवा करता हुआ दिखायी दे रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अपने जिले में देखा कि जौनपुर के किसान भूखों मर रहे थे, आज भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं में आकर, बाढ़ के अन्दर फंस कर बरबाद हो रहे हैं, लेकिन उन गांवों को भी मैंने देखा जहां ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, नहरें बनी हुई हैं, वहां मई और जून के महीने में खरीफ की फसल थी और खेतों में गल्ला पैदा हो रहा था और लोगों को कुछ आशा बंधी हुई थी, लेकिन उन हिस्सों को भी मैंने देखा जहां ट्यूबवेल्स, नहर या और कोई पानी का साधन नहीं है वहां कोई फसल नहीं हुई और वहां के किसान गवर्नमेंट से आशा लगाये बैठे हैं कि सिंचाई मंत्री महोदय उनके लिये कोई सिंचाई का प्रबन्ध करें। प्रत्येक किसान दूसरे गांवों के ट्यूबवेल्स को देखता है, उनके दर्शन करने जाता है, औरतों को सिंचाई के साधनों को देखने के लिये भेजा जाता है और फिर भी अगर हम ऐसा कहते हैं कि सिंचाई से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ है, तो यह ठीक नहीं है। ऐसी बात कोई जंचने वाली नहीं है। हो सकता है उसमें खराबियां हों, हम में खरादियां हों, मनुष्य में खराबियां होती हैं, हममें भी हो सकती हैं, सिंचाई के कामों में भी हो सकती हैं, लेकिन यह कह दिया जाय कि इस गवर्नमेंट ने जितने भी काम किये वह सब गलत किये, कोई काम किसानों के फायदे के लिये नहीं किया पर बजट का छठवां भाग यानी १८ करोड़ रुपया के करीब सिंचाई के कामों में खर्च हो रहा है फिर अगर यह कहा जाय कि किसानों के फायदे के लिये सरकार ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, पूंजीपतियों के फायदे के लिये ही किया है तो यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पानी सिंचाई से जाता है वह किसके खेतों में जाता है। वह किसानों के खेतों में जाता है या डालमियां के खेतों में जाता है? ट्यूबवेल्स से जो सिंचाई होती है और उससे जो गल्ला पैदा होता है वह, किसानों के खेतों में पैदा होता है या डालमियां के खेतों में पैदा होता है? गांवों में पंचायतों द्वारा जो कुएं बनाये जाते हैं, नहरों का जो कुछ हिस्सा ठीक कर लिया जाता है, गांवों के गढ़े ठीक कर लिये जाते हैं तो क्या उससे डालमियां के कल कारखानों को लाभ होता है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ जो सिंचाई के लिये मांग की गयी है, उसका समर्थन करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमेश चन्द्र शर्मा]

अन्त में मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी तहसील मड़ियाहूं में एक नहर निकाली जा रही है, जिसकी एक शाखा बनारस की तरफ जायगी और दूसरी केराकत की ओर। उसमें से एक शाखा आगे न जाकर हृदयपुर गांव में ही रह गयी है। इंजीनियरों से पूछने पर पता लगा कि आगे की जमीन ९ फीट ऊंची पड़ती है इसलिये वह नहर आगे नहीं जायगी। वहां के किसान रात दिन इस चिन्ता में हैं कि उन्हें कब नहर से पानी मिले या ट्यूबवेल्स से मिले। एक हिस्सा इस तहसील में बसुई और बरना नदियों के बीच का पड़ता है, उसमें ट्यूबवेल्स लग रहे हैं। और कोई पानी का साधन नहीं है। हम माननीय मंत्री जी से आशा करते हैं कि वे ५ सालों में जल्द से जल्द गरीब किसानों के लिये सिंचाई का कोई प्रबन्ध कर देंगे। जौनपुर जिले का वह हिस्सा जो मड़ियाहू तहसील में आता है, या उसके आस-पास की ४–५ तहसीलों का है, वहां के किसान बहुत गरीब हैं तथा वहां पुराने ढंग का भी कोई सिंचाई का साधन नहीं है। जो तालाब पुराने थे वह सब पट गये। उनके यहां नदियां हैं, गोमती, वरुणा, सई, बसुई, पीली जो उनको बहुत परेशान करती हैं, उनकी वजह से किसानों को बहुत परेशानी होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार वरुणा और बसुई के द्वार पर जहां पानी की बहुत कमी है, वहां पानी देने की व्यवस्था करे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी इस सम्बन्ध में विरोधी पार्टी के सदस्यों की तरफ से जो सुझाव पेश किये गये हैं उनका समर्थन करने के साथ-साथ जो सुझाव श्री गोविंद सहाय, माननीय फतेहसिंह राणा और सहारनपुर के माननीय सदस्य ने दिये हैं, उन सब सुझावों का मैं हृदय से समर्थन करता हूं और आगे इस सदन के सामने अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। मैं एक बात यह अनुभव करता हूं कि पिछले ९ वर्ष में अगर हम आबपाशी में विस्तार के लिहाज से देखें तो करीब २६ प्रतिशत का इजाफा हुआ है, चाहे ट्यूबवेल्स के जरिये से हो, या चाहे नहरों के जरिये से हो, आंकड़े जो सरकार की तरफ से हमारे सामने पेश हैं उनके देखने से यही प्रतीत होता है। पहले सरकारी साधनों द्वारा ६७ लाख एकड़ रकबे में सिंचाई होती थी जो अब बढ़ कर अधिक हो गया है। इसके अलावा इस साल भी हमने जो बजट की मांग आबपाशी के बारे में पेश की है उससे प्रतीत होता है कि बजट का १० प्रतिशत भाग आबपाशी पर खर्च होना है। अब यह देखना है कि २६ प्रतिशत रकबा तो आबपाशी का बढ़ गया है और कुल बजट का बहुत बड़ा भाग उस पर खर्च भी होता है, लेकिन इससे पूरे प्रदेश को लाभ कितना हुआ? इसी को देख कर हम यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो इतना अधिक व्यय होता है वह हमारे लिये लाभप्रद साबित हुआ है कि नहीं, और यह कि इससे हमारे पूरे प्रदेश में अन्न की कितनी वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि सन् १९४८ में अगर आंकड़ा १०० था तो वह लगातार बढ़ते-बढ़ते १०८, १०८, १०४, ११०, ११२, १२२ और १९५६ में फिर ११२ तक पहुंच गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि जितनी आबपाशी में वृद्धि हुई है उसके अनुसार रकबे के हिसाब से अन्न के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। आखिर इसके कारण क्या हैं? मैं समझता हूं कि इसके कई कारण हैं सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमारी सरकार के सामने आबपाशी के विकास के लिये कोई सुनियोजित और बहुत वैज्ञानिक नजरिया नहीं है। हैपहैजर्ड वे में वह काम करती है। कोई उस मिनिस्टर का हित हुआ, या कोई हमदर्द का हित हुआ या किसी को अपनी कांस्टीट्यूएंसी बनाने का ही चक्कर रहता है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुये काम किया जाता है। इन तमाम बातों पर अच्छी तरह से विचार करने की जरूरत है।

दूसरी और भी बहुत सी आलोचनायें की गयी हैं। मिसाल के लिये अगर एक हजार का कहीं खर्चा होता है तो उसके लिये तो टेंडर निकाले जाते हैं, लेकिन नहर विभाग में, आबपाशी विभाग में काम पहले ही शुरू हो जाता है, १० लाख का, २० लाख का, ५ लाख

का और टेंडर बाद में आता है और वह टेंडर भी मनमाने तरीके से जिसका जी चाहा स्वीकार कर लिया जाता है ।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सरकार व्यापारिक दृष्टिकोण से सिंचाई का इन्तजाम करती है । मैं समझता हूं कि उसी तरह से फिर किसानों को भी अधिकार होना चाहिये कि अगर किसान अपने खेत में एक पानी लेता है और उसकी फसल सूख जाती है तो उससे एक पानी का ही पैसा वसूल करना चाहिये, लेकिन आज होता यह है कि किसान से एक पानी लेने पर भी उससे पूरा रुपया वसूल कर लिया जाता है । मेरा ख्याल यह है कि जब आप व्यापारिक दृष्टिकोण अपने लिये अपनाते हैं तो किसानों के लिये भी इसकी गुंजाइश होनी चाहिये कि जितना पानी वे इस्तेमाल करें उतने का ही दाम उनसे वसूल किया जाय। इस सम्बन्ध में अगर माननीय मंत्री जी समय देंगे और मुझे मौका देंगे तो मैं १०, २० मिसालें इस तरह की दे सकता हूं जहां नलकूप इंजीनियर्स की तरफ से, या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से या सम्बद्ध अधिकारी की तरफ से मंजूर हैं और दो, तीन साल का समय हो चुकने पर भी वे लग नहीं पाते । इसी तरह से नालियों और रजबहों में संशोधन की जरूरत है । तो स्वीकार होने के बाद भी यह दो, तीन साल मंजूरी नामंजूर पड़ी रहती हैं यह नहीं होना चाहिये । मैं जो कह रहा हूं वह कोई कठिन वेदान्त का सूत्र नहीं है जिसके समझने में दिक्कत हो या अर्थ गलत हो जाय, इसका मतलब यह है कि नलकूप मंजूर हुये पड़े हैं, दो, चार, पांच वर्ष हो गये, कागज पर गूलें मंजूर हैं लेकिन कोई संशोधन नलकूप में या गूलों में नहीं हो रहा है और ज्यों ही अधिकारियों की भेट-पूजा हो लेती है, नामंजूर भी मंजूर हो जाता है।

हम कहते हैं कि हम अपने यहां आबपाशी के साधनों में इजाफा कर रहे हैं । बड़ा अच्छा है कि ये साधन बढ़ें लेकिन मुझे मेरठ का अनुभव है कि वहां बरसात के पानी की निकासी का माकूल इंतजाम सरकार की ओर से नहीं होता और वादा कर दिया जाता है कि जब इस तरह की मांग होगी तो जरूर उसका इंतजाम किया जायगा । लेकिन पूर्व की बात तो ठीक है कि वहां बाढ़ की वजह से परेशानी होती है, पर इन पश्चिम के जिलों में जहां न गंगा है न गोमती है, न रामगंगा है न घाघरा है लेकिन रातों-रात इस सूखे इलाके में पानी आ जाता है और तमाम घर और झोंपड़ी को बहा ले जाता है और इस का कारण यह है कि बरसात के पानी की निकासी का कोई गम्भीर प्रयास सरकार की ओर से नहीं किया गया है । मुजफ्फरनगर शहर और मंडी का बह जाना सामान्य घटना नहीं थी । हमारे सहारनपुर के साथी ने कहा है कि पूर्वी जमुना नहर का यह वरदान तो जरूर हुआ कि वह अब ज्यादा इलाके को सींचने लगी लेकिन उस में अभी तक पानी का इजाफा नहीं हुआ, हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं कि क्या हो रहा है और क्या सरकार कर रही है, बस ! अंधेरे में लाठी चल रही है । जहां पर जमीन बहुत कम है और जहां पर इंन्टेन्सिव कल्टीवेशन की मिसाल हमारे पूरे प्रदेश के सामने है, कि दस-दस बीघा खाम जमीन पर एक-एक किसान परिवार गुजर कर रहा है और अपने बच्चों को हाई स्कूल तक की शिक्षा दे रहा है, वहां पर पानी और सिंचाई का कोई प्रयास नहीं है और इस पूर्वी जमुन नहर में आज तक पानी का इजाफा नहीं किया गया है । हालत यह है कि कुलाबे ९ इंच की जगह ६ इंच के हो गये हैं । नतीजा यह हुआ कि जिधर से पहले पानी बहा करता था, उधर से अब कुलाबे साहब उल्टे मुंह फेर लेते हैं । नतीजा यह है कि पानी का पूरा प्रेशर नहीं आता । तीसरे कुलाबे जहां नीचे थे वहां अब कुलाबे उंचे उठा दिये गये हैं और इस तरह से पानी निकल जाता है और कुलाबे महाशय इंतजार करते रह जाते हैं । जिनकी वजह से पानी रुकता था वह तमाम फाल्स तोड़ दिये गये हैं और जो तोड़े जा चुके हैं उनके बारे में शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि लग जरूर जायेंगे लेकिन वे लगाये नहीं जाते हैं। ऐसे फाल्स की दस-दस बीस-बीस मिसालें हमारे पास हैं और मेरठ में बहुत नुकसान इससे हो रहा है । इसी तरह से जो गांव या खेत रजबहों के सिरे पर बसे हैं वहां के किसानों को हफ्ते में दो बार भी पानी नहीं मिलता । किसी को कभी यह पता नहीं होता कि रजबहे कब चलेंगे और कब एकदम से बन्द हो जायेंगे । होता यह है कि जब किसानों को पानी की जरूरत होती है तो पानी नहीं मिलता और जब पानी की जरूरत नहीं होती है तो पानी आकर खेतों को बहा ले जाता

[आचार्य दीपंकर]

है । इन तमाम चीजों से मालूम होता है कि रकबा तो सिंचाई का बढ़ा है और उस में २०-२६ प्रतिशत का इजाफा हुआ है और उस पर अपूर्व धनराशि भी खर्च हुई है, लेकिन वह ऐसे कामों में खर्च हुआ मालूम होता है कि पहले जहां एक चीफ इंजीनियर था वहां अब पांच-पांच और ६-६ चीफ इंजीनियरर्स हैं। मैं नहीं समझता कि इस अंग्रेजी के शब्द "चीफ" का क्या अर्थ होता है, हमारे यहां संस्कृत के हिसाब से तो इसका अर्थ 'मुख्य' का होता है किन्तु मुख्य तो एक होता है और यहां पता नहीं कि राष्ट्रीय धन खाने के लिये कितने मुख लग गये हैं।

अलावा इसके यह तरतीब इतनी दुखद हो गई है और आबपाशी विभाग इतने भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सम्पत्ति के अपहरण का साधन बन गया है कि जैसे पहले कभी कहावत थी कि जिसको संसार की यात्रा करनी हो वह ब्रिटिश नेवी में सिपाही हो जाय, तो आज जिसे अपना घर भरना हो वह ओवरसियर हो जाय तथा नहर विभाग मे नौकरी कर ले।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--मेरा कहना यह था उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर उस पक्ष से एक आचार्य आये तो इधर से भी आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष--यह मुझे मालूम नहीं कि कौन प्रधानाचार्य इधर है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जो बहस हो रही है, उसमें बोलने के लिए उत्सुक नहीं था लेकिन आज के भाषणों को सुनकर मुझे खड़ा होने के लिये विवश होना पड़ा। अभी-अभी हमारे कई पूर्वी जिले के सदस्यों ने ऐसा इजहार किया कि न उनको ट्यूबवेलों की जरूरत है और न नहरों की। इसी हाउस में ३,४ वर्ष पहले से इस बात की दुहाई दी जाती थी कि तमाम नहरें, तमाम ट्यूबवेल पश्चिमी जिलों के लिये ही रहेंगे या हमारे यहां भी कोई सिंचाई का इंतजाम किया जायगा और जब सिंचाई का इंतजाम पूरे तौर से किया गया तो यह आवाज उठायी जाती है कि हमें न ट्यूबवेल चाहिये, न नहरें चाहिये। तो मैं यह समझा कि जो लोग आज यहां पर हैं वे अपनी वस्तुस्थिति को, या पूर्वी जिलों के जो नेता हैं वे सब एक कानफ्रेंस करके अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच हैं कि उनके यहां सिंचाई के क्या साधन होने चाहिये ? मैं समझता हूं इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस पिछले ६,७ वर्षों में जितना सिंचाई का प्रबंध सरकार ने किया है वह अंग्रेजों के जमाने में कभी हुआ नहीं और न हो सकता था। मैं यह भी जानता हूं, मेरा अपना तजुर्बा है कि जो आज चीफ इंजीनियर हैं, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं, ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या और जो नीचे के लोग हैं उनके अन्दर कम से कम मैं यह स्पिरिट पाने लगा हूं कि वे अपने आपको पब्लिक सर्वेन्ट समझते हैं। वे छोटे से छोटे किसान के खेत पर जाकर उसकी बात सुनते हैं और जहां तक उन बातों का प्रबन्ध वह कर सकते हैं ? करते हैं। किसानों के साथ उनका बर्ताव अब ऐसा होने लगा है, मेरे साथ ही नहीं, मुझे तो कोई जरूरत नहीं पड़ती, और उसकी एक खास वजह भी है। मैंने खुद यह देखा है कि माननीय कमलापति त्रिपाठी जी जब सिंचाई के मंत्री थे, उनका तरीका यह रहा कि जहां कहीं भी वे जाते थे दौरा करने उनके साथ चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी रहते थे और जहां, जहां जो, जो शिकायतें होती थीं उनका समाधान वहीं पर हो जाता था। उसके बारे में आर्डर वहीं पर अमल में लाया जाता था यह खुद मेरा अपना जाती तजुर्बा है। मैं इसलिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं इस विभाग की तारीफ करूं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो कुछ भी सरकार की तरफ से इस विभाग की उन्नति के लिये किया जा सकता था, सब कुछ किया जा चुका है, कर रही है सरकार। और अभी-अभी मेरे एक भाई ने बताया कि थोड़े समय में, जैसा गोविन्द सहाय जी ने बताया कि करीब ४२ करोड़ रुपया खर्च हो गया और जमीन की सिंचाई १० लाख एकड़ बढ़ी, तो मैं कह देना चाहता हूं कि वह इस बात को भूल जाते हैं कि जो सिंचाई के साधन लगे हैं, उनकी अगर सिंचाई देखनी है कि कितनी होगी तो यह तो २,४ वर्ष बाद पता लगेगा कि कितनी सिंचाई बढ़ गई।

इतना आप खर्च कर रहे हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं, नहरें भी खुद रही हैं, उन पर खर्च तो हो गया लेकिन पानी आ रहा है, बिजली लगेगी, वहां से पानी जायगा खेतों में, सिंचाई होगी, वह तो आगे आने वाला समय ही बतलायेगा। तब आपको यह पता लगेगा कि इतने खर्चे से कितनी जगहों पर पानी फैल गया। अभी-अभी यह भी बताया गया कि इसमें कोआपरेटिव सिस्टम के ऊपर यह काम हो जाना चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि हमारे भाई गोविंद सहाय जी इस जमाने में इस सूबे में रहे या नहीं रहे लेकिन यहां हर एक जिले में जहां-जहां कोआपरेटिव ट्यूबवेल बने हैं सहारनपुर में, अलीगढ़ में, हर जिले से यह आवाज आ रही है कि कोआपरेटिव ट्यूबवेल में जो रुपया खर्च किया गया है वह बर्बाद गया। सरकार अगर यह चाहती है कि इन ट्यूबवेल से किसानों का भी फायदा हो जाय तो सरकार उनको अविलम्ब अपने हाथ में ले ले। दो वर्ष से लगातार झगड़े चल रहे हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये से जो ट्यूबवेल बनाये गये इस सूबे के अन्दर, उनको कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं चला सकती, उनको गवर्नमेन्ट को ले लेना चाहिये क्योंकि उनमें जो रुपया लगा है वह भी कोआपरेटिव सोसाइटी ने अपने बैंकों से उधार ले करके ही लगाया है और गवर्नमेन्ट का भी रुपया उनमें खर्च हो गया है। तो उस रुपये का अगर कुछ सदुपयोग होना है तो सरकार को उन ट्यूबवेल को अपनी मातहती में ले लेना चाहिये। मेरे जिले की यह बड़ी जबर्दस्त मांग है.....

एक सदस्य--बिजली नहीं मिलती है।

श्री मलखान सिंह--इस तरह से अगर बीच में मुझे टोका जायगा.....

श्री उपाध्यक्ष--(श्री गोविंद सहाय से) आप क्या कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं ?

श्री गोविन्द सहाय--एक परसनल बात है। मेरा ख्याल है कि शायद आनरेबुल मेम्बर ने या तो मेरी बात सुनी नहीं, या सुनी तो किसी खास दृष्टिकोण से सुनी। मैंने वह बात नहीं कही जो बात कह रहे हैं। जो बात मैंने कही मुझे अफसोस है.....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मलखान सिंह जी, जब वह इनकार कर रहे हैं तो आप उनका खंडन न करें।

श्री मलखान सिंह--खैर, मैं उनकी बात नहीं कहूंगा, मैं यह कहा रहा हूं कि कोआपरेटिव सिस्टम के ऊपर जो यहां इस सूबे में ट्यूबवेल बनाये गये हैं उनकी हालत मैंने बयान कर दी। कुछ भाइयों ने कहा कि बिजली नहीं आ रही है इस वजह से है। ऐसा नहीं है। जो ट्यूबवेल्स बनाये गये हैं, उनकी हालत यह है कि २५ प्रतिशत तो बिलकुल काम नहीं करते। फट गये हैं, उनकी दीवारें टूट गई हैं, बिलकुल बेकार हैं। उनकी मशीनें चुरायी जा रही हैं। वहां कोई आपरेटर मौजूद नहीं है, न कोआपरेटिव सोसाइटी का कोई आदमी मौजूद है। इसलिये मैं कहता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी गवर्नमेन्ट ले ले। जिनमें किसी तरह का खतरा नहीं है, जो कुछ काम आने लायक हैं उनको सरकार को जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में कर लेना चाहिये और चालू कर देना चाहिये जिससे कि किसानों की सिंचाई की जो मांग है वह पूरी हो जाय।

साथ ही कुछ भाइयों ने ऐसी भी बातें कहीं कि जिसको मैं समझा नहीं कि उन्होंने किस मतलब से कहीं। मेरे पश्चिमी जिले के लोगों ने कहा कि ईख में एकाध पानी लग गया, तो लग गया नहीं तो लगता ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया कि ईख की पैदावार जो इतनी ज्यादा हो रही है वह क्या एक पानी से हो जाती है ? यह तो एक बात को अगर खराब बतलाना है तो उसको कह दिया कि पानी मिलता ही नहीं है। जैसा कि मेरे भाई दीपंकर जी ने कहा कि पानी जो है वह दूसरी जगह पर हम ज्यादा खेतों में दे देते हैं। उनको यह मालूम हो जाना चाहिये कि आज कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है कि जहां का किसान न कहता हो कि यह एरिया हमारा नहर के कमांड में आ जाना चाहिये। लोग यह चाहते हैं कि एक मर्तबे तो हमारे खेत में पानी चला ही जाय।

[श्री मलखान सिंह]

न मालूम वह क्या सोचते हैं कि उससे पानी लेने से क्या आसमान से उपज बढ़ जायगी या क्या हो जायगा जो वह इतनी कोशिश उसके लिये करते हैं और लाठियों के बल पर अपने खेतों में पानी ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात की शिकायत करना कि एक मर्तबा भी पानी लग गया तो सरकार अपने रेट तो ले ही लेती है, क्यों न ले, जब आप जबरदस्ती ऐसा करायेंगे।

मेरे एक भाई ने अभी यह भी कहा कि साहब ऐसा भी होता है कि नलकूपों पर झगड़े हो जाते हैं। जो जबरदस्त होता है वह पानी ले जाता है तो क्या यह भी गाली सरकार के ऊपर पड़ना चाहिये ? मैं नहीं समझ पाया। सरकार ने तो यह इन्तजाम कर दिया है कि गांवों में जो जनता के लोग हैं उन्हीं की रजामन्दी से एक आदमी थोकदार नियुक्त कर दिया जाता है, उसके हाथ में नलकूपों से पानी देने की व्यवस्था है। आपरेटर के सुपुर्द इस पानी के बटवारे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को गालियां दी जायं तो मेरी समझ में नहीं आता कि आज जो वस्तुस्थिति है उससे आप आंखें क्यों मीचते हैं। इसलिये मैंने यह कहने का साहस किया है कि आपको वस्तुस्थिति बतलाऊं और इस बात से आगाह करूं। जो कुछ भी काम पिछले ६,७ वर्षों में सिंचाई के सम्बन्ध में हुआ है और सरकार ने किया है वह सराहनीय है और यह भी तारीफ नहीं करता, केवल आपको बताना चाहता हूं कि नहर विभाग में जितने इंजीनियर व नौकर हैं वे भी आज यह समझ गये हैं कि वे पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं। अगर आपमें हिम्मत है और मारल करेज है तो उनके साथ बात करिये कि कहां भ्रष्टाचार है। वे समझते हैं कि हम उत्तर दायी हैं। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रिश्वत ली जाती है तो अखबारों के अन्दर जरूर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है लेकिन वाकई जितना भ्रष्टाचार बताया जाता है उतना रुपया लोगों की जेबों में जाता है, इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव कटौती का है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस सूबे का क्षेत्रफल ६, १७,३५,३६० एकड़ है जिसमें खेती ४,९६,५०,१६७ एकड़ में होती है। इसमें सिंचाई १,२२,५६,५१७ एकड़ भूमि में होती है। सिंचाई के साधन चार हैं पुराने तालाब, जनता के कुयें, नहरें व सरकारी कुयें व नहरें और इसमें हर एक से सिंचाई इस तरीके से होती है। सरकारी कुओं और नहरों से सन् ५७ में ६८ लाख ८३ हजार एकड़ भूमि की, ५५ में ६८ लाख ९ हजार एकड़ भूमि की और ५६ में ६७ लाख २५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हुई। अन्य साधनों से ६,५२,९५० एकड भूमि की सिंचाई हुई। देसी कुओं से ६०,९५,१३० एकड़ भूमि के अन्दर सिंचाई हुई। तालाबों से १०,२८,०१३ एकड़ भूमि में सिंचाई हुई और व्यक्तिगत नहरों से २७,८६५ एकड़ भूमि में सिंचाई हुई। यानी कुल मिलाकर १,२२,५६,५१७ एकड भूमि में सिंचाई हुई। कुल खेती के रकबे का यह एक चौथाई भाग है। कुल जमीन के लिये सिंचाई के साधन मुहइया नहीं कर सके हैं। इन साधनों के अलावा जहां तक नहरों व कुओं का ताल्लुक है दोनों में बढ़ोत्तरी हुई। सन् ५४–५५ में ३,५८६ बिजली के कुएं थे लेकिन ५५–५६ में बढ कर वे ४,५५४ हो गये। मैं ऐसे जिले में रहता हूं जहां आबपाशी कुओं व टयूबवेल्स से ही होती है। मैंने देखा कि पहले के मुकाबले में वहां कुएं बढ़े, लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि कुओं में पानी कम होता चला जा रहा है। सिंचाई की दर भी डयोढ़ी हो गई है। कुओं में पानी कम होने से वे ४०० एकड़ से ज्यादा भूमि की सिंचाई नहीं कर पाते। लिहाजा सिंचाई की दर कम की जाय। बिजली के कुएं ऐसे हैं जिनसे जरूरत भर का पानी नहीं मिल पाता, उसके लिये इन्तजाम किया जाय ताकि सिंचाई के लिये पूरा पानी मिल सके। रहट से सिंचाई हो सकती है लेकिन उसकी दर ज्यादा पड़ती है लेकिन दूसरी तरफ पैदावार गन्ने की बढती जाती है जिससे पानी की बहुत सख्त जरूरत है। इन हालतों को देखते हुए हम यह देखते हैं कि कुएं बढ़े, पुराने कुओं में पानी घटा, सिंचाई के क्षेत्रफल में कमी आई, गूलें बढ़ गई और गूलों की हालत यह है कि ठेकेदारों ने एक आठ के रेश्यो से सीमेंट, रेत गूलों में लगाया और जब पानी गिरा तो गूलें खराब हो गई। मील-मील भर की गूलें मेरे कुएं के चौतरफा हैं और सिंचाई के लिए १ बीघा १४ बिस्वा

खेत है और उसकी जो सिंचाई हुई है उसमें २५ घंटे लगे हैं जिसकी आबपाशी २५ रुपये से कम नहीं हुई है। १३ बीघे का गन्ना का खेत है जिसमें ७ बीघा छोड़ दिया है, ६ बीघे में ही गन्ना रखा है। यह हालत सिंचाई की है कि फसल घटती चली जा रही है। मैंने और भी कुएं दौरा करके देखे चन्दौसी से लेकर के, वहां नये तो कुएं अधिक हो रहे हैं लेकिन पानी नहीं दे रहे हैं। मुरादाबाद से इसकी लिखा पढ़ी की ? मुरादाबाद में कोई गोयल साहब हैं, वहां मंजूरी नहीं होती है ।

फिर यह तरीका है सिंचाई का कि तकावी दी जाती है कुओं के लिये। तो पहले दरख्वास्तें दीं, फिर हाकिम परगना तहसील सब जगह गये और ९ महीने चक्कर काटे, लेकिन सिंचाई के कुएं का रुपया नहीं मिला, लेकिन यह बड़े मजे की बात हुई कि तकावी के रुपयों में कुर्की हो गई। सिंचाई का रुपया नहीं दिया और तकावी की वसूली में कुर्की हो गयी। मैंने कलेक्टर जिला को लिखा। ३ कुएं मेरे गांव में ऐसे ही थे। उन्होंने पूछा कि कौन अमीन कुर्की करने गया था। लेकिन मुझे क्या मालूम कि कौन था ? यह हाल सिंचाई के कुएं का हो रहा है इसे हमारे सिंचाई मंत्री नोट कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष---गांव का नाम तो बतला दीजिये ।

श्री टीकाराम---गुलरिया, आपका देखा हुआ गांव है। वहां जाकर देख आये हैं, मेरे पड़ोसी हैं ।

अब आगे के लिये यह बात कह रहा हूं कि सिंचाई के साधन बढाये जांय। हमारे जिले बदायूं में जो कुछ साधन मौजूद हैं उनमें वृद्धि की जाय। हमारे यहां एक बांध है जिसको हरीबाबा ने बनवाया है। वह पिछली बाढ में टूट गया और उससे २०० गांव बरबाद हो गये गुन्नौर और सहसवान तहसील में। बाबा ने तो १४ मील का बन्धा बनवाया और सरकार की तरफ से मरम्मत भी नहीं की जा रही है। जाटी गांव कट रहा है, उसमें बान्ध बनाने की जरूरत है। एक नाला बदायूं दातागंज में है जिसका नाम कदवारा है, उसमें पानी ऊपर से बहता है। जब पानी आता है तो कुवांर में किसान मेंड़ बान्ध लेते हैं और उससे धान की सिंचाई करते हैं। वह अक्तूबर में सूख जाता है तब दूसरे तरीके से सिंचाई की जाती है, जो बहुत गिरां पड़ती है। नहर और कुएं दोनों की सिंचाई गिरां पड़ती है। हम तो चाहते हैं कि सिंचाई बढ़ जाय और इन्तजाम ठीक हो जाय, गूलें भी अच्छी रहें ।

एक बात और है। कुएं और नहर के पानी में एक अन्तर है। कुएं के पानी में जमीन को उतनी खाद की जरूरत नहीं पड़ती जितनी नहरी पानी को पड़ती है। नहरी पानी में रेह बहुत आती है कुएं के पानी में नहीं आती। सैकड़ों गूलें पटी पड़ी हुई हैं और पानी भी खराब होता है। कुएं का पानी बहुत मुफीद होता है।

एक बात और भी कहनी है कि जहां सरकार की नहरें बनी हैं वहां पुराने तालाबों और कुओं का निकास बन्द हो गया है---जैसे सुल्तानपुर, जौनपुर, रायबरेली और प्रतापगढ में। इनके निकास को खोल दिया जाय ताकि बरसात का पानी रुक कर उनको बन्द न कर दे । इसलिये अब जरूरत है कि सिंचाई में तरक्की की जाय, खर्चा तो हो ही रहा है और इस खर्चे को बुरा बुरा तो सभी कहते हैं लेकिन आखिर में सभी का लाभ है।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आज दो वर्ष के बाद सिंचाई पर बोलने के लिये मौका देने के लिये धन्यवाद देता हूं और साथ ही बजट के वास्ते माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। नहर के विषय में बहुत सी बातें अब तक लोगों ने कही हैं, लेकिन हमारे वास्ते यह एक अजीब कहानी है। एक तरफ अतर्रा मंडी है जिसमें करीब साढ़े तीन लाख मन गल्ला सिंचाई की वजह से पैदा होता है और जहां-जहां नहर द्वारा सिंचाई होती है वहां तो हमारे

[श्री जगपति सिंह]

यहां खुशहाली है लेकिन इस जिले में ऐसे स्थान हैं जहां पाठा में चार-चार मील से पानी लाकर लोग पीते हैं, ऐसे-ऐसे स्थान हैं जहां कर्वी तहसील में गर्मियों में तालाब, कुएं सूख गये थे और लोगों को पानी-पीने तक के लिये मुहैया नहीं होता था। मैंने मंत्री महोदय को तथा आल इंडिया तथा प्रान्तीय कांग्रेस प्रेसीडेंट को भी समय-समय पर सूचना दी है।

मैं अपने क्षेत्र कर्वी मऊ बबेरू की हालत आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र ७० मील लम्बा और ४० मील चौड़ा है। जिले के अर्ध भाग में सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। अभी माननीय त्रिपाठी जी की कृपा से एक छोटी सी नहर ओहन बांध बनाई गई है, लेकिन जो उत्तम साधन पैस्वनी बांध है, पैस्वनी बांध बांधा जावे इसके लिये मैंने सरकार को लिखा है और मंत्री जी का भी ध्यान दिलाया है कि ऐसे स्थान पर सरकार के गल्ले में वृद्धि होगी जहां लाखों मन गल्ला पैदा होकर जनता को लाभ होना है और इन नदियों का पानी विन्ध्य प्रदेश का जमुना नदी को जाता है और बिहार में वह बाढ़ लाता है। इसलिये अगर इसका इन्तजाम किया जाय तो दुगुना लाभ होगा। एक तो उधर बाढ़ रुक जायगी और दूसरे जनता खुशहाल होगी। मेरे क्षेत्र में सब से बड़ी जरूरत नहर की है। अगर निकल जाय तो लाखों मन गल्ला मिलने लगे। वहां की तकलीफों के बारे में नहर विभाग के आफिसर्स जानते हैं। इसलिये पैस्वनी बांध को बांधने की कृपा की जाय।

हमारे यहां यमुना किनारे की भूमि बराबर है और पत्थर का नाम तक नहीं है। वहां केवल एक नलकूप लगा है। इतना बड़ा कर्वी मऊ क्षेत्र हमेशा अकाल पीड़ित रहे, यह हमारी सरकार के लिये भुलावे की बात है। यहां की उपजाऊ जमीन होने पर भी कुंवार में पानी न बरसने से फसल सूख जाती है, पशुओं तक को पानी पीने को नहीं मिलता है। हमारे यहां पहाड़ी नाले हैं और नदियां हैं जो पानी को बहाकर ले जाती हैं और बांध हो जाय तो अकाल मिट जायगा। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं कि इसके सिवाय और कोई जरिया नहीं है। इसलिये इसका इन्तजाम होना चाहिये। ऐसा कोई साल नहीं होगा कि मैंने लिख कर मंत्री जी के पास न भेजा हो, लेकिन कोई ख्याल नहीं किया जाता है। हमारी वही दशा है कि "समुद्र में पानी बरसता रहा, बीकानेर विचारा तरसता रहा, पानी में जाकर पानी मिलता रहा। प्यासे को चुल्लू पिलैया नहीं। धनियों को सारे सहारे मिले, निर्धनियों का कोई पुछैया नहीं।" कई प्रकार के कच्चे पदार्थ होने पर भी हमारे यहां कोई व्यवसाय भी नहीं खोला जाता है। ओहन बांध बांधने के पहले यह बांध योजना में था, लेकिन बाद को काट दिया गया। इसलिये प्रार्थना है कि इस पर पुनः ध्यान दिया जाय। हमारे यहां बांध बनाया जाय। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। केवल राजापुर मऊ सरधुवा में नलकूपों को लगा कर परीक्षण किया जावे।

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—माननीय, इस विवाद में भाग लेने का कोई मेरा इरादा नहीं था। इस नयी सरकार के बनने के बाद और इस नयी असेम्बली के आने के बाद इस विभाग का काम हमारे भाई राममूर्ति जी के जिम्मे हुआ, जो पहले इसी विभाग के उपमंत्री थे और इससे पहले के पांच वर्षों में इस सभा की कृपा से इस विभाग के संचालन का काम मेरे जिम्मे था। आज जो विवाद हो रहा है उसका बहुत कुछ सम्बन्ध उन कार्यों से है जो पिछले पांच वर्षों में हुये हैं। वैसे तो हमारे भाई राममूर्ति जी उन तमाम चीजों से परिचित हैं, हमारे मंत्री हैं, उन्होंने एक सुन्दर सा बजट उपस्थित किया है, फिर भी मैंने ऐसा समझा कि कदाचित् मुझे कुछ थोड़ी सी बात सदन को निवेदन कर देनी चाहिये। वैसे तो मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन नयी विधान सभा आयी है, नये सदस्य लोग आये हैं, इसलिये नया दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछले पांच वर्षों में इस विभाग के सम्बन्ध में यहां जो वादविवाद होता रहा है, जो सुझाव आते रहे हैं उससे इस बार के वादविवाद में जमीन आसमान का भेद दिखाई देता है। यह कोई दावा नहीं कर सकता कि विभाग में,कहीं गलतियां नहीं हैं कहीं कमियां नहीं हैं कहीं खराबियां नहीं हैं। कोई यह भी दावा नहीं कर सकता कि हमसे भूल नहीं हुई है, हमने गलतियां नहीं की होंगी। कोई यह भी दावा नहीं कर सकता कि हमें कहीं भी अज्ञान नहीं रहा। हमने काम को ठीक समझ कर किया हो, लेकिन मुमकिन है कहीं उसमें कोई गलती निकली हो। इसे भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि बहुत से कार्य जिन्हें हम समझते थे कि जल्दी पूरे होने चाहिये शायद पूरे न हो सके हों। ये सब बातें हो सकती हैं। पर आज प्रातः काल से यहां जिस प्रकार का चित्र अंकित किया गया, श्रीमन् मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई बहुत न्याय की बात नहीं हुई है। जिस प्रकार का चित्र इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उससे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारे प्रान्त में न एक कौड़ी का अब तक काम हुआ है, न कोई काम हो रहा है, न कोई काम करने वाला है, न कहीं कोई काम करने की योजना रही है, धेले भर काम नहीं, हुआ सारा पैसा उड़ा दिया गया, ऊपर से नीचे तक सब पैसा खा डाला गया, कहीं एक इंच सिंचाई नहीं हुई और सब कुछ एकदम से चौपट है। इस प्रकार का चित्र अंकित करने की चेष्टा की गयी। मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत उचित बात नहीं हुई। यह स्वीकार करते हुये कि कमियां हो सकती हैं, मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में सिंचाई के सम्बन्ध में जो कार्य किया गया है वह रेकार्ड एचीवमेंट है जिसकी तुलना में आप देश के किसी भी प्रान्त को खड़ा नहीं कर सकते। और मैं नम्रतापूर्वक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तेजी से पिछले पांच वर्षों में यह काम हुआ है और जिस तेजी से उसकी योजनाएं बनी हैं और जिस तेजी से वे योजनायें कार्यान्वित की गयी हैं उसकी मिसाल भारतवर्ष के पिछले ढाई सौ वर्षों के इतिहास में मिल नहीं सकती। पांच वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भू-भाग में जहां की जमीन का भी पता नहीं था कि वह किस तरह की भूमि है, यह भी नहीं पता था कि किस तरह के साधन यहां प्रस्तुत किये जा सकते हैं, यह भी नहीं पता था कि यहां धरती के नीचे पानी भी है अथवा नहीं, यह भी नहीं पता था कि कहीं नहर निकाली जा सकती है अथवा सिंचाई के कोई साधन हो सकते हैं या नहीं, ऐसे एक, दो नहीं, पचीसों उत्तर प्रदेश के जिलों में जिनमें सिंचाई का नाम भी लोगों ने कभी नहीं सुना था जहां सिंचाई विभाग का एक आदमी भी कभी नहीं गया था, जहां के लोग यह जानते नहीं थे कि ट्यूबवेल क्या होता है और क्या नहर होती है, ऐसे तीसों जिलों में सिंचाई की विस्तृत योजना बना लेना, एक-एक इंच जमीन का सर्वे कर लेना, एक-एक इंच जमीन की सिंचाई के लिये योजनायें बना लेना, एक-एक जिले में कौन-कौन से साधन ऐसे हैं जिनके स्रोतों से हम सहायता पहुंचा सकते हैं, उनको ढूंढ़ निकालना, उन योजनाओं को कार्यान्वित करना और एक बड़ी सीमा तक उनमें सफलता प्राप्त करना यह कोई छोटी बात नहीं रही है। पिछले २०० वर्षों में जितना सिंचाई का प्रबंध अंग्रेजी राज्य के जमाने में हुआ वह काफी था। अंग्रेजों ने और चाहे कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन सिंचाई के महकमे में उन्होंने काफी काम किया था। कारण भी यही था कि वह जानते थे कि हम इस में पूंजी लगा कर इससे आमदनी कर सकते हैं, उससे रुपया पैदा कर सकते हैं। उन्होंने महकमे को इसी ढंग से चलाया था। इन पिछले पांच वर्षों में जितना काम उन्होंने किया था, उसका ड्योढ़ा और दूना काम हुआ है। दीपंकर जो यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने ५ चीफ इंजीनियरों की बात कही थी। जितना काम कुल १५० या २०० वर्षों में हुआ होगा उतना काम इन पिछले ५ वर्षों में हुआ है। १० करोड़ रुपया एक-एक साल में योजनाओं पर अगर खर्च किया जाय तो क्या आप समझते हैं कि एक चीफ इंजीनियर से काम चल सकता है? अगर काम नहीं

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

चल सकता था तो क्या सार्वजनिक हित इस बात को मांग नहीं करता कि हम कार्य पर अधिक नियंत्रण रखने के लिये चीफ इंजीनियर अधिक बढ़ायें। आज लोकतंत्र का जमाना है। इसमें अफसर बहुत बढ़े हैं। लोकतंत्रात्मक पद्धति में अफसर बढ़ते ही हैं। पहले एक कलेक्टर होता था आज ३,४ कलेक्टर होते हैं। पहले जिले में एक एस०पी० हुआ करता था आज एक-एक जिले में दो, तीन एस० पी० हो जाते हैं। एस०पी० हैं, ए० एस० पी० हैं। जहां एक कोतवाल हुआ करता था वहां आज तीन चार डी० एस० पीज० होते हैं। आज एक-एक जिले में एस०डी०एम० भी दो, तीन हैं। तादाद अफसरों की बढ़ी हैं। आपके इंजीनियर्स भी जब ३५, ४० करोड़ का काम करेंगे और एक-एक साल में ८ करोड़ या १० करोड़ रुपये का काम होगा तो आवश्यकता थी कि उनकी वृद्धि होती। इसके अलावा जो काम हुआ है उसको भी आप देखें। क्या यह सही नहीं है कि जहां १९५०-५१ और ५२ में लोग सूखे से तबाह हुये थे वहां ट्यूबवेल बने हैं, बांध बने हैं? हो सकता है कि कुछ ठेकेदारों ने चोरी की हो, हो सकता है कि ओवरसियरों ने बेईमानी की हो, पर यह कह देना कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं, सब सपाट पड़ा हुआ है ऊपर से नीचे तक, मैं समझता हूं यह बात कहना उचित नहीं है। मान्यवर, मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं और बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग में अपेक्षाकृत अन्य विभागों के खराबियां कम रही हैं। यह मैंने स्वयं देखा है और इस बात की कोशिश रही है कि खराबियां कम से कम हों, उनको जहां तक हो समाप्त कर दिया जाय और इतना तो है ही कि अन्य विभागों से खराबियां इसमें कम ही हैं, अधिक नहीं रही हैं। ऊपर के अफसरों ने इस बात की पूरी चेष्टा की है और उसका परिणाम यह है कि सारे पूर्वी जिले, बुन्देलखंड का इलका, पर्वतीय प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका, तथा वह जिले जिनमें सिचाई के साधन कम थे, मैं तो कहूंगा कि कोई जिला इस प्रदेश का ऐसा नहीं है कि जिसको इस विभाग का स्पर्श प्राप्त न हुआ हो। आपकी योजनाओं के द्वारा यह कहना कि उसका एरिया नहीं बढ़ा है, सही हो हो सकता है कि एरिया अभी न बढ़ा हो लेकिन काम बढ़ा नहीं है ऐसा नहीं है। शारदा कैनाल को अभी तक अननेग्रोडक्टिव लिखा जाता है। हमारे गौरी शंकर जी ने कहा कि उसको अनप्रोडक्टिव कैसे लिखते हैं, उसके द्वारा तो गल्ला का उत्पादन होता है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसलिये है कि पूंजी पर सरकार को साढ़े चार फीसदी सूद मिलना चाहिये। वह इस शारदा कैनाल से नहीं मिलता।

श्री त्रिलोकी सिंह---शारदा में ६ फीसदी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने त्रिलोकी सिंह जी की बात सुनी नहीं कि वह क्या कह रहे हैं, लेकिन शारदा कैनाल आज तक उतनी प्रोडक्टिव नहीं हो सकी जितनी कि उसे होनी चाहिये। हम इर्रीगेशन धीरे-धीरे करते हैं। बहुत जगह तो किसान यह भी नहीं जानता कि पानी कैसे लेना चाहिये। नई नालियां बनती है। मिट्टी ढह जाती है तो नालियां गिर जाती हैं। कुछ ठेकेदार भी गलती करते होंगे, इसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन सिंचाई करने की आदत पड़ती है। यह ट्यूबवेल्स जब सन् १९३० में सर विलियम स्टैम्प ने लगाने की स्कीम चलाई थी तो उस समय की प्रोसीडिंग्स को उठाकर देख लें, यही कहा गया था कि ये लोग करोड़ों रुपये बेकार फूंकते जा रहे हैं और धन की बरबादी हो रही है। यह गंगा हाइडल के जब पावर हाउस बने थे तो बिजली देने के लिये ये लोग घूमा करते थे कि बिजली खरीद लो। उस समय कोई एक पाई की बिजली नहीं लेता था। उनको यह कहा जाता था कि करोड़ों रुपया हाइडल में लगा दिया गया है लेकिन उसका उपयोग कुछ नहीं हो रहा है। आज वह जमाना है कि बिजली मिलती नहीं है। पावर हाउसेज की बिजली कम होती जा रही है। वह जमाना आज ट्यूबवेल्स के लिये है जिसके लिये हमारे भाई कहते हैं कि पानी नहीं मिलता है। दीपंकर जी कहते हैं कि दूसरी जगह पानी देते हो हमको नहीं देते हो। कुलाबे का मुंह दूसरी तरफ फेर देते हो। जिन इलाकों में ट्यूबवेल सन् १९५४ में लगे वहां पर सन् १९५५ में सिंचाई अधिक हुई और सन्

१९५५ से सन् १९५६ में अधिक सिंचाई हुई और उससे भी अधिक ५७ में सिंचाई होगी। थोड़ा समय लगेगा जैसा कि प्रारम्भ में सब जगह लगता है। जो खराबी है उस खराबी की तरफ सरकार का ध्यान आप दिलायें। हम समझते हैं कि उन खराबियों की तरफ ध्यान दिया जायगा और उनको दूर करने की कोशिश की जायगी। हम इस बात को समझते हैं कि खराबियां होंगी और निश्चय ही होंगी। अगर कोई कहे कि सब ब्रह्मा की तरह से निर्दोष हैं तो यह उचित नहीं है। इसलिये यह कहना कि सब कुछ खराब ही है और कुछ हुआ ही नहीं तो मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आंख खोलकर देखें और उन इलाकों को देखें जहां पर कुछ समय पहले कुछ नहीं था, जहां पर लाखों एकड़ जमीन बाढ़ में आ गयी थी, जहां पर पहाड़ तोड़ गये हैं, जहां पर बड़े बड़े जंगलों को काटकर योजनायें बनायी गयी हैं और इतनी जल्दी बनायी गयी हैं और इतनी तेजी से काम पूरा किया गया है कि जो प्रशंसा करने के योग्य है। सिंचाई बढ़ती जा रही है और ऐसी लगता है कि २,४ वर्षों के अन्दर, जिनको आज कहा जाता है कि उनके बनाने से कोई फायदा नहीं हुआ, पानी की कमी महसूस होती है, हम सिंचाई कर पायेंगे। ३० साल पहले बनी योजनाओं के लिये भी ऐसा ही कहा जाता था। ५-७ साल के बाद वहां भी यही दशा हो जायगी।

अगर आप कोई खराबी समझते हैं तो उन खराबियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। उनको दूर करने की चेष्टा की जायगी। इस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना सामने है। कई करोड़ रुपये का काम है। यदि उनके लिये आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं जो इसको चलाने वाले हैं उनको भी तभी विश्वास होगा जब आपका भी सहयोग उनको प्राप्त होगा। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये योजनायें आपके सहयोग के बिना चलने वाली नहीं हैं और आपके सहयोग के बिना उन किसानों का, जिनके प्रति हमारा और आपका प्रेम है, जिनका हम और आप भला करना चाहते हैं, उनका भी हित नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाई राममूर्ति जी ने, जो बजट उपस्थित किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं कि भूतपूर्व सिंचाई मंत्री ने भी यह उचित समझा कि इस विवाद में हिस्सा लें। आज इस सदन में बहुत दिनों के बाद उधर के बैठने वालों से यह ध्वनि मिली की इनके पूर्वजों ने भी कुछ अच्छे काम किये थे। सिंचाई के सिलसिले में श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् २६ से लेकर ३५ तक उस जमाने की सरकार ने १२ करोड़ रुपया इर्रीगेशन पर कैपिटल एक्सपेंडीचर नहर और ट्यूबवेल के लिये किया। १२ करोड़ से २१ हजार एकड़ रकबा आबपाशी में आया। १० साल के हैं ये कारनामे पुरानी सरकार के, सन् २६ से सन् ३५ तक। इस सरकार ने, जिसकी रहनुमाई माननीय कमलापति जी ने अर्से से की है और सिंचाई विभाग के मंत्री रहे हैं, पिछले ११ वर्षों में ५५ करोड़ के इनवेस्टमेन्ट से केवल ११ लाख एकड़ नई आराजी को सींच की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन् ४१ से ४७ तक ५ सालों की सिंचाई का अगर औसत लिया जाय तो ५७ लाख एकड़ सींच हुई है और सन् ५० से ५६ का औसत लिया जाय तो ६८ लाख एकड़ की सींच हुई है। ५५ करोड़ के इन्वेस्टमेन्ट पर ११ लाख एकड़ का इजाफा हुआ है, १ वर्ष में लगभग १ लाख एकड़ का हिसाब आता है।

लम्बी बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि जनता के हित को ध्यान में रखिये। २ करोड़ ९२ लाख एकड़ आराजी इस प्रान्त की ऐसी है जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। इस तरह २९२ वर्ष लगेंगे इस सारे प्रदेश को आराजी के सींच का प्रबंध करने के लिये।

५५ करोड़ रुपये में ११ लाख एकड़ की सींच हुई तो ५०० रुपये में एक एकड़ की सिंचाई का प्रबंध हमारी सरकार कर पाई है। मुझे निजी तौर पर भी मालूम है कि माननीय मंत्री जी के सिंचाई इंजीनियर्स अमेरिका की हवा खा आये हैं और वहां के सिंचाई सिस्टम और हाईडेल

[श्री त्रिलोकी सिंह]

का अध्ययन किया है। अमेरिका में १ एकड़ सिंचाई का कैपिटल एक्सपेन्स ३४२ रुपये हैं। इस पर यह तेवर कि यहां की बातों का बाहर बुरा असर पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे कि क्या वजह है कि अमेरिका में जहां पर १० गुनी मजदूरी है वहां १ एकड़ के लिये केवल ७२ डालर यानी ३४२ रुपये और यहां ५०० का व्यय है। माननीय वीरेन्द्र वर्मा से किताब मांग कर माननीय मंत्री जी देख लें।

अंग्रेजों ने जो किया उसके मुकाबिले में क्या कोई भी मेजर प्रोजेक्ट इस सरकार ने ११ वर्षों में निकाला? छोटे-छोटे ट्यूबवेल छुटपुट इधर उधर लगा दिये। एक रुपये में यहां १६ हजार गैलन पानी देते हैं, १६,००० में ३ आने की छूट देते हैं, अथवा एक रुपये में १३।। हजार गैलन पानी सिंचाई में देते हैं। अमरीका में १ एकड़ की सिंचाई के लिये ७।।) है जिसका यहां ६ रुपये २ आने से लेकर १३ रुपये तक है। कहा जाता है कि अमरीका के लोग बड़े चतुर हैं लेकिन बार-बार दुहाई दी जाती है कि हम उन्हीं के तरीकों से यहां तरक्की करेंगे। हमको बाहर से मशीनरी मंगानी पड़ती है और बड़े-बड़े इंजीनियर्स रखने पड़ते हैं जिनकी सारी लियाकत इर्रीगेशन के मामले में पाश्चात्य देशों की लियाकत है। फिर मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की क्या योजना है २७ परसेन्ट रकबा सिंचाई हुआ है, १५ परसेंट तालाबों के कच्चे-पक्के कुआं आदि से और १२ परसेंट सरकार के ट्यूबवेल और नहरों आदि से। तो कितने अर्से में वे इस प्रदेश की सिंचाई को पूरा कर सकेंगे और कितनी पूंजी से?

सन् ४६–४७ में १७ हजार मील नहर की मेंड़ और चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज थीं। अब २२ हजार मील कर दी गई हैं। सन् ४६ में २ क्यूजेक वाटर पर १ मील का चैनेल था या नहर थी और अब विकास के समय एक ही क्यूजेक पर १ मील नहर निकाल दी। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि पानी कम है, नहरें लम्बी हैं, इसलिये सोच समझ कर काम करो

परसों यहां कहा गया कि जितने लोग इधर के आये हैं वे इसलिये नहीं आये हैं कि उनका अपना भी कोई ज्ञान या राय या साख है बल्कि इसलिये आये हैं कि उधर के लोगों से जनता खफा है। यह माननीय माल मंत्री ने, २ दिन हुये, कहने का साहस किया। जाने दीजिये हमारी कोई साख नहीं है। लेकिन याद रखिये कि १०० आदमी में से ५८ आदमी आपसे खफा हैं और उनके गुस्से को बर्दास्त नहीं कर सकते हैं चाहे कितनी ही अच्छी किताबें छापकर बांटी जावें और कितने ही तेवर से इस सदन में भाषण दिये जावें। हमसे आप १ पैसे का सवा पैसा ले लीजिये लेकिन १ पैसे की जगह ४ पैसे खर्च करके उसका बदला हमको नहीं मिले तो कष्ट होता है।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिश्चन्द्र सिंह जी, आप सिर्फ २ मिनट भाषण करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—माननीय उपायक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी के अनुदान का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कुछ सुझाव भी मांगे हैं तो मैं कुछ सुझाव तो दे नहीं सकता क्योंकि मैं उस इलाके से आया हूं जहां सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है, न वहां कुएं हैं और न नहरें हैं। परगना सलेमपुर, तहसील दातागंज, जिसकी ९० फीसदी आबादी सिर्फ खेती पर रहती है, वहां कुछ सिंचाई के साधन बनाये जावें, मेरी इतनी ही प्रार्थना है। मैंने सुना है कि कुछ कुंए मंजूर हुये हैं और ४, ६ बने भी हैं लेकिन अभी वहां बिजली नहीं पहुंची है और मैं मंत्री जी से आशा करता हूं कि इस पिछड़े हुये इलाके का जिसे सब भूले हुये हैं, ध्यान किया जाय। वहां सन् १९ से पहले सिर्फ ६।। मील सड़कें बनी थीं, वह अब तक १ इंच भी आगे नहीं बढ़ी हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके लिये भी कुछ करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री रामसिंह, आप केवल ५ मिनट बोलेंगे।

श्री राम सिंह, चौहान वैद्य (जिला आगरा)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से केवल यह निवेदन है कि यदि वे विरोधी पक्ष के लोगों की बात नहीं मानते हैं तो अपने लोगों की बात तो कम से कम मानें। यदि उतना मान लेंगे तो बहुत कुछ समस्या का हल वह कर सकेंगे। कुछ थोड़ी सी बातें मुझे उनसे कहनी हैं। ये बड़ी बड़ी योजनायें आप बनाइये, बना सकते हैं और बना रहे हैं। हमने कभी इंकार नहीं किया कि इससे चौपट हो रहा है। वह हमारे पूज्य हैं, आदरणीय हैं, क्या कहें तजुर्बेकार भी हैं। उन्होंने नतीजा निकाला कि सबने यही कहा कि चौपट हो रहा है। इस प्रकार की बातें तो हमने कही नहीं। हमने तो यह कहा कि जैसा होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। वे अपने साथी और न जाने उनसे उनके और क्या सम्बन्ध हैं, श्री गोविंद सहाय की बातों को ही मानें। अगर केवल उन बातों पर ही ध्यान दिया जाय तो मैं समझता हूं हमें और कोई उत्तर देने की बात नहीं रह जाती। मैं चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपया बड़ी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है उसमें से केवल १-२ करोड़ रुपया ही छोटी योजनाओं पर खर्च करके देखिये। थोड़े से तालाबों का पुनर्निर्माण कराइये। उसके पानी से जब गांवों में आग लगी होगी वह भी बुझाई जा सकेगी। नहरों का जो पानी बेकार जाता है उससे वे भरे जा सकते हैं। पक्के न सही तो कच्चे ही बनवा दीजिये, उन पर भी थोड़ा सा खर्च कर दीजिये। अगर आपको देश को पनपाना है तो आप छोटी योजनाओं पर पैसा खर्च कीजिये। इन बड़ी बड़ी योजनाओं ने तो अभी तक नाश ही किया है। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके, अपने ही लोगों के सुझावों को मानें, कुओं की योजनाओं को, तालाबों की योजनाओं को माने, बड़े जलाशयों की योजनाओं को छोड़ कर थोड़े दिनों के लिये इन पर अधिक ध्यान दें। एक बार इन पर खर्च करके देख लीजिये। पंचायतों द्वारा ही इन पर खर्चा कराइये, गांव-गांव हरे भरे हो जायेंगे। जब तक आप इन बातों को नहीं मानेंगे तब तक इन करोड़ों रुपये के खर्चे के बारे में हम सदैव ही खिलाफ बोलेंगे। और मैं समझता हूं कि हर समझदार आदमी खिलाफ ही बोलेगा।

जहां तक समाजवाद की बात है, यह राज्यवादी समाजवाद है जो बहुत दिनों से चला आता है। अपनों के लिये अपने साथियों के लिये बड़े-बड़े महल बने, अपनों को बड़ी-बड़ी नौकरियां दी गयीं। यह ऊपर वाला समाजवाद आज भी पलता चला जा रहा है। ऊपर से शुरू न करके जरा नीचे से शुरू कीजिये। सच्चे समाजवाद को तो नीचे से शुरू करना होगा। गरीबों से शुरू करना होगा। इसको समाप्त करके मेरा अन्तिम निवेदन यही है कि अब यह छोटी योजनायें भी आप जरा अपने हाथ में लें। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री राममूर्ति--उपाध्यक्ष जी, मैं अपने तमाम साथियों को, जिन्होंने आज के विवाद में हिस्सा लिया, हमारी तरफ के और विरोधीदल के, जिन्होंने सिंचाई विभाग के काम की सराहना की और उनका भी जिन्होंने उसकी आलोचना की, बड़ा भारी आभारी हूं। सराहना से तबियत को खुशी होती है और आलोचना जो थोड़ी देर के लिये बुरी लगती है लेकिन उससे बहुतसा ज्ञान मिलता है और आग के लिये उससे फायदा मिलता है। एक बात इस सिलसिले में यह अर्ज करूं कि हमारा यह प्रदेश और देश एक बड़े जमाने तक गुलाम रहा। उस गुलामी के जमाने में हमारी हर तरह से क्षति हुई। हम गरीब भी हो गये, अज्ञानता भी बढ़ गयी, ऐसी सारी बातें हो गयीं। अब १० साल से स्वराज्य हुआ और स्वराज्य होने के बाद यह स्वाभाविक बात है कि हमारे सब के अन्दर कुछ उम्मीदें पैदा हुई, हमारे दिलों के अन्दर कुछ तमन्नायें पैदा हुई और विशेषकर जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं, उन सबने स्वतंत्रता की प्राप्ति में स्वराज्य की लड़ाई में हिस्सा लिया, उन सब के अन्दर उत्साह भी है और सब दिल से चाहते हैं कि हमारे देश की, हमारे राज्य की और हमारे प्रदेश की उन्नति बहुत शीघ्र हो। हममें से कोई भी ऐसा नहीं है जो यह चाहता हो कि हमारे रुपये का दुरुपयोग हो, हमारे देश की तरक्की न हो, हमारे लोगों को सुख न मिले, हमारे देश की पैदावार न बढ़े। सब लोग यह चाहते हैं कि हमारे देश

[श्री राममूर्ति]

का जो करोड़ों रुपया बाहर जाता है वह बचे तथा और अच्छे काम में लगाया जाय। देखना यह है कि इन सब तमन्नाओं के होते हुये भी हमारे साधन कितने हैं और इन साधनों को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें।

मैं किसी को भी दोष नहीं देता। जो कोई भी इस जगह आकर बैठेगा, आखिर दुनियां के जो लेमेन हैं, उनको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी पड़ेगी। एक्सपर्ट से हम अपने मुल्क के अन्दर तो सलाह लेते ही हैं और आवश्यकता होने पर बाहर के लोगों की सलाह भी ली जाती है। हम बहुत दिनों तक बाहर के लोगों की सलाह पर अपनी जिन्दगी को कायम नहीं रख सकते, तो फिर यह कुछ उदारता की बात नहीं कही गई कि हम इंजीनियर्स के हाथ में खेल रहे हैं, या सरकारी नौकरों के हाथों में खेल रहे हैं। आज सरकार जिस तरह की बनी हुई है और हमारा संविधान जिस तरह से बना हुआ है उसमें सबके लिये कुछ मर्यादायें हैं। सरकारी लोगों के लिये भी मर्यादायें हैं, पब्लिक के लोगों के लिये भी मर्यादायें हैं, आजादी भी है, बन्दिशें भी हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुये अगर पूरी तस्वीर को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे प्रदेश में जो काम हुआ है वह सराहनीय है। जैसा कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि कितने जिले इस प्रदेश में ऐसे थे जहां के लोग जान ही नहीं पाये थे कि सिंचाई के साधन क्या हुआ करते हैं। उनको ट्यूबवेल वगैरह देखने का मौका ही नहीं मिला था। इस दस साल के जमाने में गवर्नमेन्ट की तरफ से सिंचाई के लिये बहुत काम हुआ है।

इस सिलसिले में कुछ रुपये का भी जिक्र किया गया कि खर्च बहुत हुआ। आखिर वे भी इंसान हैं, वे भी इसी सोसाइटी के हैं, चाहे इससे कोई डाक्टर बन जाय, चाहे इंजीनियर बन जाय, चाहे कोई एम०एल०ए० बन कर राजनीति में हिस्सा ले, लेकिन हम सब लोग उसी समाज के हैं जिसका प्रतिबिम्ब हम पर पड़ता है। हमारा जैसा चरित्र होगा उसकी छाया तो समाज पर पड़ेगी ही। अगर आज समाज में बुरे लोग हैं तो आखिर हम कितनी देर तक इस बात का इंतजार करें कि हमारे सब लोग जब नेक और ईमानदार हो जायेंगे तभी हम अपना काम शुरू करेंगे। हरिश्चन्द्र का खानदान कब तक आयेगा, उस वक्त तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। आज की व्यवस्था में इंजीनियर लोग भी होने चाहियें, नीचे के कर्मचारी और और विभागों के लोग भी जो सरकार के अन्दर काम करते हैं उनकी भी आवश्यकता है। इसके अलावा ठेकेदार भी इसी समाज के लोग हैं, उनसे भी हमको काम लेना है। उनकी बुराइयों के बारे में कितनी बार कहा गया है लेकिन उसको सबके लिये जनरलाइजेशन करना ठीक नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत जो इस सदन में की गयी, चाहे इस सदन के किसी भी सदस्य ने कहा हो और कोई सजेशन दिया हो, अगर मेरी नोटिस में आयी या हमारे इंजीनियर की नोटिस में लायी गयी तो उसके ऊपर कोई न कोई कदम उठाया गया हो, यह नहीं कहा जा सकता है। यह खयाल भी हो सकता है कि उसकी जांच पड़ताल किसी भाई की मरजी के मुताबिक या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसका फैसला न दे पाये हों। क्योंकि मैं बतलाऊं कि उसमें कितनी दिक्कतें हैं, और मर्यादायें हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है। आज के दिन तो यहां तक होता है कि अगर हम किसी का ट्रांसफर भी कर देते हैं तो वह आदमी हाईकोर्ट में जाकर रिट दाखिल कर अपना ट्रांसफर रुकवा लेता है। तो ये सारी दिक्कतें हमारे सामने हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारा काम चल रहा है। इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं।

अब मैं आदरणीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, उनके बारे में कुछ जिक्र कर दूं। खासकर वे हमारे भाई जिन्होंने यह कटमोशन पेश किया है, उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी योजनाओं को छोड़ कर छोटी-छोटी योजनायें ली जायं। मैं आप से कह देना चाहता हूं कि हमारी इस गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा भारी चार्ज है और बड़ी शिकायत इस बात की है कि वह उत्तर प्रदेश के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से जाकर कोई बड़ी योजना नहीं ला पायी। भाखरा नांगल के लिये २०८ करोड़ मिला, हीराकुंड के लिये १८० करोड़ मिला, तुंगभद्रा के लिये

१५० करोड़ मिला, डी० वी० सी० के लिये करोड़ों रुपये मिले, लेकिन हमारे यहां कोई एक भी बड़ी योजना नहीं बन पायी। हमारी शुरू से ही यह कोशिश रही है कि यहां पर छोटी-छोटी योजनायें शुरू की जायं ताकि हर जिले में उसका जाल-सा बिछ जाय और लोगों के दिलों में उसके लिये ख्वाहिश पैदा हो। हमने जिले के अन्दर हजार का भी काम किया है, लाख का भी काम किया है और करोड़ों रुपये का भी काम किया है। तो यह कहना भी गलत है कि हम छोटी योजनाओं पर कम ध्यान देते हैं। नलकूप को क्या कोई बड़ी योजना है? वह ४० हजार में बन जाता है, वह कोई बड़ी योजना नहीं है, हजारों बन गये। हमारे मित्र श्री गोविन्द सहाय ने कहा कि चीन में आबपाशी के लिये बहुत से कुयें खोदे गये, लेकिन उनको शायद मालूम ही होगा कि इस प्रदेश में भी लाखों कुयें बन चुके हैं और उनके लिये पंचवर्षीय योजना में लाखों रुपया दिया गया है, मेसोनरी वेल भी बने हैं, रहट भी लगे हैं और ट्यूबवेल भी बने हैं। प्लानिंग विभाग की ओर से तमाम कुओं की व्यवस्था हुई है और सदन का हर सदस्य किसी न किसी जिले की प्लानिंग कमेटी का सदस्य है ऐसा नहीं होगा कि उनके नोटिस में यह बात न हो। आज भी इस काम के लिये रुपया दिया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम अपने यहां मेसोनरी या ट्यूबवेल बनवाना नहीं चाहते। यह बात भी सब भाइयों ने नोट की होगी कि जहां हम मेसोनरी वेल या रहट लगाना चाहते हैं वहां लोग कहते हैं कि ट्यबवेल बनाया जाय। मैं आचार्य दीपंकर जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि लोग पहले ट्यूबवेल से पानी लगाते हैं और बाद में नहर से या कुयें से पानी लेते हैं। मैं यह बात नहीं मान सकता कि कोई भी किसान ऐसा होगा कि वह एक एकड़ के लिये २६ रुपया सिंचाई के दे और बाद में वह रहट से पानी ले। मैं खुद अभी मेरठ गया था वहां मैं बहुत से लोगों से मिला और मुझसे तो वहां लोगों ने शिकायत की कि हमको हजारों रुपये के बैल कुवों से पानी निकालने के लिये खरीदना पड़ता है और पानी निकालते-निकालते बैल मर जाते हैं फिर भी पानी पूरा नहीं पड़ता इसलिये आप हमारे यहां ट्यूबवेल बनवा दीजिये। तो एक तरफ तो मुझ से खुद यह कहा जाता है, पता नहीं कि कौन सी बात सही है लेकिन मैं तो खुद वहां से अभी लौटकर आ रहा हूं इसलिये मैं अपने कानों को तो गलत नहीं समझ सकता।

हमारे एक साथी ने जिक्र किया कि एग्जिक्यूटिव इंजीनियर्स को हिदायत दी जाय कि वे दौरे पर जायं तो सभापतियों को इत्तला कर दिया करें ताकि वह उन से जो काम बनाये जाते हैं उन के बारे में तहकीकात कर लिया करें कि वहां के काम ठीक हुये हैं या नहीं। मैं भी उनकी इस बात को पसन्द करता हूं और मैं भी अपने हर दौरे में पिछले जमाने में भी और अब भी लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं और मेरे जिन साथी ने अभी इसका जिक्र किया वह भी शायद इस बात को जानते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा आदमियों को पहले से इत्तला देता हूं और उनसे मालूमात करने की कोशिश करता हूं कि जो काम बन रहे हैं वह संतोषजनक हैं या नहीं। इसके अलावा मैं उनको आगे के लिये भी आश्वासन देता हूं कि इस तरह की हिदायतें जारी कर दी जायंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपने कामों के बारे में हम मालूमात कर सकें कि जो काम बन रहे हैं वह कहां तक सफलता के साथ बन रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस समय की सरकार अधिकतर इस चीज को ध्यान में रखकर काम बनवाती है और रुपया खर्च करती है कि उसको आमदनी किसी तरह से बढ़ जाय। ऐसा पहले होता था लेकिन जब से ऐसे राज्य बने हैं कि जिनको कल्याणकारी राज्य कहा जाता है तब से वह पुरानी बात विभाग से हटा दी गई है। अब तो करोड़ों रुपया ऐसा खर्च हो रहा है कि जिस से कतई इस बात का खयाल नहीं है कि एक प्रतिशत का भी सूद हमें मिले। यह तमाम ट्यूबवेल्स और मेसोनरी कुंयें इसी

[श्री राममूर्ति]

लिये बनाये जा रहे हैं कि जिससे किसी तरह से पानी लोगों को पहुंच जाय। कितने ही इलाके, मिर्जापुर, पूरब और बुन्देलखंड में हैं कि जहां पर पहले पीने को भी पानी नहीं मयस्सर था वहां पर लाखों और करोड़ों के काम बनाये गये हैं और उन से कोई रिटर्न नहीं है। इसलिये यह कहना कि यह विभाग केवल रेवेन्यू बढ़ाने के लिये काम कर रहा है गलत है। कितना ही व्यय केपिटल एक्सपेंडीचर फंड से हो चुका है, और कितना ही रुपया यह विभाग सूद के तौर पर देता है महज इसलिये कि लोगों को लाभ हो, उसमें कोई आय का सवाल नहीं है। हमारा ध्येय यही है कि हम ऐसे काम बढ़ायें कि जिनसे लोगों को पानी मिले, जमीन की पैदावार बढ़े और हमारे किसानों की आय ४ पैसे की बढ़े।

हमारे एक साथी ने ओसरा बन्दी का जिक्र किया और कहा कि उसकी फीस न ली जाय। मैन्युअल में दिया हुआ है कि जो लोग पानी का बंटवारा स्वयं ही कर लें उनके लिये इस की जरूरत नहीं है।

मैं गंगा और यमुना नहर के बारे में तो नहीं कहता लेकिन शारदा के ऊपर अभी भी न मालूम कितने जिले ऐसे हैं जहां ओसरा बन्दी नहीं है। चूंकि मेरठ डिवीजन में काफी जमीन खुश्क है, पानी ज्यादा चाहती है, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो एक झगड़ा हो जाना पानी के ऊपर स्वाभाविक बात है। ऐसी हालत में यह जरूरत हुई कि ओसरा बन्दी करायी जाय। जहां ओसरा बन्दी होती है तो उसके सिलसिले में जो काम होता है, खर्च होता है, उसी के लिये फीस ली जाती है। हम विभाग की आमदनी बढ़ाने के लिये रुपया नहीं लेते।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---पानी बढ़ा दीजिये।

श्री राममूर्ति---पानी बढ़ाने ही की तो दिन रात कोशिश है। दरियाओं से जो नहरें निकाल रहे हैं, रिजरवायर बना रहे हैं यह सब जितने काम किये जा रहे हैं यह सब पानी बढ़ाने ही की तो कोशिश है।

कोआपरेटिव्ज के बारे में जिक्र किया गया। जो कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स बने हैं उनकी एक बड़ी बदकिस्मत तवारीख है, इस माने में कि जब १९४६,१९४७,१९४८ में पानी की मांग बहुत बढ़ी और सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन मिला कि कोआपरेटिव की तरक्की हो तो उनका एक अच्छा प्लान नहीं बन पाया। ऐग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग के जरिये कोआपरेटिव ट्यूब वेल बनने शुरू हुये। वहां से १५ हजार की रकम ऐसी तजवीज की गई कि इतने में ट्यूब वेल बन जाता है। ५ हजार रुपया सोसायटी दे, ५ हजार रुपया सरकार सब्सीडी देगी और ५ हजार रुपया लोन की शक्ल में सरकार देगी, इस प्रकार १५ हजार रुपये को बांटा गया। लेकिन इर्रीगेशन विभाग की तरफ से जो ट्यूबवेल बनते हैं उनकी लागत ४० हजार रुपये के आती है और जो बिजली के कारखाने बनाये जा रहे हैं उनको एनर्जाइज करने के लिये तो उस हिसाब से करीब ६०-७० हजार रुपये पड़ जाते हैं। तो नतीजा यह हुआ कि चूंकि एक अनप्लांड काम हो गया इसलिये वे ट्यूबवैल्स ज्यादा कामयाब नहीं हो पाये और इस वजह से खास तौर पर नालियां कच्ची रह गयीं। हमारे यहां नालियां पक्की होती हैं, आपरेटर्स को तनख्वाह देनी पड़ती है। कोआपरेटिव ट्यूबवैल्स के बारे में यह सोचा गया कि चलने पर जो आमदनी होगी उससे ही उसका मेंटनेंस तथा आपरेटर वगैरह की तनख्वाह दे दी जायगी। कोआपरेटिव ट्यूबवैल तो आपस के सहयोग की बात है। आदमी पानी ले लेते हैं और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वह कह देता है कि अगली फसल में देंगे। तो ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई कि कोआपरेटिव का काम कुछ खराब हो गया। मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल फेल हो गया, और मैं इस बात को पसन्द भी नहीं करता। राणा जी एक फेडरेशन के प्रेसीडेंट हैं और यह कहते हैं कि नहीं कोआपरेटिव ट्यूबवेल आगे भी चलाये जा सकते हैं, मैं उनकी इस भावना की कदर करता हूं।

हाल में हमारे डिपार्टमेंट से एक रिजोल्यूशन भी पास हो गया कि कोआपरेटिव ट्यूबवैल जो उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं वे ले लिये जायं और सरकार अपनी तरफ से चलावे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने जिक्र किया था कि हमको केंद्रीय सरकार से रुपया मिला करता है वह इधर कुछ कम आने लगा है। अगर हमारे सामने यह दिक्कत न होती तो अब तक हम सारे कोआपरेटिव ट्यूब वैल्स ले लेते। एक दिक्कत है कि कोआपरेटिव ट्यूबवैल एक अजीब भानुमती का पिटारा है। कहीं लोगों ने ५ हजार रुपये में ही बना रखा है, टीन की पाइप डाल रखी है, तो हम ऐसे ट्यूब वैल्स को नहीं ले सकते। हमारे विभाग ने एक हुक्म जारी किया है कि जो ट्यूब वेल्स अच्छे हों, जिनकी बोरिंग ठीक की गई हो, उनकी जांच की जाय। और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता जो भी कोआपरेटिव अपने हाथ में रखना चाहे वह अपने हाथ में रखे और अगर हमसे वह कुछ मदद भी चाहेंगे हैं तो वह मदद भी हम देने के लिए तैयार हैं।

एकाध भाई ने इस बात का जिक्र किया कि उनके ऊपर इनर्जी नहीं पहुंचती है, इस वजह से वह चल नहीं पाते हैं। हम आगे इस बात की कोशिश करेंगे कि उनको इनर्जी दी जाय क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उनका उत्साह किसी तरह से कम किया जाय। हम तो यह चाहते हैं और विशेषकर जब अपने देश में सोशलिज्म को लाना है तो इस बात की बहुत बड़ी जरूरत है कि कोआपरेटिव स्पिरिट लोगों के अन्दर बढ़नी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि कोआपरेशन किस तरह से किया जाय। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पढ़े-लिखे लोग ज्यादा कोआपरेटिव मूवमेंट की तरफ दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। एक सरकारी चीज बन के रह गई है। इसीलिए उसमें तरक्की नहीं हो रही है। यदि हमारे पढ़े लिखे लोग उस तरफ ध्यान दें तो कोआपरेटिव सोसायटीज ज्यादा कामयाब होंगी। जो हमारे ट्यूववेल्स हैं, उनमें भी अगर कहीं पानी के बटवारे के बारे में या और किसी इन्तजाम के बारे में लोगों ने काम को अपने हाथ में लेना चाहा है तो हम बड़े शौक के साथ उसे देने को तैयार रहे हैं। हमने कुछ जिलों के अन्दर इस स्कीम को चालू भी किया था लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया ज्यादा लोगों का झुकाव इस तरफ नहीं है और वह काम हमारा आगे चल नहीं पाया और मजबूर होकर हमें उसे बन्द करना पड़ा।

कुछ जिक्र ईस्टर्न यमुना केनाल का किया गया। ईस्टर्न यमुना केनाल हमारे प्रदेश की सब से पुरानी केनाल है और आज सबसे ज्यादा आमदनी उस केनाल से है। लेकिन जो कुछ उस केनाल के बारे में कहा गया उसको मैं सिवाय इसके कि अपनी बदकिस्मती कहूं और किसी माननीय सदस्य को गलत तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बताता हूं कि ईस्टर्न यमुना कैनाल जो मुगलों के जमाने में बनी थी उसकी हालत टूटी-फूटी नालियों-सी हो गई थी। लेकिन आज वह फर्स्ट क्लास कैनाल बना दी गई है शुरू से आखीर तक। लाखों रुपया उस पर खर्च किया गया। उसका पानी का जो बटवारा है वह पंजाब की सरकार और हमारी सरकार के बीच में दो एक के अनुपात में है। दो हिस्सा पानी पंजाब को जाता है और १ हिस्सा पानी हमारे यहां आता है। १,६०० क्यूजेक पानी जो उससे पहले हमको मिलता था वह आज ४ हजार क्यूजेक तक हमने पहुंचा दिया है। अब ४ हजार क्यूजेक पानी हमारे हिस्से में पड़ता है। जब उसमें पानी नहीं रहता है तब मजबूरी रहती है। उस समय पंजाब का और हमारा कोई सवाल ही नहीं उठता है।

कुछ जिक्र किया गया राव लगने का। उसका इन्जताम कर दिया गया है। दो राव जो बाकी रह गए हैं उनके लिए भी फाटक तैयार हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी फाइनेंशल ईयर के आखिर तक वह भी लग जायेंगे। इससे जो पानी रुक जाया करता है या जो कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, उनकी शिकायत दूर हो जायगी।

[श्री राममूर्ति]

इस बात का जिक्र किया गया कि पंजाब गवर्नमेंट तो बन्धे बना लेती है, लेकिन हमारी यू० पी० की गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है । तो मैं यह नहीं समझता कि यह कहां तक मुनासिब होगा, हम दो गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें । इसके लिए तो एक कमीशन बना हुआ है । अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम उसके सामने रख देते हैं । जब उन्होंने बन्धे बनाये तो फौरन हमारी तरफ से एतराज हुआ । लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने यह कहा कि जो पश्चिमी नहर उनकी बनी हुई है वह बिलकुल यमुना जी के पास ही है और जब पत्रड आता है तो सिवाय इसके कि आप बरबाद हो जाय और कोई चारा नहीं रह जाता । इसलिए कमीशन ने उनको वहां पर बन्धे बनाने की इजाजत दे दी । अब अगर हम और बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती । यह भी तय हो गया है कि यमुना के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट बन्धे नहीं बना पायेगी । इसलिये मुनासिब नहीं है यह बात कहना कि हम उसकी तरफ कोशिश नहीं करते हैं । दूसरे अगर हम बन्ध बनाते चले जायेंगे तो यह नीचे जितने पुल वगैरह बने हुए हैं वह सब टूट जायेंगे और बहुत काफी नुकसान होगा । तो हम कोई ऐसी बात करना भी नहीं चाहते हैं । हां, अगर कोई गांव वगैरह डूबते हैं तो उनको हम उठाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम तैयार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---एक मिनट समय आपका और है ।

श्री राममूर्ति---मैं एक बात का जिक्र करने के बाद समाप्त कर दूंगा । हमारे पुराने साथी टीकाराम जी ने इस बात का जिक्र किया कि उनके यहां का जो कुआं है वह खराब हो गया है, इस बात को वह मेरी नोटिस में कल ही लाये हैं । वैसे वक्तन फवक्तन वह अपने यहां की बातें हमारे सामने लाते रहते हैं । तो वह बहुत पुराने जमाने का बना हुआ कुआं है । उस जमाने में इनके बनाने की टेकनीक भी इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए उनका उतना अच्छा विस्तार भी नहीं है । आज कल हमारी टेकनीक ज्यादा अच्छी हो गई है । हमारे यहां एक तरीका बना हुआ है कि जिसका पानी १५ हजार क्यूजिक से गिर जाता है उस कुएं को रिबार कर देते हैं । मैं टीका राम जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जिक्र उन्होंने किया है अगर वह लिख कर मेरे पास भेज देंगे कुएं का नम्बर और जो शिकायतें होंगी तो उनको भी पूरा कर देने की कोशिश करूंगा ।

मैं ज्यादा न कह कर अपने तमाम साथी सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जितनी बातें सदन में रखी हैं, यद्यपि सबका जबाव यहां नहीं दे पाया हूं, उनको मैंने नोट कर लिया है और जो विभागीय कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करके जो कुछ सुधार हो सकता है, सुधारने की कोशिश करूंगा और रामचन्द्र जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे आश्वासन के बाद जो कटौती का प्रस्ताव पेश है, उसे वापस लेने की कोशिश करें और यह आदरणीय सदन अनुदान संख्या १० जिसकी मैंने मांग की है उसको मंजूर करने की कृपा करे ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---प्वाइंट आफ आर्डर सर । क्या इस आदरणीय सदन में सोने की आज्ञा है ?

श्री उपाध्यक्ष---किसी माननीय सदस्य को सोने की आज्ञा नहीं है । जो सो रहे हैं वे जग जायं और भविष्य में न सोयें ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०---सिंचाई स्थापना पर व्यय---लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८---के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई स्थापना पर व्यय-लेखा शीर्षक: १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत ३,८२,८६,४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा हाउस टैक्स व वाटर टैक्स की वसूलयाबी के सम्बन्ध में श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा २३ जुलाई, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न १७ के विषय पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष---अब लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा हाउस टैक्स व वाटर टैक्स की वसूलयाबी से सम्बन्धित श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा २३ जुलाई, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७ के विषय पर नियम ४२ (१) के अन्तर्गत विवाद होगा ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदन को मालूम है कि स्वायत्त शासन मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में इस सदन को यह सूचना दी थी कि सन् ४७-४८ के मुकाबले में सन् ५५-५६ में लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड को हाउस टैक्स की वसूलयाबी में १८ फीसदी की कमी हुई और वाटर टैक्स की वसूलयाबी में २० फीसदी की कमी हुई। इस आदरणीय सदन को यह मालूम है कि सन् १९४८-४९ के लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड को चुनी हुई कमेटी को भंग कर दिया और सरकारी नियंत्रण वहां कर दिया गया और एक एडमिनिस्ट्रेटर वहां इस समय काम कर रहा है । श्रीमन्, सार्वजनिक महत्व का इसमें प्रश्न यह उठता है कि बोर्ड के भंग करने का कारण यह था कि वहां का काम ठीक नहीं था। लेकिन इन आंकड़ों को देखने से यह सिद्ध होता है कि जो टैक्स एसेस किया जाता है उसका २० फीसदी आज कम वसूल होता है ब मुकाबले पहले के जबकि ७ या ४ फीसदी कम वसूल होता था। तो यह आफिशियल बोर्ड पहले के मुकाबले में अयोग्य है ।

श्रीमन्, मुझे उस दिन सुन कर हैरत हुई और दुख हुआ जब माननीय मंत्री ने इस कम वसूलयाबी का कारण यह बतलाया कि पहले हाउस टैक्स लगता था उन मकानों पर जिनका किराया १५ रु० से कम होता था और आज वह सरकारी बोर्ड जो जनता की ज्यादा हितैषी है उसने ५ रुपये माहवार के मकानों पर भी यह टैक्स लगा दिया । कहां १५ की लिमिट थी और जब महंगाई बढ़ गई तो लिमिट ५ रुपये की हो गई । श्रीमन्, यह सभी जानते हैं कि उसका किराया नहीं बढ़ा । उसके लिए एक हाउस कंट्रोल का, रेंट का एक ऐक्ट है, कानून बना है । तो लखनऊ शहर के भी रहन-सहन की महंगाई बढ़ गई । यह भी सभी जानते हैं कि यहां कोई रोजगार-धंधा नहीं है, न पिछले १० सालों में स्वराज्य के जमाने में या आफिशियल बोर्ड हो जाने के बाद कोई ऐसी योजना लखनऊ शहर में तैयार की गई जिसमें वहां के लोगों के लिये भी कोई नया रोजगार हो जो ५, ७, ८, १० रुपया महीने किराये के मकान में रहते हैं। सार्वजनिक महत्व का यह प्रश्न उठता है कि आफिशियल बोर्ड की यह पालिसी है कि एक छोटी कोठरी में जो एक खानदान रहता है, उसके ऊपर भी हाउस टैक्स लगाये, और श्रीमान्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन की सेवा में यह निवेदन करूंगा कि अधिकतर टैक्स उन लोगों पर नहीं बाकी है कि जो ५ या ६ या ७ रुपया महीन के किराये पर रहते हैं, बल्कि उनके ऊपर है जो ज्यादा के किरायेदार हैं। तो माननीय मंत्री का यह कहना कि टैक्स की वसूलयाबी में इसलिये कमी है कि अब कुछ गरीब आदमियों से, जिन पर टैक्स नहीं लगता था, उनसे लेते हैं, यह बात सही नहीं है ।

मैं श्रीमन् के द्वारा, इस आदरणीय सदन की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यही नहीं कि उन्होंने टैक्स की हद घटाई कि १५ रुपये से कम किराये में लगाया, बल्कि

[श्री त्रिलोकी सिंह]

टैक्स की शरह को भी बढ़ाया है और वह भी महंगाई के जमाने में। यह गौर किया जाय कि पहले हाउस टैक्स पड़ता था पौने चार फीसदी, अब वह पड़ता है चार सही सात बटे बत्तीस फीसदी। मिनिमम हाउस टैक्स ३.७५ से ४.७५ हो गया है और मैक्जिमम यदि पहले १५ परसेंट था तो अब वह १६.४५ परसेंट हो गया है। तो शरह बढ़ायी, गरीबों पर टैक्स लगाया, बोर्ड के मैनेजमेंट में अयोग्यता आयी और श्रीमन्, इस आदरणीय सदन के सामने यह प्रश्न उपस्थित हो चुका है कि पानी की कमी है। लखनऊ शहर में एक इतनी बड़ी योजना तैयार हो गई है कि माननीय मंत्री स्वयं नहीं कह सकते हैं कि कब तक लखनऊ नगर के निवासियों को पानी मिलेगा। तो पानी नहीं मिलता, पानी टैक्स में और इजाफा कर दिया। यह टैक्स म्युनिसिपल बोर्ड सप्लाई पर चार्ज करता है और म्युनिसिपल टैक्स का यह सिद्धान्त है कि "वे चार्ज टैक्स फार सर्विसेज रेंडर्ड" जो सेवा वह करते हैं, यह वाटर-टैक्स उसके ऊपर है। यहां यह है कि सेवा कम करते हैं और टैक्सेज ज्यादा लेते हैं और जितनी सेवा का वादा किया है उतनी भी नहीं करते हैं। जिन पर पहले नहीं पड़ता था उन पर भी पड़ने लगा।

मैं यह आशा करता हूं कि मेरे ऊपर, आदरणीय सदन के ऊपर और लखनऊ नगर के निवासियों पर विशेष कृपा माननीय मंत्री जी की होगी यदि वह यह समझा सकें कि क्यों इस तरह का इजाफा किया गया और क्यों इस अयोग्यता के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं जाता।

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--श्रीमन्, उस रोज जवाब देते वक्त मैंने जो निवेदन किया था, मुझे दुःख है कि उसको माननीय नेता विरोधी दल ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत नम्रता के साथ कहूंगा कि जो परिणाम वह निकालना चाहते हैं वास्तव में वह नहीं निकलते हैं। अगर ऐडमिनिस्ट्रेटर के होने की वजह से ही वसूली गिर गयी होती तो जिस दिन से ऐडमिनिस्ट्रेटर अप्वाइंट किया गया था उस दिन से ही कम वसूली शुरू हो जानी चाहिये थी। वाकया यह है कि तीन साल तक लगातार ९० परसेंट तक वसूलयावी हुई और उसे कोई यह नहीं कह सकेगा कि यह वसूलयावी बहुत कम है। पहले १९४७-४८ में ९३ परसेंट थी, १९४८-४९ में ९३.२ परसेंट थी, १९४९-५० में ९०.६ थी। और ५०-५१ में ९०.३ थी। यह बात सही है और आज भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय से हाउस टैक्स की लिमिट नीची कर दी गयी और कम किराये के मकानों पर भी टैक्स लगने लगा तभी से वसूलयावी गिरनी शुरू हुई। इसमें दो फैक्टर्स और सहायक हो गये। पहला यह कि जिस स्टाफ को बड़े-बड़े थोड़े आदमियों से पैसा वसूल करना पड़ता था उसे अब ज्यादा आदमियों से थोड़ी-थोड़ी रकमें वसूल करनी पड़ीं और अगर माननीय नेता विरोधी दल की बात में कोई भी सार है कि गरीब आदमी टैक्स नहीं दे सकते हैं और बोझे की तरह से उनके ऊपर यह पड़ता है, और इसमें कोई सच्चाई है, तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि उनकी कैपिसिटी टैक्स देने की कम हो गई। मेरे सामने जो आंकड़े हैं उससे साफ है कि इसका तत्काल असर यह हुआ कि वसूली ९० प्रतिशत से ८३ प्रतिशत हो गई। एक कम्पलीकेशन (complication) और पड़ जाता है और उसे नेता विरोधी दल ध्यान में रखेंगे कि जो पैसा अदा नहीं होता है तो वह बैलेंस कैरी फारवर्ड होता है और अगले साल में जुड़ जाता है। अगर ७ प्रतिशत कलेक्शन इस साल नहीं होता है, अगले साल भी वे बकाया नहीं देते हैं तो उस साल १४ प्रतिशत या १२, १३ प्रतिशत बकाया हो जाता है। मेरा खयाल यह है कि एक दर्जे तक यह फैक्टर भी रहा है।

जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि दूसरा फैक्टर यह था कि पहले मकानों के अलग-अलग किरायेदार पर टैक्स लगता था। उसमें गलती हुई तो या सही हुआ हो कि जो मकान एक समझे जाते थे उनको एक यूनिट मान लिया। इससे असेसमेंट तो बढ़ा और टैक्स भी बढ़ा, लेकिन वसूल करने का काम ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी की वजह से दिक्कत तलब हो गया। पांच रुपये महीने के किराये के मकान पर टैक्स लगाना गलत है, यह माना जा सकता है पर इसका

दूसर परिणाम यह हुआ कि इसकी वजह से बकाया बढ़ता गया। जब हम यह मानते हैं कि गरीब लोग मुश्किल से पैसा दे सकते हैं और वही अधिक पे करने वाले हैं तो यह चीज़ साफ़ है कि इसकी वजह से वसूली कम हुई। मकान को एक यूनिट मान लेने से हमारा टैक्स तो बढ़ा पर हर साल रुपया कम अदा हुआ। १९४९-५० ई० में १० प्रतिशत कम वसूल हुआ। दूसरे साल कुल डिमान्ड १० लाख के करीब हो गई, इस तरह से इंफ्लेटेड होता रहा।

तीसरा फैक्टर एक और है जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा कि सारा पैसा गरीबों पर ही बकाया नहीं है अमीरों पर भी है, यह बात बिल्कुल सही है और काफी लोग ऐसे हैं जिन पर बकाया है और अच्छे-अच्छे आदमी हैं। लेकिन इसमें बोर्ड की एक मजबूरी है और वह यह कि इन लोगों ने अदालत में जाकर स्टे आर्डर ले लिया है और अदालत में कंटैस्ट (contest) कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काफी पैसा है और वह आसानी से मुकदमा कर सकते हैं और थोड़ा पैसा खर्च कर के टैक्स से बच सकते हैं। यह फैक्टर भी एक है। यदि सदन चाहे तो मैं नाम भी पढ़ सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसे लोगों के नाम जो जवाब न दे सकें और कोर्ट में मुकद्दमा भी है न पढ़ें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं छोड़े देता हूं। लेकिन यह रकम भी ४,५०,००० रु० के करीब है। और उसे वसूल करने में सिवाय इसके कि अदालत में जितनी जल्दी हम करा सकें कराने की कोशिश करें, इससे अधिक एफ़िशेन्सी हमारे विभाग के आदमी इस रकम को वसूल करने में नहीं दिखा सकते हैं। और अगर इस रकम को २२ लाख रुपये में से जो सन् १९५५-५६ का एमाउन्ट है घटा दिया जाय तो करीब-करीब १० परसेंट का मार्जिन एकदम से निकल जाता है। और इस बात का खयाल करते हुये कि कुछ न कुछ रुपया एक्युमुलेट होता गया है, क्योंकि यह जो एमाउन्ट है यह सिर्फ साढ़े चार लाख रुपये को एकाउन्ट फार करता है, तो यह मानना ही पड़ेगा कि गरीब तबके के जो आदमी हैं उनका एमाउन्ट भी एक्युमुलेट करता गया है। गरीब आदमियों के लिये यह भी मुसीबत होती है कि अगर वह कांटिनुअली चार, पांच साल तक जमा होता गया तो फिर अदा करना और भी मुश्किल हो जाता है और हमारी तरफ से जो ११ १/९ (१२) परसेंट का रिबेट दिया गया उससे वे लोग फायदा नहीं उठा सकते। फायदा उन्होंने उठाया जो साधारणतया समय से पेमेंट करते ही हैं। रिबेट देने से एक दिक्कत और बढ़ गयी है और वह यह कि दो महीने तक बोर्ड की तरफ से किसी से तकाजा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह ग्रेस टाइम था। तो हर ६ महीने के बिल में रिबेट देने की वजह से नतीजा यह हुआ कि चार महीने तकाजा नहीं कर सके। तो वसूली कम होने की एक वजह यह भी है। वसूली का समय घटकर आठ महीने ही रह गया।

उस रोज़ मैंने यह भी निवेदन किया था श्रीमन्, कि टैक्स की माफी की सीमा १८० से ६० रुपये पर घटा देने से जिन लोगों पर अतिरिक्त टैक्स लगा, वह २५ परसेंट ही वसूल हुआ और ७५ परसेंट नहीं हो सका।

श्री उपाध्यक्ष—अब जो लोग सवाल करना चाहें उनके लिये भी कुछ समय रहने दीजिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक बात कह कर मैं बैठता हूं कि उस दिन भी जब मैंने उत्तर दिया था तो यह निवेदन किया था कि जहां बोर्ड की तरफ से मैं यह सफ़ाई पेश कर रहा हूं वहां मेरा यह खयाल जरूर है कि इस विषय में कुछ लापरवाही भी है और अगर लोग ज्यादा जागरूक रहे होते तो शायद इससे अच्छा रिजल्ट मिल सकता था।

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

काफी नीचे से टैक्स लगाया गया। इसकी बाबत मेरा निवेदन यही है कि सड़कें ठीक करने के लिये, नालियां ठीक करने के लिये, पैसे की मांग को पूरा करने के लिये टैक्स की लिमिट नीची की गई है। पानी की स्कीम के लिये करीब १ करोड़ ५० लाख की स्कीम है और मुश्किल से करीब ५० लाख रुपया अब तक उसमें लग सका है। इतना बड़ा गैप है, उसे कवर करने के लिये अगर यह टेन्डेन्सी बोर्ड की है तो लोगों पर बड़ा अन्याय किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि आखिर साधन होने के बाद ही बोर्ड कुछ सेवा जनता की और नागरिकों की कर सकता है। तो इस पृष्ठ भूमि में अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो मालूम होगा कि जैसा खाका माननीय नेता विरोधी दल ने खींचा है वह सही नहीं है, उतना अंधकार हमें यहां नहीं दिखाई देगा।

श्री उपाध्यक्ष--(नेता विरोधी दल से) माननीय सदस्य पहले प्रश्न पूछ लें उसके बाद आप अपनी राय जाहिर करें तो अच्छा है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन मकानों में वाटर पाइप नहीं लगा हुआ है उनसे भी वाटर टैक्स वसूल किया जाता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---यहां क्या है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन बहुत जगह लिया जाता है और मुमकिन है कि यहां भी लिया जाता हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के जिम्मे टैक्स बकाया है वह किस सन् से है और उन्होंने अदालत में मुकदमा किस सन् से किया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---यह मुकदमे मेरा ख्याल है कि सन् १९५२-५३ में किये गये हैं। इसमें ठीक-ठीक डेट्स नहीं लिखी हुई हैं। बकाया तो, मैंने जैसा निवेदन किया, हर साल कुछ न कुछ निकलता चला जा रहा है। पहले साल १९४७-४८ में ९३ परसेंट लिया गया था, ७ पर सेंट यहां बच गया। अगले साल भी ७ परसेंट बकाया है। इस तरह से वह सारा अगले सालों में जुड़ता चला जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सबसे ताजा असेसमेंट वाटर टैक्स और हाउस टैक्स का कब हुआ ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---यह १९५३-५४ में हुआ है और अभी माननीय सदस्य न कहा नहीं, अभी नये प्रपोजल्स अखबारों में छपे हैं जिनका जिक्र आपकी ओर से नहीं हुआ। उनकी बात छोड़ कर १९५३-५४ में असेसमेंट बदला है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बातलाने की कृपा करेंगे कि १० प्रतिशत रकम दबाने के मुकदमे किस सन् के असेसमेंट के चल रहे हैं ?

श्री विचित्रानारायण शर्मा---यह तो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स दोनों के मुकदमें हैं और यह हर साल एक्युमुलेट हो जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मेरा प्रश्न यह था कि यह जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स क मुकदमे चल रहे हैं यह टैक्स किस सन् के अससमेंट के अनुसार लगाया गया था ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---१९५३ में मैंने कहा कि शायद असेसमेंट बदल गया, लकिन मैं यह नहीं कह सकता कि इनके पास जो बकाया है वह सिर्फ १९५३ का है पहले का नहीं है। इसलिये यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री त्रिलोकी सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछूंगा कि सन् १९४७–४८ में ९३ फीसदी वसूलयावी हुई थी और जैसा उन्होंने कहा कि यह ७ फीसदी बाकी लगती ही गई और जमा होती गई। तो १९४७–४८ में भी कुछ बकाया वसूल हुआ होगा। इस तरह से यह फीसदी करेंट डिमांड प्लस एरियर्स की है। तो ४७–४८ में जो वसूलयावी हुई वह करेंट डिमांड प्लस एरियर्स की मिल कर थी। इसमें कुल ७८ परसेंट है, तो यह २० फीसदी की कमी एक दम से कैसे हो गई? पहले भी एरियर्स वसूल होते थे। अब उसमें क्या कमी हुई?

दूसरी बात यह है कि यह जो लिख दिया गया है कि इतने समय में टैक्स अगर अदा कर देंगे तो इतना रिबेट मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा और माननीय मंत्री जी के अनुसार ऐसा मालूम होता है कि ऐसा करने से ४ महीने के लिये तकाजा टल जाता है, तो क्या वह इस नीति को बोर्ड के हित में समझते हैं? कोई बनिये की दूकान वहां है कि अगर ३० जनवरी तक दे दें तो १० रुपया और उसके बाद ११ रुपया? क्या बोर्ड इसको बेहतर समझता है कि इसमें रिबेट देकर या फुल रेट लगाकर टैक्स लिया जाय? याद रखिये कि सर्विसेज रेन्डर्ड के लिये वह लिया जाता है। इसमें १०, ५ दिन आगे–पीछे होने से यह हक नहीं हो जाता कि १०, १५, २० परसेन्ट बढ़ जाय। माननीय मन्त्री जी का इस सम्बन्ध में क्या विचार है कृपया वे बतायेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जहां तक इसका ताल्लुक है यह सही बात है कि हर बार वह जुड़ता गया और यह होता गया। पहले ३ साल तक ९३ परसेन्ट तक वसूल हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछले साल भी वसूल हुआ और अगले साल भी वसूल हुआ। ३ साल तक यह बात होती रही। इसके बाद गरीब लोग भी इसमें टैक्स देने वाले बढ़ गये और उससे अमाउन्ट बहुत बढ़ गया। यह करीब-करीब दुगुना हो गया। पहले ४, ५ लाख था लेकिन बाद को वह १० लाख के करीब हो गया। कुछ २ १/२ परसेन्ट तो इनसे बढ़ा और किसी वजह से और भी बढ़ा होगा। इसके अलग से कोई फीगर नहीं है। पहला भी रियलाइज हुआ और अगला भी रियलाइज हुआ। मैंने यह इसलिये बतलाया कि अगर यह अक्युमुलेट न होता तो यह फीगर इतने कम नहीं मालूम होते। जैसे कि अदालत में केसेज पड़े हुये हैं उनमें करीब ४ १/२ लाख अमाउन्ट रहा। इसको अगर आधा कर दिया जाय तो यह करीब-करीब १० परसेन्ट का फर्क पड़ जाता है।

रिबेट का सिस्टम इसलिये जारी किया गया था कि उससे सर्विसेज बच जाती हैं। लोग वहीं आकर जमा कर देते हैं और उससे स्टाफ कम रखना पड़ता है यह फेयर चीज है लेकिन इसका असर खराब पड़ रहा है। जो लाभ होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इसलिये इसको बदलने का सवाल पैदा होगा जिससे कि बोर्ड को फायदा होने के बजाय नुक्सान न हो।

श्री सुरथबहादुर शाह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड सुपरसीड कब हुआ था?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस समय मुझे ठीक तो याद नहीं है। शायद ४९ में हुआ था।

श्री सुरथबहादुर शाह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह टैक्स का औसत गिरना कब से शुरू हुआ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिसे गिरना कहते हैं वह ५१–५२ से शुरू हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गरीब किरायेदार हैं या गरीब हाउस ओनर है, उन पर हाउस और वाटर टैक्स की छूट देने का सरकार विचार रखती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—वाटर टैक्स तो नहीं पड़ता है । हाउस टैक्स पड़ता है । नये प्रपोजल में उनको कुछ सुविधा देने का विचार है । यहां पर उनके लिये बहुत ज्यादा शोर है कि गरीबों से बहुत ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, उनसे यह हटाया जा रहा है । इससे गरीबों को राहत मिल सकेगी । लेकिन बदकिस्मती है कि अच्छे काम को भी यहां तो बुरा समझा जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कितना हटाया जा रहा है क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—६० रुपया टैक्स को बढ़ा कर १८० रुपया तक किया जा रहा है यानी १५ रुपये माहवार से नीचे वाले मकानों पर हाउस टैक्स नहीं लगेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की हर साल रिपोर्ट निलकती है उसको माननीय मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ताकि सदस्यों को भी कुछ सुझाव देने का अवसर हो ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अब तो कोई जरूरत है नहीं । बहुत जल्दी नगर निगम बनने जा रहा है । मेरा खयाल तो यह है कि बजाय इस बात पर विचार करने के कि नये टैक्स क्या लगाये जायं, नये नगर निगम के लिये इस बात को छोड़ दिया जाय तो ज्यादा समझदारी का काम होगा ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—कबाल टाउन्स को छोड़ कर जो और सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटीज हैं जैसे अल्मोड़ा और वृन्दावन वगैरा उनके बारे में क्या सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है । यह प्रश्न लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का है । इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—अभी माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि १५ रुपया महीना तक के किराये पर हाउस टैक्स नहीं लगेगा तो क्या यह भी आश्वासन वह देने की कृपा करेंगे कि वाटर टैक्स भी उनसे नहीं लिया जायगा क्योंकि वे पानी कंज्यूम नहीं करते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने यह निवेदन किया कि आज भी वाटर टैक्स उनसे नहीं लिया जाता है ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
३१ जुलाई, १९५७ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६४ पर)

जिला पीलीभीत के थानों में १०७ धारा के अन्तर्गत विचाराधीन मुकदमों का विवरण

नाम थाना	न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे
१—कोतवाली	६
२—बीसलपुर	६
३—बिलसंडा	७
४—पूरनपुर	१०
५—बरखेड़ा	४
६—जहानाबाद	७
७—अमरिया	५
८—माधों टांडा	३
९—न्योरिया	२
कुल जोड़ ..	५६

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६८ पर)

जिला बुलन्दशहर में जनवरी, १९५६ से अप्रैल, १९५७ तक हुई डकैतियों तथा कत्लों का विवरण

क्रम-सं०	थाने का नाम	डकैती रिपोर्ट	कत्ल रिपोर्ट
१	बुलन्दशहर	१	४
२	खुर्जा	..	८
३	देबई	२	३
४	अनूपशहर	१	५
५	जहांगीराबाद	१	२
६	सियाना	१	..
७	पहासू	२	३
८	औरंगाबाद	१	४
९	शिकारपुर	..	४
१०	सिकंदराबाद	१	..
११	दनकौर	..	..
१२	ददरी	२	१
१३	ककोर	३	१
१४	जिवार	..	..
१५	बिसरख	१	१
१६	गुलौठी	१	३
	योग ..	१७	३६

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६९ पर)

जिला सूचना अधिकारी, जालौन (उरई) द्वारा १ जनवरी, ५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक किये गये मुख्य कार्य की रूप-रेखा ।

क्रमांक	विवरण	कार्यान्वित सीमा
१	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में किये गये भ्रमणों की संख्या (दिन)	१३४ दिन
२	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में किये गये भ्रमण (ग्राम)	१९५ ग्राम
३	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में आयोजित सभाओं की संख्या	१६४ सभायें
४	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंसों की संख्या	४
५	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में वितरित रोडियोज की संख्या	२४६
६	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में समूल्य प्रकाशन का कुल विक्रय	८३२ रु०
७	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में निःशुल्क साहित्य का कुल वितरण	२१,०००
८	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में दिखाये चल-चित्रों की संख्या	४०
९	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में किये गये रोडियो निरीक्षणों की संख्या	१९२
१०	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में प्रसारित प्रेस नोटों की संख्या	९६
११	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में सांस्कृतिक कार्यों में दिये गये सहयोगों की संख्या ..	४०
१२	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में प्रेस कटिंग द्वारा प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की संख्या ..	१५२
१३	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में बदली गई बैट्रीज की संख्या	२७
१४	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में बिगड़े हुये सेटों की मरम्मत कराने की संख्या	९२
१५	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में विशिष्ठ कार्यों में कार्य करने की संख्या	३
१६	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में उन भ्रमणों की संख्या जो समाचार प्राप्त करने के लिये किये गये और उनका प्रचार भी किया गया	१०२
१७	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में उन मेलों की संख्या जिनमें प्रचार कार्य किया गया ..	७
१८	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में सूचना केंद्रों से लाभान्वित पुरुषों की संख्या	३,२००
१९	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में पंच वर्षीय योजना के प्रचारार्थ उन संस्थाओं की संख्या जिनका सहयोग लिया गया ..	२२
२०	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में सहयोग प्रदत्त राष्ट्रीय एवं विराट पर्वों की संख्या	७
२१	जिला सूचना अधिकारी द्वारा १९५६ में उन प्रशासकीय सम्मेलनों की संख्या जिनमें सहयोग दिया गया ..	१५

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७४ पर)

१५ जुलाई, १९५७, को उत्तर प्रदेश में रहने वाले विदेशियों की संख्या

जिले का नाम	अमेरिकन	अफगान	तिब्बती	इटेलियन	बर्मी	चीनी	स्वेडिश
१	२	३	४	५	६	७	८
देहरादून	१३९	२०	६	१०	..	८	९
सहारनपुर	१४	५	..	४	५७	..	..
मुज़फ्फरनगर	३	३	..	..	..	..	..
मेरठ	९	३	..	१२	१	२	१
बुलन्दशहर	२	२	..	..	१	..	..
अलीगढ़	१	२	..	..	१	२	..
मथुरा	९	..	..	..	..	..	..
आगरा	३	४	..	८	२	३	..
मैनपुरी	६	२	..	..	..	..	..
एटा	८	..	..	..	..	..	..
बरेली	९	..	..	२	१	२	७
बिजनौर	२	२	..	..	..	..	..
बदायूं	१	२	..	..	..	..	..
मुरादाबाद	६	२	..	१	९	..	..
शाहजहांपुर	७	६	..	..	..	..	..
पीलीभीत	..	..	..	..	१	..	..
फर्रुखाबाद	८	७	..	..	..	..	..
इटावा	१	३	..	..	..	..	..
कानपुर	१०	७४	३	२	२	२५	२
फतेहपुर	९	..	..	..	..	..	..
इलाहाबाद	२९	४५	..	१०	..	१७	..
झांसी	१२	२६	..	..	..	..	..
जालौन	२	..	..	..	..	..	..
हमीरपुर	५	..	..	..	..	..	..
बांदा	..	..	..	..	..	..	२
वाराणसी	४	१९	..	..	१८	१४	१
मिर्जापुर	२	३	..	..	..	१	..
जौनपुर	२	..	..	..	२	२	..
गाजीपुर	..	..	..	..	..	..	..
बलिया	१	..	..	..	..	..	..
गोरखपुर	२	१६	..	..	१	३	९
बस्ती	५	३	..	..	..	..	..
आजमगढ़	..	३	..	..	४	२	..
नैनीताल	१८	११	७१५	१०	१	५	..
लखनऊ	५६	४८	६	९	६	३८	..

१		२	३	४	५	६	७	८
उन्नाव	..	..	..	..	..	..	..	..
रायबरेली	..	१	..	..	..	..	१	..
सीतापुर	..	२	६	५	१	..	..	..
हरदोई	..	२	..	..	..	..	..	..
खीरी	..	..	..	..	..	..	..	..
फैजाबाद	..	२	१	..	..	..	३	..
गोंडा	..	७	..	१	२	..	..	..
बहराइच	..	३	१	..	..	२	..	..
सुल्तानपुर	..	४	..	..	१	१	..	..
प्रतापगढ़	..	..	१	..	२	..	..	..
बाराबंकी	..	..	२	..	१	..	..	..
टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	१०७	..	..	..	..
देवरिया	..	२	३	..	..	२	..	२
पोरी-गढ़वाल	..	२	..	१६	..	..	..	..
रामपुर	..	..	१	..	..	..	..	..
योग	..	४१०	३२६	८५३	७८	११६	१२९	४१

जिले का नाम	आस्ट्रियन	स्विस	जर्मन	जापानी	हिन्दे-शियाई	ईराकी	ईरानी
१	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
देहरादून	..	२	१	४	..	..	..	..	..
सहारनपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मुजफ़्फ़रनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मेरठ	..	..	..	३	..	२	..	१
बुलन्दशहर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
अलीगढ़	..	..	..	१	..	६	..	४
मथुरा	..	..	..	१	..	..	..	..	..
आगरा	..	..	३	..	..	..	..	३
मैनपुरी	..	..	..	१३	..	..	..	..	..
एटा	..	..	..	..	..	..	..	..	..
बरेली	..	..	..	१	..	..	..	..	..
बिजनौर	..	..	..	..	..	१	..	..	..
बदायूं	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मुरादाबाद	..	..	..	४	..	..	..	..	..
शाहजहांपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
पीलीभीत	..	..	..	..	..	..	..	..	..
फर्रुखाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..	..
इटावा	..	..	..	..	..	..	..	..	..
कानपुर	..	..	१	१७	..	५	..	..	..
फतेहपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
इलाहाबाद	..	..	..	१५	१	१	..	१
झांसी	..	..	..	१७	..	..	..	..	..
जालौन	..	..	..	..	..	..	..	..	..
हमीरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
बांदा	..	..	..	..	..	..	..	..	..
वाराणसी	..	३	..	१	२	४	..	..	..
मिर्जापुर	..	..	..	३	..	..	..	..	..
जौनपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
गाजीपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
बलिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..
गोरखपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
बस्ती	..	..	..	..	..	..	..	..	..
आजमगढ़	..	..	..	१४	..	..	..	..	..
नैनीताल	..	१	१	३०	..	..	..	..	..
लखनऊ	..	..	२	२	८	१	..	७

१	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
उन्नाव ..	..	..	..	..	..	..	..
रायबरेली ..	..	..	९	..	..	..	..
सीतापुर ..	..	१	..	..	..	..	..
हरदोई ..	..	..	..	..	..	..	..
खीरी ..	..	..	..	..	..	..	..
फैजाबाद ..	..	..	९	..	..	..	..
गोंडा ..	..	१	..	..	..	..	..
बहराइच ..	..	..	..	..	..	..	..
सुल्तानपुर ..	..	..	..	..	..	..	..
प्रतापगढ़ ..	..	..	..	..	..	..	..
बाराबंकी ..	..	..	..	२	..	..	..
टेहरी-गढ़वाल ..	..	..	..	..	..	..	..
देवरिया ..	८	..	..	..	..	..	..
पौरी-गढ़वाल ..	..	..	..	..	..	..	..
रामपुर ..	..	..	..	..	..	..	..
योग ..	९	१४२	९	१६	७	१०	५

जिला	तुर्क	अरबी	थाईलैंड निवासी	इसरायली	इथोपिया निवासी	सूडानी	मिस्र
१	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
देहरादून	..	..	८	..	..	..	..
सहारनपुर	..	२	..	..	..	..	५
मुजफ्फरनगर	..	..	..	..	..	..	..
मेरठ	..	..	..	..	..	..	..
बुलन्दशहर	..	..	२	..	..	..	..
अलीगढ़	..	..	..	..	१	११	..
मथुरा	..	..	..	..	..	..	..
आगरा	..	..	..	..	..	..	..
मैनपुरी	..	..	..	..	..	..	..
एटा	..	..	..	..	..	..	..
बरेली	..	..	..	..	..	..	..
बिजनौर	..	..	..	..	..	..	..
बदायूं	..	..	..	..	..	..	..
मुरादाबाद	..	..	..	..	..	..	..
शाहजहांपुर	..	..	..	..	..	..	..
पीलीभीत	..	..	..	..	..	..	..
फर्रुखाबाद	..	..	..	..	..	..	..
इटावा	..	..	..	..	..	..	..
कानपूर	..	१	..	..	..	..	..
फतेहपुर	..	..	..	..	..	..	..
इलाहाबाद	..	१	..	..	१	१	..
झांसी	..	..	..	..	..	..	..
जालौन	..	..	..	..	..	..	..
हमीरपुर	..	..	..	..	..	..	..
बांदा	..	..	..	..	..	..	..
वाराणसी	..	१	..	१	१	..	१	..
मिर्जापुर	..	..	..	..	..	..	..	..
जौनपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
गाजीपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
बलिया	..	..	..	..	..	..	..	..
गोरखपुर	..	..	..	..	१	..	..	..
बस्ती	..	..	..	..	..	..	..	..
आजमगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..
नैनीताल	..	..	..	९	..	..	..	.
लखनऊ	..	१	..	२	..	..	..	.

१		१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
उन्नाव	..	..	..	..	..	..	..	..
रायबरेली	..	..	..	..	..	..	..	..
सीतापुर	..	..	..	..	..	..	..	..
हरदोई	..	..	..	..	..	..	..	..
खीरी	..	..	..	२	..	..	..	..
फैजाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..
गोंडा	..	..	..	..	..	..	..	..
बहराइच	..	..	..	..	..	..	..	..
सुल्तानपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
प्रतापगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..
बाराबंकी	..	..	..	..	..	..	..	..
टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	..	..	..	..
देवरिया	..	..	..	..	..	..	..	..
पौरी-गढ़वाल	..	..	..	..	..	..	..	..
रामपुर	..	..	२	..	..	..	..	..
योग	..	६	२१	१	२	१३	५	५

जिले का नाम	बेल्जियन	डेन्मार्क निवासी	हालैंड निवासी	फ्रांसीसी	यूनानी	स्पेन निवासी	यूगोस्लावियन
१	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९
देहरादून	..	..	२	..	..	..	१	..
सहारनपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
मुजफ़्फ़रनगर	..	..	..	५	..	..	..	..
मेरठ	..	..	..	१	१	..	..	..
बुलन्दशहर	..	..	..	..	..	..	..	..
अलीगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..
मथुरा	..	..	..	..	..	..	..	..
आगरा	..	..	..	..	..	..	..	..
मैनपुरी	..	..	..	५	..	..	..	..
एटा	..	..	..	..	..	..	..	..
बरेली	..	..	..	..	..	..	..	..
बिजनौर	..	..	..	..	१	..	..	..
बदायूं	..	..	..	..	..	..	..	..
मुरादाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..
शाहजहांपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
पीलीभीत	..	..	..	..	..	..	..	..
फर्रूखाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..
इटावा	..	..	..	..	..	..	..	..
कानपुर	..	२	..	..	..	३	..	..
फतेहपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
इलाहाबाद	..	१	..	..	१	..	..	२
झांसी	..	..	..	..	..	..	..	..
जालौन	..	..	..	..	..	..	..	..
हमीरपुर	..	..	१	..	..	..	..	..
बांदा	..	..	..	..	..	..	..	..
वाराणसी	..	२	..	१	..	..	..	..
मिर्जापुर	..	..	..	..	..	..	..	..
जौनपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
गाजीपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
बलिया	..	..	..	..	..	..	..	..
गोरखपुर	..	..	..	..	१४	..	..	..
बस्ती	..	..	..	..	..	..	..	..
आजमगढ़	..	..	..	..	..	..	..	१
नैनीताल	..	..	..	..	१	..	..	१
लखनऊ	..	..	..	२	१	..	..	..

१	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९
उन्नाव	..	..	..	..	..	..	..
रायबरेली	..	..	..	..	..	..	..
सीतापुर	..	..	..	५	..	..	..
हरदोई	..	..	..	..	..	..	..
खीरी	..	..	..	१	..	..	..
फैजाबाद	..	..	..	..	..	..	..
गोंडा	..	..	..	..	..	..	..
बहराइच	..	..	..	..	..	..	..
सुल्तानपुर	..	..	..	..	..	..	..
प्रतापगढ़	..	..	..	..	..	..	..
बाराबंकी	..	..	..	..	..	..	..
टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	१	१	..
देवरिया	..	..	..	..	..	..	..
पौरी-गढ़वाल	..	..	..	..	..	..	..
रामपुर	..	..	..	..	१	..	..
योग	..	८	३	२०	२१	४	१

जिले का नाम	वायट नाम निवासी	जिनकी कोई नागरिकता नहीं है	रसियन	लैबनान निवासी	फिनलैंड निवासी	हंगरी निवासी	नार्वे निवासी
१	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६
देहरादून	..	..	२	..	..	२	..	..
सहारनपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
मुजफ्फरनगर	..	..	..	..	..	..	..	..
मेरठ	..	..	..	..	..	..	..	..
बुलन्दशहर	..	..	..	१	..	..	..	..
अलीगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..
मथुरा	..	..	..	..	..	..	..	१
आगरा	..	..	..	..	..	..	..	..
मैनपुरी	..	..	..	..	..	..	..	..
एटा	..	..	..	..	..	..	..	..
बरली	..	..	..	..	..	..	..	..
बिजनौर	..	..	..	..	..	..	..	..
बदायूं	..	..	..	..	..	..	..	..
मुरादाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..
शाहजहांपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
पीलीभीत	..	..	..	..	..	..	..	..
फर्रूखाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..
इटावा	..	..	..	..	..	..	..	..
कानपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
फतेहपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
इलाहाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..
झांसी	..	..	..	..	..	..	..	..
जालौन	..	..	..	..	..	..	..	..
हमीरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
बांदा	..	..	..	..	..	..	..	८
वाराणसी	..	१	..	१	..	१	..	..
मिर्जापुर	..	..	..	..	..	..	..	..
जौनपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
गाजीपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
बलिया	..	..	..	..	..	..	..	..
गोरखपुर	..	..	..	..	..	..	..	२
बस्ती	..	..	..	..	..	..	..	..
आजमगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..
नैनीताल	..	..	..	१	..	..	..	..
लखनऊ	..	..	..	१	..	..	..	..

१		३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६
उन्नाव	..	..	..	..	..	..	..	..
रायबरेली	.	..	..	..	..	..	..	..
सीतापुर	..	..	..	..	..	..	..	..
हरदोई	..	..	..	..	..	..	..	..
खीरी	..	..	..	..	..	..	..	..
फैजाबाद	.	..	..	..	..	..	..	..
गोंडा	..	..	..	..	..	..	..	..
बहराइच	..	..	..	..	..	..	..	..
सुल्तानपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
प्रतापगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..
बाराबंकी	..	..	..	..	..	..	..	..
टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	१	..	..	..
देवरिया	..	..	..	..	..	..	..	..
पौरी-गढ़वाल	..	..	..	..	..	..	..	..
रामपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
योग	..	१	२	३	१	३	..	११

जिले का नाम	पोलैंड निवासी	योग संख्या	पाकिस्तानी	सम्पूर्ण योग
१	३७	३८	३९	४०
देहरादून	२१४	४२	..	
सहारनपुर	८७	९३७	..	
मुजफ्फरनगर	११	६९२	..	
मेरठ २	३८	५,०१०	..	
बुलन्दशहर	८	२६५	..	
अलीगढ़	२९	६८३	..	
मथुरा	११	४१	..	
आगरा	२६	२६४	..	
मैनपुरी	२६	२३	..	
एटा	८	८५	..	
बरेली	२२	८४	..	
बिजनौर	६	४००	..	
बदायूं	३	२२५	..	
मुरादाबाद	२२	६२१	..	
शाहजहांपुर	१३	४२६	..	
पीलीभीत	१	४१२	..	
फर्रुखाबाद	१५	१०३	..	
इटावा	४	१३	..	
कानपुर	१४७	३५५	..	
फतेहपुर	९	१४५	..	
इलाहाबाद	१२६	१६०	..	
झांसी	५५	४४	..	
जालौन	२	८	..	
हमीरपुर	६	१७	..	
बांदा	१०	१४	..	
बाराणासी	७६	४८	..	
मिर्जापुर	९	२४	..	
जौनपुर	६	३७	..	
गाजीपुर	..	७६	..	
बलिया	१	१४	..	
गोरखपुर	४८	३५	..	
बस्ती	८	३८	..	
आजमगढ़	२३	३२	..	
नैनीताल	८०२	४६	..	
लखनऊ	१९१	२२९	..	

१				३७	३८	३९	४०
उन्नाव	..	..	..	..	..	११८	..
रायबरेली	..	..	..	..	२	४१	..
सीतापुर	..	..	..	..	२०	७०	..
हरदोई	..	..	..	..	२	६८	..
खीरी	..	..	..	..	३	८०	..
फैजाबाद	..	..	..	..	१५	१५७	..
गोंडा	..	..	..	..	११	२५	..
बहराइच	..	..	..	..	६	२०	..
सुल्तानपुर	..	..	..	..	६	२१४	..
प्रतापगढ़	..	..	..	..	५	९६	..
बाराबंकी	..	..	..	..	५	१४२	..
टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	११०	..	..
देवरिया	..	..	..	..	१७	८	..
पौरी-गढ़वाल	..	..	..	..	१८	४	..
रामपुर	..	..	..	..	४	२१४	..
योग	..	..	..	२२,२८७	१२,८९६	१५,१८३	

सत्यमेव जयते